राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क ११] द्वितीय विधान सभा के ग्यारवें सत्र, १९६१ का १० वां दिवस [संख्या ८

बुधवार, दिनांक २०' सितम्बर, १९६१

विधान सभा की बैठक म० पू० ११ बज कर १० मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[पंचायत, स्वास्थ्य, सिंचाई, स्वायत्त शासन, कृषि, आयुर्वेद, खादी ग्रामोद्योग, पशुपालन, सहकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, वित्त तथा राजस्थान नहर-विभाग]

प्रश्न संख्या २१२

श्री अध्यक्ष : श्री किशनाराम।

(अनुपस्थित)

श्री रामकिशन।

गबन, ग्राम पंचायत फेफाना

२१३. **श्री रामकिशन** [नोहर-श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) द्वारा पूछा गया] : क्या पंचायत मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत फेफाना, तहसील नोहर में सन् १९५८-५९ में पंचायत कोष की रकम का गबन हुआ?

(२) यदि हां, तो कितनी रकम का गबन किसके द्वारा किन परिस्थितियों में किया गया?

(३) सम्बन्धित व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

पंचायत मंत्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय): (१) जी हां।

(२) १,१०८.५९ नये पैसे का गबन श्री भागीरथ, भूतपूर्व सचिव द्वारा आबादी भूमि विक्रय की पत्रावलियों की रकम जमा नहीं करने के कारण।

(३) रकम दिनांक १६-२-६१ को

Page No.2

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

पंचायत कोष में जमा हो जाने के फलस्वरूप कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

श्री मुरलीधर व्यास : यहां तक है कि रकम बाद में जमा करा दी; क्योंकि आपने कहा है कि इस प्रकार गबन हुआ और इतनी रकम का हुआ । क्या गबन करने वालों के खिलाफ कोई इस प्रकार की कार्यवाही करने का प्रावधान है या नहीं या उसे इरादतन छोड़ दिया गया ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : गबन पाये जाने पर उसके खिलाफ कार्यवाही जरूर की जाती है । पंचायत समिति ने निर्णय नहीं दिया है कि गबन की कार्यवाही की जाय । हमने इस बारे में पंचायत समिति को लिखा है ।

चिकित्सालयों व प्रार्थमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का बजट

२१३. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या राजस्थान में प्रत्येक डिस्पेन्सरी व प्राइमरी हैल्थ सेन्टर के वार्षिक बजट का कोई आधार है ? यदि हां, तो क्या ?

(ख) क्या यह सही है कि जिला जालोर के मेडिकल ऑफिसर के अन्तर्गत चलनेवाली डिस्पेन्सरी व प्राईमरी हैल्थ सेन्टर का बजट नियमानुसार नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ? प्रत्येक डिस्पेन्सरी व प्राईमरी हैल्थ सेन्टर का कितना कितना वार्षिक बजट है ? तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता): (क) जी हां, प्रत्येक डिस्पेन्सरी व प्राईमरी हैल्थ सेन्टर के कर्मचारियों की तनख्वाह व भत्ता यहां की सेंक्शन्ड स्ट्रेन्थ के आधार पर स्वीकृत किया जाता है । दवाइयों के लिये बजट डिस्पेन्सरी के रोगियों की औसत के आधार पर स्वीकृत किया जाता है जिसकी तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(ख) जी नहीं । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता । ड्रग्स व मेडिसन्स के बजट के ब्योरे की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री लक्ष्मीचन्द : एक डिस्पेन्सरी को कितनी एड देने का आपका क्राइटेरिया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हरएक के लिये अलग अलग है । जितनी रोगियों की संख्या होती है उसके आधार पर बजट होता है । इसकी सूची दे दी गई है जिसमें लिखा हुआ है कि पहले ५० रोगियों पर १,००० रु०, ५० से ६६ तक २,००० रु० १०० से १४६ तक ३,००० रु० और १५० से ऊपर ४,५०० रु० और ४०० से अधिक रोगियों के लिए ६,००० रु० दिये जाते हैं ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : रोगियों की संख्या पहले से कैसे ज्ञात हो जाती है? आपने बताया कि ५० रोगी होते हैं तो १ हजार रुपये देते हैं । पहले से कैसे पता लग सकता है कि इतने रोगी होंगे । रोगी तो आयेंगे तभी पता लगेगा कि इतने रोगी हैं ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जो गिनती पहले हो चुकी है उसके आधार पर है ।

Page No.3

श्री लक्ष्मीचन्द : यह रोगियों की संख्या किस साल की है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : एवरेज अटेन्डेन्स के आधार पर है ।

श्री लक्ष्मीचन्द : यह डिस्पेन्सरी खुली तब से है या बाद की है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह सवाल नहीं है । क्राइटेरिया यह है कि ५० रोगी होंगे तो १००० रु० देंगे, १०० होंगे तो २,००० रु० देंगे, १५० होंगे तो ३,००० रु० देंगे और १५० से ऊपर होंगे तो ४,५०० रु० देंगे ।

श्री लक्ष्मीचन्द : मेरा पूछने का मतलब यह है कि डिस्पेन्सरी खोलते वक्त बजट तय करते हैं क्या कि इतने रोगी होंगे तो इतने रुपये मिलने चाहिये ? एक डिस्पेन्सरी को १५ हजार रुपये मिल जाते हैं और दूसरी को २ हजार ही मिलते हैं, इसका क्या कारण है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : क्राइटेरिया साथ में दिया गया है । रोगियों की अटेन्डेन्स के लिहाज से हम तय करते हैं । ५० रोगी होते हैं १ तो हजार रुपये देते हैं । शुरू में प्राईमरी हैल्थ सेन्टर्स होते हैं जिनको २,५०० रु० दिये जाते हैं ।

श्री लक्ष्मीचन्द : अध्यक्ष महोदय, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि सांचोर में दैनिक रोगियों की संख्या २००, ३०० से ज्यादा है और आप वहां पर २,५०० रु० देते हैं । आपका एवरेज दिन का है, महीने का है या साल का है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने कहा कि रोगियों की प्रीवियस संख्या देख कर तय करते हैं ।

टोंक के तालाब

२१५. रावराजा श्री सरदारसिंह [उनियारा—श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) द्वारा पूछा गया] :—

क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि टोंक डिस्ट्रिक्ट में बहुत से छोटे और बड़े तालाब अधूरे और टूटे पड़े हुए हैं ? अगर हां, तो किस किस तहसील में ?

(२) राजस्थान बनने के बाद उपरोक्त तालाबों में से किन किन की मरम्मत करवाई गई और उन पर क्या क्या सरफा हुआ ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(२) क्या सरकार के पास ऐसी भी कोई शिकायत आई है कि उक्त तालाबों से एक दफा पानी पिला लिया गया और फिर बाद में तालाबों में पानी नहीं रहा और पीवाई का लगान लिया जा रहा है ? अगर हां, तो किस किस तहसील में और क्यों ?

सिंचाई मन्त्री (श्री भीखाभाई) : (१) जिला टोंक के तालाब जो कि सिंचाई विभाग के अधीन हैं उनमें केवल ३ तालाब—आरनियावाला तथा लाम्बा, तहसील टोंक में तथा मानसागर अरनिया, तहसील देवली में टूटे पड़े हैं ।

(श्री भीखाभाई)

(२) राजस्थान बनने के पश्चात् आरनियाबाला और मानसागर पर १,८३७ रु० का खर्चा हुआ है।

(३) ऐसी कोई शिकायत सरकार के सामने टोंक जिले के बंधों के बारे में नहीं प्राप्त हुई।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : जब आप खुद कहते हैं कि इतने तालाब टूटे हैं और इसके बारे में आपको मालूम है तो आप खुद उनकी मरम्मत का इन्तजाम क्यों नहीं करते ?

श्री भीखाभाई : माननीय सदस्य ने, मेरा खयाल है, प्रश्न को ठीक ढंग से नहीं पढ़ा। प्रश्न का पहला और दूसरा भाग तालाबों के बारे में है और पार्ट (३) इर्रिगेशन रेट के सम्बन्ध में है। दोनों एक में नहीं होने चाहिये थे।

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या इन तालाबों से आज भी सिंचाई होती है ?

श्री भीखाभाई: तीनों टूटे हुए हैं। उनमें से एक लाम्बा तो सन् ६० में जागीर विभाग से मिला है। उसका इन्वेस्टिगेशन वगैरह चल रहा है। पहले के तालाब की मिट्टी सेलाइन है और इस कारण इसमें पानी ११ मिलियन क्यूबिक फीट भर जाता है। तीसरा मान सागर है उसका बेसमेन्ट टूटा हुआ है लेकिन उससे पार्शियल सिंचाई आज भी हो रही है; आगे ठीक करने के लिये इन्वेस्टिगेशन जारी है।

स्प्रिट के पीपों की चुंगी

२१६. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि दि० २६-३-६० को सीकर नगर चुंगी चौकी नं० ४ पर रात को एक कार में रेक्टिफाइड स्प्रिट के १६ पीपों के लगभग चौकी के कारकून द्वारा चुंगी के लिए रोके गये ? यदि हां, तो किसके ?

(ख) क्या यह सही है कि चुंगी के ३०) रु० अमानत जमा करवा कर वह स्प्रिट छोड़ दी गई ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इस सम्बन्ध में नगरपालिका के अध्यक्ष से आज्ञा प्राप्त की गई थी ?

(ग) क्या यह सही है कि ३०) रु० वापिस लौटा दिये गये तथा इसकी कोई चुंगी नहीं ली गई ? यदि हां, तो क्यों ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री संपतराम) : (१) जी हां, श्री केशुमल व श्री तेजपाल ठेकेदार के।

(२) जी हां। बीजक न होने के कारण ३०)रु० चुंगी के पेटे अमानत कर के रूप में जमा कर स्प्रिट नाकेदार द्वारा छोड़ दी गई थी। इसके लिये अध्यक्ष से आज्ञा नहीं ली गई। चुंगी नाकेदार को ऐसा करने का अधिकार है, लेकिन किस आधार पर छोड़ी गई, इसकी जांच की जायेगी।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष से आज्ञा किस बात की ले ली गई ?

श्री सम्पतराम : छोड़ी उस समय आज्ञा नहीं ली गई।

श्री भैरोंसिंह : आप ने फरमाया कि आज्ञा ले ली गई थी।

श्री अध्यक्ष : इन्होंने फरमाया था नहीं ली गई।

श्री भैरोंसिंह : जब आज्ञा नहीं ली और अध्यक्ष के सामने यह कार्यवाही आई तो उन्होंने क्या किया ?

श्री सम्पतराम : मैंने मंजूर किया है कि जांच करवाई जायेगी।

श्री भैरोंसिंह : क्या जांच एक्साइज़ डिपार्टमेंट करवायेगा ?

श्री सम्पतराम : जी नहीं, लोकल बॉडीज़।

श्री भैरोंसिंह : अब तक किसी अधिकारी को जांच के लिये नियुक्त नहीं करने का क्या कारण है ?

श्री सम्पतराम : हमारे सामने यह मामला आया तभी तो स्पष्ट रूप से कहा है कि जांच करायेंगे।

श्री भैरोंसिंह : आपके सामने कब आया ?

श्री सम्पतराम : मेरी जानकारी में तब आया जब आपका प्रश्न आया।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि यह प्रश्न बजट सेशन में प्रस्तुत हुआ था और इसकी प्रतिलिपि आपके पास भेजी थी ?

श्री सम्पतराम : हो सकता है। आपका प्रश्न आया होगा लेकिन मेरे सामने आया तब यह कहा कि जांच की जायेगी।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इन पीपों को ३० रुपये लेकर छोड़ दिया गया था; उसके बाद यह पता लगा कि ३० रुपये जो अनुमानतः ऑक्ट्राय के रूप में ले लिये गये उससे ज्यादा आमदनी ऑक्ट्राय से होनी चाहिए ?

श्री सम्पतराम : यह प्रिज़म्पशन और ओपिनियन का सवाल है। इसमें किसकी गलती है, उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। मैंने खुद ऑफिसर का नाम बताया है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : क्या बिना रसीद दिये अनुमान के ऊपर चुंगी लेकर अधिकारी छोड़ सकते हैं ? इस प्रकार रुपया लेकर छोड़ सकते हैं ? यह चोरी है। इस प्रकार जो ३० रुपये लेकर छोड़ दिया गया, क्या इससे यह मन्शा है कि पैसा लेकर इस प्रकार छोड़ सकते हैं ?

श्री सम्पतराम : इसके बारे में जांच होगी कि किसकी गलती है।

श्री मुरलीधर व्यास : इसमें जांच का सवाल नहीं है। कानून इस प्रकार का नहीं है कि इस प्रकार रुपया लेकर छोड़ दे। यह गैर कानूनी तरीके से छोड़ा है। उसकी जांच क्या होगी ? बिना चुंगी लिए किसी चीज़ को बाहर नहीं ले जाया जा सकता। लेकिन

Page No.6

(श्री मुरलीधर व्यास)

इसमें ले जाने दिया है। इससे स्पष्ट है। इसमें जांच क्या होगी ?

श्री अध्यक्ष : जांच का मतलब है कि प्रिलिमिनरी जांच होगी । चार्ज शीट दी जायेगी। उसका जबाब लिया जायेगा । जो प्रोसीजर है उसके अनुसार जांच होगी ।

श्री भैरोंसिंह : ३० रुपये अब कहां जमा है ?

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह ।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : ३० रुपये अध्यक्ष ने वापिस करवाये हैं। नगरपालिका से ३० रुपये वापिस करने के लिए ऑर्डर दिये हैं या वैसे ही किये हैं ?

श्री सम्पतराम : ३० रुपये जमा हैं, वे वापिस नहीं करवाये ।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : मैं जानना चाहूँगा कि क्वेश्चन बजट सेशन में दे दिया गया था तब से why the Director, Local Bodies was sleeping over the issue and why did he not bring it to the notice of the Government ? और अब प्रश्न दिया गया है तब कहते हैं, मेरे ध्यान में आया है, अब एक्शन लिया जायेगा। इतने पीरियड के अन्दर डाइरेक्टर ऑफ लोकल बॉडीज़ ने ध्यान क्यों नहीं दिलाया ?

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है, इतने पायस तरीके से इस क्वेश्चन का जबाब दिया गया, उसके बारे में एकेडेमिक तरीके से क्वेश्चन रेज़ किये जा रहे हैं। मेरे पास इसका जबाब नहीं है कि गलती किसकी है। डाइरेक्टर, लोकल बॉडीज़ भी उसमें शामिल हो सकते हैं; यह तो आगे जांच होने पर पता होगा ।

श्री श्रीभानसिंह : क्या यह प्रिज्यूम किया जाय कि इतने टाइम तक उन्होंने सरकार का ध्यान नहीं दिलाया, इसलिए वे भी इसमें शामिल हैं ?

श्री सम्पतराम : मैं प्रिज़मप्शन का जबाब देने के लिए तैयार नहीं हूँ ।

श्री श्रीभानसिंह : I want to know why the thing was not brought to your notice ?

श्री सम्पतराम : Whatever reply was with me, I have supplied all the information about it to the House.

श्री श्रीभानसिंह : This thing was raised at the time of Budget. Why did not the Director, Local Bodies draw the attention of the Government at that time and this belated reply ?

श्री सम्पतराम : This may be possible that the Director might have taken some action. But this is not within my knowledge.

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि सीकर नगरपालिका के भूतपूर्व चेयरमैन श्री

Page No.7

(श्री भैरोंसिंह)

प्यारेलाल ने वर्तमान चेयरमैन के नाम चार्ज-शीट तैयार की थी और माननीय मंत्रीजी के सामने पेश की, उसके अन्दर एक पोइन्ट यह भी था कि रेक्टिफाइड स्प्रिट के पीपे ३० रुपये लेकर छोड़ने की इजाजत दे दी ?

श्री सम्पतराम : यह अलग प्रश्न है, इसका जवाब नहीं दे सकता।

(विराम)

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह।

टोंक में भूमि सुधार

२१७. रावराजा श्री सरदारसिंह [उनियारा—श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) द्वारा पूछा गया] : क्या कृषि मंत्री निम्न-लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि डिस्ट्रिक्ट टोंक में लैंड डेवलपमेंट हेतु सन् १९६०–६१ के लिए कोई धन राशि रखी गई थी? अगर हां, तो कितनी और किस किस कार्य हेतु ?

(२) क्या यह सही है कि लैण्ड रीक्लेमेशन के लिये कोई ट्रैक्टर खरीदा गया था ? अगर हां, तो किस कम्पनी से कितने में और कितनी कितनी जमीन ट्रैक्टर द्वारा ठीक की गई ? कृपया ग्राम वाइज़ सूची देने की कृपा करें।

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) जी हां, रुपये ८,०००) की धन राशि रखी गई थी। यह धन राशि काश्तकारों को ट्रैक्टर खरीदने हेतु लोन देने के लिए रखी गई थी।

(२) किसी राजकीय विभाग द्वारा ट्रैक्टर नहीं खरीदा गया। आगे प्रश्न नहीं उठता है।

श्री लक्ष्मीचन्द : यह धन राशि दे दी गई या रखी गई है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : लोन दे दी गई है।

श्री अध्यक्ष : डॉ० बहादुरसिंह।

फार्मेसी-व्यापारिक आधार पर

२१८. डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या सरकार को विदित है कि इन्टीग्रेशन रिपोर्ट, १९५०–५२ के पैरा नं० १० पर यह अंकित है :—

"The Pharmacies will run on commercial lines under the direction of the Board" ?

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(ग) क्या यह भी सत्य है कि राजस्थान इन्डियन मेडिसन बोर्ड से फार्मेसियों का किसी भी प्रकार का सम्बन्ध नहीं है ?

(घ) क्या यह भी सत्य है कि आयुर्वेद विभाग में फार्मेसी व्यापारिक दृष्टिकोण से नहीं चलाई जा रही हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

Page No.8

आयुर्वेद मंत्री (श्री भीखाभाई) : (क) जी हां।

(ख) फार्मेसियों को आवश्यक फण्ड के अभाव में कॉमर्शियल बेसिस पर चलाना सम्भव नहीं हो सका। जिस बोर्ड का इन्टीग्रेशन रिपोर्ट में हवाला दिया गया है, राजस्थान बनने के एक साल बाद ही समाप्त हो गया था।

(ग) जी हां।

(घ) जी हां, यह भी सत्य है कि अभी तक फार्मेसी व्यापारिक दृष्टिकोण से नहीं चलाई जा रही है। न चलाने का कारण समुचित स्थानाभाव तथा मशीनरियों का न लगना व धन राशि का पर्याप्त मात्रा में प्राप्त न होना रहा है। तृतीय पंचवर्षीय योजना में इसे व्यापारिक ढंग से चलाने की योजना है।

डॉ० बहादुरसिंह : मशीनरी का क्या सम्बन्ध है? मशीनरी आपके पास पड़ी हुई है और बेकार पड़ी है।

श्री भीखाभाई : मैंने अर्ज किया कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में कॉमर्शियल बेसिस पर चलाने की योजना है। मकान ले लिया है, मशीनरी आ गई है। मकान में सुधार होना बाकी है, फिर काम चालू हो जायेगा।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : आपने कहा कि मशीनरी की वजह से नहीं चला सके और आप फर्मा रहे हैं कि मशीनरी है!

श्री भीखाभाई : अभी मंगवाई जा रही है। पहले नहीं चलाया जा सका, उसके कारण मैं जवाब में दे रहा हूँ। अब क्यों नहीं चलाई गई, उसके लिये कहा है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में सब काम शुरू कर रहे हैं।

प्रश्न संख्या २१६

श्री अध्यक्ष : श्री रामकरणसिंह।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री भैरोंसिंह।

पंचायत समितियों व जिला परिषदों द्वारा कर

२२०. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) पंचायत समितियों के गठन के पश्चात् किस किस पंचायत समिति व जिला परिषद् ने कब कब से कितना कितना और किस किस मद में किस किस दर से टैक्स लगाया है? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) इस टैक्स से प्रत्येक पंचायत समिति तथा जिला परिषद् में कितनी कितनी आय अनुमानित है?

पंचायत मन्त्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय): (१) जिला परिषदों को टैक्स लगाने का अधिकार नहीं है। १०३ पंचायत समितियों के सम्बन्ध में सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

(२) यह सूचना भी सदन की मेज पर रखी गई सूची में दी हुई है।

(सूची अति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री भैरोंसिंह : पंचायत समिति ने ये टैक्स सरकार की अनुमति से लगाये हैं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : पंचायत समिति को सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं है ; पंचायत समिति को टैक्स लगाने से पहले सरकार की स्वीकृति लेने की जरूरत नहीं है। इसके रूल्स बने हुए हैं और उनके माफिक कर सकते हैं।

प्रश्न संख्या २२१

श्री अध्यक्ष : श्री किशनाराम।

(अनुपस्थित)

श्री दयाकृष्ण विजय।

राजस्थान खादी बोर्ड

२२२. **श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा)**: क्या मंत्री, खादी ग्रामोद्योग विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या राजस्थान खादी बोर्ड के कार्य संचालन के लिए राजस्थान सरकार ने राजस्थान खादी बोर्ड एक्ट, १९५५ के अन्तर्गत कोई नियम बना रखे हैं? यदि नहीं, तो क्यों ?

(ख) क्या बोर्ड को राज्य व केन्द्रीय सरकार से कर्ज लेने का अधिकार है ?

(ग) खादी बोर्ड के अन्तर्गत कितनी संस्थायें भिन्न भिन्न नामों से कार्य करती हैं?

(घ) क्या खादी बोर्ड ने कितने ही खादी भंडारों पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को मकान बनाने के लिए तथा दूसरे अन्य कार्यों के लिए लोन दे रखा है ? यदि हां, तो कृपया इसकी तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

खादी ग्रामोद्योग मंत्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : (क) राजस्थान खादी बोर्ड एक्ट, १९५५ के अन्तर्गत नियम बने हुए हैं।

(ख) विधि विहित (स्टेट्यूटरी) बोर्ड को राज्य व केन्द्रीय सरकार से ऋण लेने का अधिकार होता है।

(ग) खादी बोर्ड के अन्तर्गत जितनी संस्थाएं कार्य करती हैं उनकी सूची संलग्न है।

(घ) राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड ने किसी भी कार्यकर्त्ता को मकान बनाने व अन्य कार्य के लिये ऋण आज तक नहीं दिया है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : क्या सरकार ने खादी बोर्ड के अन्तर्गत फाइनेन्शियल रूल्स बना रखे हैं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : फाइनेन्शियल रूल्स बना कर भेजे हैं, अभी गवर्नमेंट से मंजूर नहीं हुए हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह समझा जाय

(श्री भैरोंसिंह)

कि अब तक खादी बोर्ड के द्वारा जितना रुपया वितरित किया गया है वह बिना फाइनेन्शियल रूल्स के किया गया है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जनरल फाइनेन्स रूल्स उनके सामने रहते हैं ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह माना जाय कि जो रुपया अब तक वितरित किया गया है वह जनरल फाइनेन्स रूल्स के मातहत किया गया है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जी हां; ऐसा ही मानना चाहिए ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि राजस्थान खादी बोर्ड के कर्मचारियों के लिए सर्विस रूल्स बने हुए नहीं हैं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : सर्विस रूल्स का नया प्रश्न है,....

श्री भैरोंसिंह : सब नियमों का प्रश्न है । आप अध्यक्ष हैं, आपको यह जानकारी होगी ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जो नियम बने हुए हैं वे पढ़ कर सुना देता हूं । राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के कार्य संचालन के लिए कुछ नियम बन चुके हैं; जिनमें मुख्यत: हैं (१) ऋण अनुदान नियम, (२) कार्यकर्त्ता प्रोवीडेंट फण्ड नियम, (३) सदस्यों की कार्य अवधि नियम व (४) सदस्यों के यात्रा–भत्ता नियम; आदि ।

बोर्ड ने राज्य सरकार के पास निम्न नियम बना कर स्वीकृति हेतु भेज रखे हैं जो सरकार के विचाराधीन हैं–(१) राजस्थान खादी बोर्ड सेवा नियम, (२) कार्यकारिणी समिति के अधिकार व कर्त्तव्यों के नियम व (३) अर्थ समिति के अधिकार व कर्त्तव्यों के नियम ।

श्री भैरोंसिंह : जो आवश्यक नियम थे, खादी बोर्ड की सर्विसेज़ के नियम, उनके लिए आपने बताया कि सरकार के विचाराधीन हैं । वे अब तक क्यों नहीं बने और उनके अभाव में बोर्ड ने किन नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : बोर्ड के नियम नहीं थे, लेकिन बोर्ड ने जो ठीक समझा, कॉमन सेन्स से, उस तरह कार्यवाही की ।

श्री भैरोंसिंह : बोर्ड ने ठीक समझा वह ठीक है । लेकिन बोर्ड के ठीक समझाने के लिए नियम होते हैं । फाइनेन्स रूल्स नहीं थे, उसके लिए आपने कहा कि जी० एफ०–आर० के अनुसार कार्यवाही की । बाकी दो आइटम हैं, जिनमें एक सर्विसेज का क्वेश्चन आता है, उनको किससे गाइड किया है, कौन से रूल्स के अनुसार अपोइन्टमेंट, प्रमोशन इत्यादि हुए हैं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जनरल रूल्स होते हैं, गवर्नमेंट के सर्विस रूल्स, उनको सामने रखते हैं । उनका शब्दश: पालन नहीं होता है । साधारण तौर पर जो नियम होते हैं उनके अनुसार कार्य करते हैं ।

Page No.11

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार के सर्विस रूल्स को खादी बोर्ड ने लागू कर रखा है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : एप्लाई नही कर रखा है। मैंने कहा सामने रख कर करते हैं।

श्री भैरोंसिंह : सामने रख कर क्या करते हैं? वे क्या देखने के लिए हैं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मार्ग-दर्शन के लिए।

श्री भैरोंसिंह : मार्ग-दर्शन के लिए तो हैं; क्या ये उन पर बाइंडिंग हैं या नहीं, खादी बोर्ड पर ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : 'मार्ग-दर्शन' का मतलब मार्ग-दर्शन ।

श्री भैरोंसिंह : सामने रखने का क्या मतलब ? वे नियम एप्लीकेबल हैं या नहीं । अगर एप्लीकेबल हैं तो वैसे कहे ?

श्री अध्यक्ष : एप्लीकेबल नहीं हैं।

श्री भैरोंसिंह : फिर सामने रखने में सेंस क्या है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जो सामान्य सिद्धान्त हैं उनको ध्यान में रख कर कार्य संचालन किया जाता है।

श्री भैरोंसिंह : क्या आपके सामान्य सिद्धान्त को कोई व्यक्ति रूल्स के तहत चैलेंज कर सकता है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मेरे खयाल से नहीं कर सकता, कानूनी तौर पर।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह समझा जाय कि रूल्स को ईश्वर की फोटो के रूप में सामने रखते हैं और उससे प्रेरणा लेते हैं ?

प्रश्न संख्या २२३

श्री अध्यक्ष : श्री मोहरसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह : रूल्स के बजाय खुद की फोटो रख लें तो खुद को कुछ प्रेरणा मिलती ।

श्री अध्यक्ष : श्री रावतमल पारीक।

कार्यालयों का स्थानान्तरण

२२४. **श्री रावतमल पारीक** (नोखा) : क्या सिंचाई मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

बीकानेर डिविजन में सिंचाई की तीन बड़ी नहरें—गंग केनाल, भाखरा व राजस्थान केनाल—होते हुए भी चीफ इन्जीनियर, सिंचाई विभाग तथा चेयरमैन, राजस्थान केनाल बोर्ड के मुख्य कार्यालय जयपुर में क्यों हैं ? क्या सरकार कार्य को सुचारू रूप से चलाने की दृष्टि से इन कार्यालयों को बीकानेर स्थानान्तरित करने की सोच रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई मंत्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : अध्यक्ष, राजस्थान नहर मंडल और मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग के कार्यालय

Page No.12

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

जन हित की दृष्टि से जयपुर में रखे गये हैं और राज्य सरकार का इनको बीकानेर स्थानान्तरित करने का कोई विचार नहीं है क्योंकि इन अधिकारियों को राज्य सचिवालय और जयपुर में सम्बन्धित सरकारी विभागों से निरन्तर सम्पर्क रखना पड़ता है और राजस्थान नहर की परियोजना को ध्यान में रख करके अभियन्ता के कार्यालय को राजस्थान नहर क्षेत्र के किसी उपयुक्त स्थान पर स्थानान्तरित करने का प्रश्न विचाराधीन है।

श्री रावतमल पारीक : यह जन हित क्या है ? माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि जन हित के लिये। मैं जानना चाहता हूँ कि यह क्या है और क्या बीकानेर में इसको रखने से इसको उड़ा कर ले जाने का भय है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : पब्लिक पोइन्ट ऑफ व्यू और गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन की सहूलियतों को देखते हुए और ध्यान में रखते हुए ऐसा किया है।

श्री रावतमल पारीक : क्या दूसरे डिपार्टमेंट जो भी ट्रान्सफर किये जाते हैं उनके लिये इस नियम से कार्य होता है? उन पर यह लागू नहीं होता ?

श्री अध्यक्ष : क्षेत्रीय बात न करें। सामान्य रूप से बात करें।

श्री रामचन्द्र चौधरी : यह तो सुविधा की दृष्टि से रखा गया है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : जन हित की दृष्टि से और एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से इनको यहां रखा गया है। मैं यह कहूँगा कि क्या इनकी जरूरत जहां पर स्पोट पर काम होता है वहां पर नहीं रहती है। क्या इनका वहां पर लोगों के साथ सम्पर्क रखना आवश्यक नहीं होता ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : प्रश्न यह पूछा गया कि चीफ इन्जीनियर, सिंचाई विभाग तथा चेयरमैन, राजस्थान केनाल बोर्ड के मुख्य कार्यालय जयपुर में क्यों हैं ? मैं यह कहूँगा कि वहां से रात को रवाना होकर सुबह यहां जयपुर पहुंचते हैं और यहां से रवाना होकर सुबह बीकानेर पहुंचते हैं। इस दृष्टि से तो यह बराबर हैं। हैड क्वार्टर यहां पर रहने से और बीकानेर रहने से कोई अन्तर नहीं पड़ता है। आने वाले ५ वर्षों तक बीकानेर हैड क्वार्टर रखने का प्रश्न नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : हर प्रकार की बात स्पोट पर देखी जाती है और इन्सट्रक्शन दिये जा सकते हैं। इतनी दूरी से सारी बातें नहीं देखी जाती हैं। मेरे कहने का मतलब यह नहीं कि हैड क्वार्टर बीकानेर ही हो। हो सकता है गंगानगर हो तो वहां पर रखा जा सकता है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : मैंने निवेदन किया कि डिविजनल सुपरिन्टेन्डेन्ट का हैड क्वार्टर वहां पर मौजूद है, जिनका सम्पर्क वहां पर रहता है। चीफ इंजीनियर, सिंचाई विभाग तथा चेयरमैन राजस्थान केनाल बोर्ड के मुख्य अभियन्ता का हैड क्वार्टर जयपुर में है। उनको अभी मूव करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

Page No.13

श्री मुरलीधर व्यास : आपका मतलब यह है कि उनका सम्बन्ध उनसे रहता है। मगर उनका वहां पर जहां पर काम होता है रहना जरूरी नहीं है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : वे मौके पर उपस्थित होते हैं। जहां पर जरूरत होती है, जाते हैं और महीने में तीन या चार दफे जाते रहते हैं। यहां पर जो हैड क्वार्टर रखा गया है वह सहूलियत के लिये ही रखा गया है। इस पर भी मैंने निवेदन किया कि इनका हैड क्वार्टर चेन्ज किया जावे या नहीं; इस पर विचार किया जावेगा।

श्री मुरलीधर व्यास : बीकानेर में भी राजस्थान नहर आवेगी ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री भैरोंसिंह।

वेक्सीन डोजेज

२२५. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या पशु पालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) १ अप्रेल, सन् १९५८ से अब तक रिन्डरपेस्ट सेक्शन में कितने वेक्सीन डोजेज़ नष्ट किये गये, कब २ और क्यों ? इनकी कीमत क्या है ? इनको नष्ट करने से पहले कहां से स्वीकृति प्राप्त की गई थी ?

(ख) उक्त सेक्शन में कितने वेक्साइन्स का शोर्टेज है और क्यों ?

पशु-पालन मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) १ अप्रेल, सन् ५८ से ३१ अगस्त, ६१ तक कुल ६८,७६६ डोजेज़ नष्ट हुए; जिनका ब्योरा नीचे लिखा हुआ है :—

१९५८-५९	६,१००	डोजेज़
१९५९-६०	२,६६०	,,
१९६०-६१	३.०५०	,,
१९६१-६२	२.०५६	,,

उपरोक्त डोजेज़ नष्ट करने के कारण ये हैं :—

(१) उनका मियाद बाहर हो जाना।

(२) लाने-ले जाने में टूट-फूट के कारण। इनकी कुल कीमत रु० २,७५०. ६४ नये पैसे हैं। पहले स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई।

(ख) इस सेक्शन में कोई वैक्साइन का शोर्टेज नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या नियम के अनुसार इस प्रकार की चीजों को नष्ट करने से पहले सरकार की आज्ञा लेना आवश्यक नहीं है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जिस समय वे फील्ड में वर्क करने के लिये जाते हैं उस समय उनको बराबर तैयार करके रखनी पड़ती हैं। तीन दिन के बाद में वह काम में नहीं ली जा सकती और खराब हो जाती हैं। जब वह टीम किसी दूसरे हिस्से में काम करने चली जाती है और वह काम में नहीं आती है तो तीन दिन के बाद उसको फैंकना पड़ता है और वे उसको फैंक देते हैं और नोटिस में ले आते हैं कि यह खराब हो गई।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट; श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

Page No.14

ब्यावर नगर परिषद् द्वारा आयोजित प्रदर्शनी

२२६. **श्री जगदीशप्रसाद माथुर** (सीकर) : क्या मंत्री, स्वायत्त शासन विभाग यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) सन् १९५८ के दिसम्बर माह में ब्यावर नगर परिषद् ने जो नुमाइश लगाई थी उसकी टिकटों की कितनी आमदनी हुई तथा यह परिषद् के कार्यालय में कब जमा हुई ?

(२) इस रकम की वसूली के सम्बन्ध में ऑडिटर ने कब कब क्या क्या एतराज किये हैं ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री सम्पतराम) : (१) सन् १९५८ के दिसम्बर माह में ब्यावर नगर परिषद् ने कोई नुमाइश नहीं लगाई। लेकिन सन् १९५७ के दिसम्बर माह में एक नुमाइश अवश्य लगाई थी। उसके टिकटों से २,६०२रु०, ४४ नये पैसे की आमदनी हुई व भिन्न २ तारीखों में परिषद् के कार्यालय में जमा हुई; जिसकी सूचना संलग्न है।

(२) इस रकम की वसूली के सम्बन्ध में ऑडिट ने सन् १९५७-५८ में निम्न एतराज किया था:—

"नुमाइश की आमदनी का हिसाब अधूरा पड़ा है और पूरा रुपया हिसाब में जमा नहीं कराया गया है।"

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : यह नुमाइश की आमदनी हुई वह किन किन मदों से हुई ?

श्री सम्पतराम : इसका सम्बन्ध इस प्रश्न से नहीं है। आपका प्रश्न है कि टिकटों से कितनी आमदनी हुई, उसका जवाब दे दिया गया है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : क्या यह सही है कि ऑडिट ने ऑब्जेक्शन किया कि टिकटों की आमदनी वसूल नहीं की गई और इस कारण हिसाब अधूरा पड़ा है ? ऑडिट ने कितना शॉर्टेज बताया जिस समय इन्सपेक्शन किया और कितना हिसाब में लिया कि इतनी आमदनी हुई है ?

श्री सम्पतराम : आमदनी २,६०२ रु० की हुई। यह रुपया ऑडिट में ऑब्जेक्शन के बाद में जमा हो गया।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : आप कहते हैं कि हिसाब पूरा नहीं हुआ, ऑडिट ने बताया है। तब आपने किस प्रकार जांच की और किस प्रकार से एडजस्ट किया गया ?

श्री सम्पतराम : ऑडिट ने यह कहा कि इतने रुपयों के टिकट बिके थे उनके रुपये जमा नहीं हुए।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : टिकट कितने रुपयों के इश्यू किये गये थे ?

श्री सम्पतराम: मैंने आपको बताया कि २,६०२ रुपये, ४४ नये पैसे के।

श्री भैरोंसिंह: ऑडिट ने कहा कि नुमाइश की आमदनी का हिसाब अधूरा पड़ा है

(श्री भैरोंसिंह)

और पूरा रुपया हिसाब में जमा नहीं कराया गया है, तो क्या उस समय तक रुपया लोगों में बाकी था ?

श्री सम्पतराम : जिस समय ऑडिट ने हिसाब किया उस समय कुछ रकम जमा नहीं हुई थी, बाद में जमा हुई है ।

श्री भैरोंसिंह : बाद में क्यों जमा हुई और जो बाद में जमा हुई उसके लिये क्या सरकार ने किसी पर कोई एक्शन लिया है कि उन्होंने अभी तक पैसा अपने पास क्यों रखा और जमा नहीं कराया ?

श्री सम्पतराम : उस समय सदस्यों को टिकट दिये थे और टीचर्स को भी टिकट दिये थे । उसमें से कुछ रुपया बाकी रह गया था ।

श्री भैरोंसिंह : क्या इससे यह समझा जाए कि जिनको टिकट दिये थे वे रुपया रोक कर बैठ गये और उन्होंने रुपया नहीं दिया ?

श्री सम्पतराम : टिकट बेचने के बाद उन्होंने रुपया दे दिया ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि उन सदस्यों ने रुपया अपने पास ही रखा और जमा नहीं कराया ? अगर यह सही है तो क्या सरकार ने उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया है ?

श्री सम्पतराम : कुछ सदस्यों ने टिकट बेचे थे । समय समय पर रुपये जमा कराते रहे । बाद में जब सब जमा हो गये तो रुपये जमा करा दिये गये ।

श्री जगदीप्रसाद माथुर : यह रकम पहले कितनी जमा हुई थी और बाद में कितनी जमा हुई ?

श्री सम्पतराम : मैं एक बहुत साफ बात कहना चाहता हूँ कि उनका इससे क्या मतलब है वे उसे साफ बता दें और वे क्या चाहते हैं यह भी बता दें ? जितना रुपया आया उसका हिसाब मैंने इसके साथ पेश किया है जो आपको पढ़ देता हूँ :—

६.१२.५७. को	१६६. ६७ न. पै.	जमा हुए
७.१२.५७ को	२६६. ६०	,,
८.११.५७ को	४५२.६३	,,
६.१२.५७	७५१.४७	,,
१०.१२.५७	४३१.७५	,,
११.१२.५७	४०८.०१	,,
१२.१२.५७	१०५.१७	,,
१३.१२.५७	१७.६०	,,
१६.१२.५७	४.००	,,
२७.१२.५७.	१३.५६	,,
१०.४.५८.	४.२३	,,
१६.४.५८.	२७.६०	,,
६.५.५८	२.५०	,,
१३.५.५८	३.१६	,,
१६.६.५८	१५.७१	,,
१६.११.५८	६.११	,,

Page No.16

(श्री सम्पतराम)

१५.१२.५८ १८८७ न. पै. जमा हुए

२४.२.५६ ३८६ ,,

यह हिसाब इस प्रकार से है। पहले ऑडिट ने हिसाब जांचा और यह लिखा कि हिसाब अधूरा है। बाद में सारा रुपया जमा हो गया।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट; श्री रामधन।

पंचायत समिति, दौसा का वार्षिक व्यय

२२७. श्री **रामधन** (दौसा) : क्या पंचायत मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

दौसा पंचायत समिति का वार्षिक खर्च क्या है ?

पंचायत मंत्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय): माननीय अध्यक्ष, इसके उत्तर की पूरी सामग्री प्राप्त नहीं हुई है, इसका बाद में उत्तर दे दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष : इसको छोटा कर दिया हैं उसके बाद भी जवाब नहीं आया है !

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : एक मायने का जवाब आया है वह तो बता दीजिये।

श्री अध्यक्ष : दोनों मायने साथ आयेंगे तो ठीक रहेगा।

श्री भैरोंसिंह : क्योंकि सेशन समाप्त हो रहा है, अतः आयन्दा तो यह क्वेश्चन आने से रहा।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मुझे जो सूचना भेजी श्री उसमें विकास के लिये रकम भेजी थी, वह खर्च कर दें।

श्री भैरोंसिंह : जो इन्फॉर्मेशन आपको भेजी है वही दे दें।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : क्योंकि २२ तारीख का था न इसलिये मैं साथ लाया नहीं। २२ को दे दूंगा।

श्री भैरोंसिंह : जो इन्फॉर्मेशन आई है वह तो दे दें।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय कह रहे हैं न कि २२ तारीख को उत्तर दे देंगे।

(विराम)

नेक्स्ट, डॉ० चन्द्रकला।

जयपुर शहर में दाइयां

२२८. **डॉ० चन्द्रकला** (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) जयपुर शहर में इस समय कुल कितनी रजिस्टर्ड दाइयां हैं, जो प्रसूति का काम करने के लिये प्रमाणित हैं ?

(२) क्या इन दाइयों को प्रसूति सेवा की कोई ट्रेनिंग दी जाती है ? यदि हां, तो कहां और कितने दिन की ?

Page No.17

(डॉ० चन्द्रकला)

(३) क्या इन दाइयों की कोई फीस निर्धारित है ? यदि हां, तो कितनी ?

(४) क्या इनको सरकार की ओर से जच्चा-बच्चा की सेवा सम्बन्धी सामान आदि दिया जाता है ?

(५) इनके काम की निगरानी व निरीक्षण कौन करता है ?

(६) क्या सरकार को विदित है कि ये दाइयां लोगों से मनमानी फीस लेती हैं और सफाई आदि का पूरा ध्यान रखे बिना ही काम करती हैं ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) दाइयों के रजिस्ट्रेशन के लिये सरकार के कोई आदेश नहीं हैं। अतः यह बताना सम्भव नहीं है कि जयपुर शहर में कितनी दाइयां हैं।

(२) देशी दाइयों के प्रशिक्षण के लिये इस विभाग द्वारा ३२ प्रशिक्षण केन्द्र चालू हैं जिसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है तथा एक केन्द्र समाज कल्याण बोर्ड द्वारा जयपुर में चालू है। प्रशिक्षण काल एक वर्ष का है।

(३) जी नहीं।

(४) जी हां, प्रशिक्षण के पश्चात् उत्तीर्ण होने पर इन्हें एक किट दिया जाता है।

(५) कोई नहीं।

(६) इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है व इन दाइयों का सम्बन्ध भी इस विभाग से नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

डॉ. चन्द्रकला : क्या मन्त्री महोदय की जानकारी में है कि प्रशिक्षण प्राप्त दाइयों के अलावा ऐसी बहुत अधिक संख्या में दाइयां हैं जो यह काम करती हैं ? तो जो प्रशिक्षण प्राप्त दाइयां हैं उन्हीं को यह सामान क्यों दिया जाता है, उनके अतिरिक्त और दाइयों को क्यों नहीं दिया जाता है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हम चाहते हैं कि प्रशिक्षण के लिये अधिक से अधिक संख्या में दाइयां आगे आयें। हम ३०) रु० स्कॉलरशिप भी ट्रेनिंग पीरियड में देते हैं। हमारे सेंटर में दाइयां भिजवाइये।

डॉ. चन्द्रकला : जिनको शिक्षण दिया जाता है क्या उनके लिये अनिवार्य सेवा जरूरी है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कोई पाबन्दी नहीं है, वे चाहें तो गवर्नमेंट सर्विस में आयें और चाहें तो प्राइवेट काम करें।

डॉ० चन्द्रकला : ऐसी जो प्रशिक्षण प्राप्त दाइयां हैं वे सर्विस में चली जाती हैं और इस तरह प्रशिक्षण प्राप्त दाइयों का जो लाभ जनता को मिलना चाहिये वह नहीं मिलता है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : दाइयों का लाभ तो जनता को ही मिलेगा और किसको मिलेगा ?

डॉ० चन्द्रकला : आम जनता को, गांवों में जो आम स्त्रियां हैं जिनको कि प्रशिक्षण प्राप्त दाइयों की सेवाओं की जरूरत है उनको इन प्रशिक्षण प्राप्त दाइयों का लाभ प्राप्त नहीं हो पाता; क्योंकि प्रशिक्षण प्राप्त दाइयां गवर्नमेंट सर्विसेज़ में चली जाती हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हम तो बहुत चाहते हैं कि दाइयां आयें, हम तो स्कॉलर-शिप भी देते हैं पर आती नहीं हैं।

डॉ० चन्द्रकला : आप बार बार यह शिकायत करते हैं कि दाइयां आती नहीं हैं, तो आप इसका इलाज क्यों नहीं करते। ताकि वे आगे आयें ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसके लिये मैं आपकी सहायता चाहता हूँ।

प्रश्न संख्या २२६

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री लक्ष्मीचन्द।

पांचला बहुधन्धी सोसाइटी के सदस्य

२३०. श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : क्या सहकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या जिला जालोर के पांचला बहुधन्धी सोसाइटी में दिवालिये भी मेम्बर हैं ? यदि नहीं, तो इस सोसाइटी के कौन कौन मेम्बर हैं ? तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

सहकारी मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : अभी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता क्योंकि निम्नलिखित ६ सदस्यों के सम्बन्ध में दिवालिया होने की शिकायत हुई है, परन्तु अभी कोई सूचना नहीं मिली है :—

१. श्री कस्तूराराम
२. श्री रता
३. श्री मनवा
४. श्री बेना
५. श्री नवा
६. श्री छैला

श्री लक्ष्मीचन्द : इसकी जांच कौन ऑफिसर कर रहे हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वहां के असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार कर रहे हैं।

प्रश्न संख्या २३१

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री तेजमल बापना।

पपलाज बंध

२३२. श्री तेजमल बापना (बनेड़ा): Will the Irrigation Minister please state:-

(1) Whether survey of Paplaz Bund near Kotri is complete ?

(2) What is its command area and what land is going to be submerged under it ?

Page No.19

(श्री तेजमल बापना)

(3) What is its estimated cost and what will be the return ?

(4) As it is an important Bund, whether early sanction of its construction is under consideration ?

सिंचाई मन्त्री (श्री भीखाभाई) : (१) जी नहीं। पपलाज़ बान्ध का सर्वेक्षण अभी चालू है।

(२) इस बांध के सिंचित क्षेत्र और डूब में आने वाले क्षेत्र के नक्शे तैयार किये जा रहे हैं। सही आंकड़े नक्शे बनने के बाद दिये जा सकेंगे।

(३) अनुमानित लागत और रिटर्न तखमीना बनने के बाद बताया जा सकेगा।

(४) इस प्रश्न का उत्तर तखमीना बनने के पश्चात् ही दिया जा सकता है।

श्री तेजमल बापना : कब से तखमीने का काम चालू है ?

श्री भीखाभाई : १६ मई का बताया था। आप श्री सरदारसिंह, एक्ज़ीक्युटिव इन्जीनियर को साइट पर ले गये थे तब से हो रहा है।

प्रश्न संख्या २३३

श्री अध्यक्ष : श्री अनूपसिंह।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री मोहब्बतसिंह।

अदम्स मेमोरियल डिस्पेन्सरी, माउन्ट आबू

२३४. श्री मोहब्बत सिंह (सिरोही) : Will the Minister for Medical and Health be pleased to answer:—

Whether the Government contemplates to upgrade the Adams Memorial Dispensary at Mt. Abu to Class I Dispensary in view of the importance of this hill station ?

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : Adam's Memorial Dispensary, Mt. Abu is already a Class I Dispensary.

श्री अध्यक्ष : श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी।

डिस्ट्रिक्ट पेन्शनर्स यूनियन, भरतपुर के प्रस्ताव

२३५. श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या डिस्ट्रिक्ट पेन्शनर्स यूनियन, भरतपुर की ओर से पिछले दिनों राज्य सरकार के पास कोई प्रस्ताव आये थे ? यदि हां, तो वे क्या थे ? प्रस्तावों की सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(२) उक्त प्रस्तावों पर सरकार ने अब तक क्या निर्णय लिया है ? और यदि अभी नहीं लिया है, तो कब तक लेने का इरादा है ?

Page No.20

वित्त मन्त्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : (१)जी हां । प्रस्तावों की प्रतिलिपि संलग्न है।

(२) प्रस्ताव नं० २, ३, ४ और ६ पर राज्य सरकार ने निर्णय ले लिया है, जिसके अन्तर्गत प्रस्तावों में वर्णित मांग अस्वीकृत कर दी गई है । प्रस्ताव नं० १ व ५ विचाराधीन हैं ।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : ये प्रस्ताव कब आये थे ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : अभी आये हैं, मेरे खयाल से अगस्त या जुलाई में आये हैं ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : ये जनवरी में आये थे, बजट अधिवेशन से पहले आ चुके थे ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मेरी निगाह में तो राजबहादुरजी ने पत्र भेजा तभी आये थे ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : राजबहादुरजी ने पेन्शन थोड़े ही मांगी है, उन्होंने तो रिमाइन्डर भेजा होगा ।

ये विचाराधीन किस स्टेज पर हैं, प्रारम्भिक स्टेज पर हैं या अन्तिम स्टेज पर ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं निवेदन करूं, नं० १ और ५ में कहा है कि उनकी शक्तियों, सेवाओं का उपयोग किया जाय । किस प्रकार उनकी सेवाओं का उपयोग किया जाय, यह विचाराधीन है । इसी प्रकार बच्चों को शिक्षा की सुविधा, चिकित्सा की सुविधा के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों को कहा गया है कि इनके ऊपर विचार करें ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : नं० ६ पर मांग है, फेमिली पेन्शन की मौजूदा नियमों में देखा जाता है, पेन्शनर्स की विडोज़ को और बच्चों को, खास तौर से विडोज़ को आजीवन पेन्शन देना संभव नहीं है । इसमें कहते हैं :

"This House recommends to the Government that a suitable provision be made to provide suitable maintenance to the widow for her life time......

जिनके बच्चे या सहारा नहीं है, ऐसे पेन्शनर्स की विडोज़ को पेन्शन देने के लिए सरकार तैयार है कि नहीं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : राजस्थान पेन्शन रूल्स में उनको सहायता देने का ऑलरेडी प्रावधान है ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : कितने दिनों तक ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : १० साल के लिए, टेन ईयर्स ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : पर इस पीरियड को और लम्बा प्रोलोंग करने के लिए, लाइफ लोंग करने के लिए लिखा है ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह अभी तो मुश्किल है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री रामकरणसिंह ।

कोटपुतली नगरपालिका की नल व बिजली की मांग

२३६. श्री रामकरणसिंह (कोटपुतली): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) कोटपुतली नगरपालिका की ओर से नल व बिजली की मांग आने के बाद विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

(ख) क्या यह सही है कि उक्त नगरपालिका ने नल योजना का सर्वे करा कर सरकार के पास भेजा है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या क्या मदद और कितना ऋण कब तक दिया जावेगा ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री सम्पतराम) : (क) नगरपालिका कोटपुतली की ओर से नल योजना सम्बन्धी मांग आने पर नल विभाग द्वारा स्कीम बनाई जा चुकी है तथा उसकी छानबीन (Scrutiny) की जा रही है। बिजली सम्बन्धी कोई मांग सरकार के पास नहीं आई।

(ख) जब स्कीम बन कर तैयार हो जावेगी उसके बाद कुछ रकम नगरपालिका को ऋण के रूप में भी दे दी जावेगी।

श्री रामकरणसिंह : स्कीम नगरपालिका से सरकार के पास आई उसकी छानबीन कब से हो रही है ?

श्री सम्पतराम : निश्चित तारीख तो मेरे पास नहीं है, पर यह मेरी जानकारी में भी है और असिस्टेन्ट चीफ इन्जीनियर से फोन पर बात की तो वे कहते हैं कि उनके यहां से स्क्रुटिनी हो रही है।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : क्या इसका सर्वे करवा लिया है ?

श्री सम्पतराम : जी हां।

श्री रामकरणसिंह : सर्वे कराया तो वहां यह देखा कि किस प्रकार से उस पानी की कमी को पूरा किया जा सकता है ?

श्री सम्पतराम : सर्वे कराने के बाद ही स्कीम बनाई है। असिस्टेन्ट चीफ इन्जीनियर के यहां अन्डर स्क्रुटिनी है।

श्री अध्यक्ष : श्री लादूराम सुलाणियां।

चौमू केन्द्रीय क्रय-विक्रय सहकारी संघ की प्राईमरी सहकारी समिति

२३७. श्री लादूराम सुलाणिया (दूदू-सु०) : क्या सहकारी मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) चौमू केन्द्रीय क्रय-विक्रय सहकारी संघ की प्राईमरी सहकारी समिति लि० के कितने सदस्य हैं व इन समितियों की कुल सदस्य संख्या कितनी है ?

(२) क्या इन सहकारी समितियों को सरकार से कर्जा दिया गया है ? यदि हां, तो कितना ?

(३) क्या सरकार से मिला कर्जा सदस्यों

Page No.22

(श्री लादूराम सुलाणिया)

को बांटा गया है ? यदि हां, तो किस किस को और कितना कितना ?

(४) क्या यह सही है कि प्राईमरी सहकारी समितियों के सदस्यों की हिस्सा पूंजी संघ में है ? यदि हां, तो क्यों ?

(५) क्या यह सही है कि बुनकरों को ६२ नं० सूत १८) रु० प्रति बन्डल के हिसाब से दिया गया है और उसी सूत के कपड़े को खरीद करते वख्त १५ रुपया प्रति बन्डल लगाया गया ? यदि हां, तो क्यों और इसकी बची धन राशि कहां है ?

(६) क्या यह सही है कि संघ के मैनेजर ने ग्राम गलबड़ी में अपने भाई के नाम से हैन्डलूम फैक्ट्री खोल रखी है ? यदि हां, तो उसका कपड़ा कहां बिकता है ?

(७) क्या यह सही है कि उक्त फैक्ट्री का माल चौमू संघ में सहकारी समितियों के सदस्यों के नाम से खरीदा जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

सहकारी मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) तीस प्राईमरी सहकारी समितियां सदस्य हैं जिनके सदस्यों की संख्या १,३२५ है ।

(२) जी हां, २३ समितियों को कुल १,५६,३०५) ऋण दिया है ।

(३) जी हां ।

(४) जी नहीं ।

(५) जी नहीं ।

(६) जी नहीं । अन्य बातों का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(७) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री लादूराम सुलाणिया : इस समिति में जो समितियां हैं क्या उन सब को यह ऋण बांटा गया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जी हां ।

श्री लादूराम सुलाणिया : बन्डल सूत का १८ में दिया और उसका कपड़ा १५ में लिया तो मुनाफे की रकम कहां गई ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने जवाब दिया कि 'जी नहीं ।' ऐसा नहीं हुआ ।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : क्या इस बंडल की फरोख्तगी में और खरीद में कोई अन्तर नहीं है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : बिल्कुल नहीं । एक ही है ।

श्री लादूराम सुलाणिया : आम तौर पर जयपुर की दूकानों में केशमीमो हैं और जांच करा सकते हैं । १८) में बंडल देते हैं और कपड़ा लेते हैं १५) में तो ३) कहां चला जाता है, इसकी जांच नहीं कराई गई है, क्या सरकार जांच करायेगी ?

श्री अध्यक्ष : केशमीमो या दस्तावेज हो तो मन्त्री महोदय को पेश करें, जरूर जांच करेंगे ।

(विराम)

Page No.23

श्री अध्यक्ष : श्री रामधन ।

तहसील दौसा में प्रसूति गृह

२३८. **श्री रामधन** (दौसा) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :

(१) तहसील दौसा में कितने प्रसूति गृह हैं और कौन कौन से स्थान पर हैं ?

(२) क्या तहसील दौसा में भांडारेज, लवान, सैंथल और कुण्डल बड़े बड़े कस्बे हैं और इन कस्बों की जन संख्या भी काफी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन स्थानों पर प्रसूति गृह का निर्माण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) तहसील दौसा में केवल एक ही प्रसूतिगृह दौसा में है ।

(२) जी नहीं ।

श्री रामधन : ८-८ मील की दूरी पर एक ही प्रसूति गृह है और साधन नहीं कोई तो फिर क्यों नहीं खोला जाता ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : प्रसूति गृह एक ही काफी है । अभी तो डिस्पेन्सरी का सवाल है ।

श्री रामधन: प्रसूति गृह ८-८ मील पर होने से प्रसूति कैसे आवे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : दाइयां आज भी गांवों में काम करती हैं ।

श्री रामधन : १० प्रसूति आ जाय तो क्या होगा एक से ?

श्री अध्यक्ष : श्री जयसिंह राणावत ।

ट्रेक्टर व पम्पिंग सेट लोन—भीलवाड़ा

२३९. **श्री जयसिंह राणावत** (आसिन्द): क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

भीलवाड़ा जिले में किन किन व्यक्तियों को अब तक ट्रेक्टर व पम्पिंग सेट लोन कितना कितना दिया गया है ? सूची सदन की मेज पर, मय नक्शा हालात वसूली रखने का कष्ट करें ।

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : २६ व्यक्तियों को ट्रेक्टर व १४ व्यक्तियों को पम्पिंग सेट खरीदने के लिये कर्ज १९६०-६१ तक दिया गया है । इनकी सूची मय नक्शा हालात वसूली के संलग्न है ।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

श्री जयसिंह राणावत : क्या सरकार को मालूम है कि उनमें से अधिकांश सदस्यों ने लोन लेकर पब्लिक को अपनी जमीनों से बेदखल किया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह तो मैं नहीं कह सकता । यह प्रश्न तो आप राजस्व मन्त्री महोदय से पूछिये ।

श्री जयसिंह राणावत : सरकार ने यह सूची सावधानीपूर्वक बनाई है या असावधानीपूर्वक ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जहां तक मैं समझता हूँ सूची काफी सावधानी से बनाई गई है।

श्री जयसिंह राणावत : मैं जानना चाहता हूँ कि सूची में नं० ६ पर श्री यशपाल शुक्ला, बड़लियास और श्री ललितप्रसाद नं० ६ पर हैं, उनको जहाजपुर से लोन दिया गया बताया है तो क्या वे दोनों तहसीलों के रहने वाले हैं ?

श्री अध्यक्ष : तहसील का तो जिक्र नहीं है।

श्री जयसिंह राणावत : ५ और ६ के बीच में जहाजपुर लिखा हुआ है। यशपाल तो जयपुर में है और ललितप्रसाद भीलवाड़ा का है।

श्री नाथूराम मिर्धा : उनकी जमीन वहां पर होगी, रहने वाला यहां का क्यों न हो। ट्रेक्टर के लोन के लिए एप्लाई वहां किया होगा।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : सूची के अनुसार सब ही ने ट्रेक्टर खरीद लिये ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सब ही ने ट्रेक्टर खरीद लिये और पम्पिंग सेट लगा लिये।

श्री भैरोंसिंह : भारती ने भीलवाड़ा में फार्म खोल रखा है तो क्या ट्रेक्टर खरीद लिया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इस लिस्ट में तो नाम नहीं है।

श्री जयसिंह राणावत : वसूली की कार्यवाही कर रहे हैं तो क्या ट्रेक्टर कब्जे में किये हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जनरली नहीं कह सकता। व्यक्तिगत पूछें तो जानकारी करके जवाब दे सकता हूं।

श्री जयसिंह राणावत : तहसील के सामने तीन, चार साल से जो ट्रेक्टर पड़ा हुआ है और खराब हो रहा है क्या उसके सिलसिले में वसूली की कार्यवाही हुई है या नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : पर्टिकुलर आदमी के बारे में पूछें तो मैं जवाब दे सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री- रावतमल पारीक।

जल निकास योजना–बीकानेर शहर

२५०. **श्री रावतमल पारीक** (नोखा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार को विदित है कि पिछले वर्ष बीकानेर शहर में अधिक वर्षा के कारण पानी के निकास के लिये ६ लाख रुपये की स्कीम बनी थी जिसमें ४॥ लाख रुपये अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड को तथा २॥ लाख रुपये सरकार को तथा २॥ लाख रुपये नगर परिषद् को देने थे ? यदि हां, तो क्या इन सब ने अपने अपने हिस्से के रुपये दे दिये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री सम्पतराम) : जी हां, सरकार के आदेश संख्या डी..

(श्री सम्पतराम)

१३२०१ एफ १० एफ २२ एल० एस० जी० वी। ६ दिनांक १४–१२–५६ के अनुसार उक्त स्कीम बनी। इसके अनुसार बीकानेर में अधिक वर्षा के कारण क्षति प्राप्त क्षेत्रों में निर्माण कार्य के लिये पांच लाख रुपया सिटी इम्प्रूवमेंट कमेटी, बीकानेर द्वारा तथा २। लाख रुपया सरकार और २। लाख रुपया नगर परिषद्, बीकानेर द्वारा खर्च करने का प्रावधान था। प्राप्त सूचना के अनुसार इस समय नगर विकास बोर्ड, बीकानेर द्वारा उनकी निधि से २ लाख ७० हजार ३ सौ चौदह रुपये खर्च किये जा चुके हैं। सरकार द्वारा तीन वर्ष तक पचहत्तर हजार रुपये प्रति वर्ष अनुदान के रूप में देने का इस शर्त पर आश्वासन दिया गया था कि नगर परिषद् इस सम्बन्ध में अपनी निधि से पचहत्तर हजार रुपये खर्च करें, किन्तु नगर परिषद् ने अभी तक अपने हिस्से की रकम जमा नहीं कराई है।

श्री रावतमल पारीक : यदि नगर परिषद् रुपया जमा नहीं करा सकती है तो क्या सरकार उसको मिलने वाली सब्सीडी में से काट कर वह रुपया जमा नहीं कर सकती है?

श्री सम्पतराम : सब्सीडी में इतनी बड़ी रकम नहीं है। नगर परिषद् को यह जरूर लिखा गया है कि यदि रकम नहीं हो तो डेवलपमेंट के नाम पर लोन ले सकती है।

श्री रावतमल पारीक : जल्दी करवा कर रकम जमा कराने की कोशिश करेंगे?

श्री सम्पतराम : सरकार ने पहले ही लिख दिया है कि डेवलपमेंट लोन ले लीजिये और जमा करा दीजिये।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : पानी के निकास का काम अभी तक भी नहीं हुआ है, अभी भी पानी भरा हुआ है। योजना बनी हुई है और यही स्थिति रही तो इस प्रकार से योजना किस प्रकार से पूरी होगी? लोगों के मकान पानी में आज भी डूबे हुए हैं। नगरपालिका नहीं कर रही है तो सरकार क्यों नहीं करे?

श्री सम्पतराम : सरकार म्युनिसिपैलिटी को प्रेश कर रही है कि रुपया ले और लोन लेकर खर्च करे।

श्री मुरलीधर व्यास : वह इसी बात पर स्कीम पड़ी हुई है। लोगों के मकान डूबे हुए हैं, अभी भी पानी भरा हुआ है। आखिर उसका दूसरा कोई इन्तजाम क्यों नहीं किया जाता है? इधर से उधर जाने का रास्ता तक नहीं है, आखिर इसका इन्तजाम क्या होगा?

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

राजस्थान नहर की लिफ्ट स्कीम

२४१. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या मंत्री, राजस्थान नहर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) क्या राजस्थान नहर की कोई लिफ्ट स्कीम बनी हुई है? अगर हां, तो कृपया स्कीम की प्रति को सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(श्री भीमसेन)

(२) अगर कोई स्कीम नहीं है, तो क्या ऐसी कोई स्कीम कहीं बनने की उम्मीद है ?

राजस्थान नहर मंत्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : (१) जी नहीं।

(२) जी हां।

श्री भीमसेन : 'जी हां', और 'जी नहीं' का क्या मतलब है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : लिफ्ट स्कीम तैयार नहीं हुई है लेकिन बनाई जा रही है।

श्री भीमसेन : अगर स्कीम बनाई जा रही है तो एक्स्ट्रा पानी इर्रिगेशन के लिए कितनी क्वान्टिटी में मिलेगा ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : एरिया का सर्वे हो रहा है और जब तक पैरीनियल इर्रिगेशन नहीं होगा, जिसके लिए १० वर्ष लगेंगे, तब तक लिफ्ट इर्रिगेशन का सवाल नहीं है। इसलिए कितना पानी लगेगा और एरिया कितना आयेगा; नहीं कह सकता।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : क्या यह सही है कि राजस्थान कैनाल के मास्टर प्लॉन में लिफ्टिंग एरिया कितना आयेगा, यह उसमें संकेत किया हुआ है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : जी हां, किया हुआ है।

श्री भैरोंसिंह : फिर आप कह रहे हैं कि सर्वे नहीं हुआ ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : प्रिलिमिनरी सर्वे हुआ है, पूरा सर्वे तो अब शुरू होगा।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : सर्वे हुआ नहीं और आप कह रहे हैं कि दस वर्ष तक भी पानी नहीं आ सकता है तो कैसे अन्दाज लगा लिया ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : मेरा सवाल समझने की कोशिश नहीं की। जब तक पैरीनियल इर्रिगेशन स्कीम नहीं होगी तब तक लिफ्ट इर्रिगेशन नहीं होगा; दस वर्ष लगेंगे। योजना बन रही है और बता दी जावेगी।

श्री भीमसेन : कितने एरिया में पानी मिलेगा, जो सरकार को अन्दाज नहीं था तो एरिया किस प्रकार डिमार्केट कर दिया ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : योजना बनी हुई है लेकिन विचाराधीन है।

श्री भीमसेन : कुछ एरिया को लिफ्ट इर्रिगेशन में डिक्लेयर कर दिया है और इस कारण खातेदारी राइट्स नहीं दिये हैं। इस तरह से काश्तकारों को दिक्कतें आ रही हैं तो योजना कब तक बन जायेगी ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : लिफ्ट इर्रिगेशन अभी अमल में नहीं आ सकता लेकिन वह आयेगा। इसलिए वहां पर खातेदारी नहीं दे सकते। यदि दे दें तो लिफ्ट इर्रिगेशन नहीं कर सकते।

श्री अध्यक्ष : श्री तनसिंह।

(१२ मध्यान्ह)

बाड़मेर में पीने के पानी की समस्या का हल

२४२. श्री तनसिंह [बाड़मेर—श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) द्वारा पूछा गया] : क्या मंत्री, स्वायत्त शासन विभाग यह बताने की कृपा करेंगे —

(१) गत वर्ष मंत्री मंडल की जो बैठक बाड़मेर में हुई, उस समय पीने के पानी की समस्या को हल करने के लिये क्या माननीय मुख्य मंत्री ने बाड़मेर के नागरिकों को कोई आश्वासन दिया था ?

(२) यदि हां, तो उस आश्वासन की क्रियान्विति के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

(३) क्या यह सही है कि इस सिलसिले में बाड़मेर नगरपालिका को कुछ रुपया स्वीकृत किया गया और उसमें से १२,००० रुपया के खर्च से एक नया कुंआ खुदवाया गया ?

(४) क्या यह सही है कि १२,००० रु० खर्च भी हो गए और कुआ पांच हाथ भी नहीं खुदा ?

(५) क्या यह सही है कि इस सिलसिले में कोई सरकारी राशि के दुरुपयोग का मुकदमा भी दर्ज किया गया है ? यदि हां, तो उसकी क्या स्थिति है ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री सम्पतराम) : (१) जी हां।

(२) नगरपालिका को पानी की व्यवस्था करने के लिये सरकार ने १.५२ लाख का ऋण स्वीकृत कर दिया तथा पालिका ने निम्बाला एवं बोटियो कुंओं से ट्रकों व ठेकों से पानी लाकर जनता को सप्लाई किया। इस समस्या को पूर्णतया हल करने के लिए एक स्कीम ५१ लाख रुपये की बनाई जा चुकी है जो सरकार के विचाराधीन है।

(३) जी हां।

(४) जी नहीं। कुंआ ६० फीट तक खुद चुका है परन्तु जल प्राप्त नहीं हुआ।

(५) जी नहीं।

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या इस किस्म की शिकायत आई थी कि कुआ केवल पांच फीट ही खुदा है ?

श्री सम्पतराम : मेरे पास कोई शिकायत नहीं आई।

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या यह सत्य है कि कुंआ केवल पांच फीट ही खुदा और बताया ६० फीट गया है ?

श्री सम्पतराम : सत्य वह है जो मैंने जबाब दिया।

अस्पताल, कोटपुतली

२१६. श्री रामकरणसिंह (कोटपुतली): क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बतानेकी कृपा करेंगे:-

(१) क्या डिस्पेन्सरी व अस्पतालों में दवा बीमारों को विभाग की ओर से मुफ्त दी जाती है ?

(२) क्या यह सही है कि मेल अस्पताल,

(श्री रामकरणसिंह)

कोटपुतली के डॉक्टर ने गत दो वर्षों अर्थात् १९५९ व ६० में कई बार दवा और पट्टी के लिए लिखा परन्तु सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया ? यदि हां, तो वहां पर दवा व पट्टी आदि न दी जाने का क्या कारण है ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) जी हां । फारमोकोपिया में दी गई दवाइयां व संचालक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के परिपत्र संख्या ९३ दिनांक ६-२-५५ में अंकित दवाइयां बाह्य रोगियों को मुफ्त दी जाती है। अन्य साधारण दवाइयां जो अस्पताल में रखी जाती हैं, अंत: वे रोगियों को भी मुफ्त दी जाती है।

(२) जी नहीं।

श्री रामकरणसिंह : आपने दूसरे भाग का क्या जवाब दिया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जी नहीं। वहां के अस्पताल के लिए १२,४०० रुपये की स्वीकृति थी। वहां १४,७१३ रु०, ४९ न. पै. खर्च हुए। जनाना अस्पताल में ६,८५० की जगह ९,९९७ रुपये खर्च हुए।

श्री रामकरणसिंह : क्या यह सही है कि वहां पट्टी आदि भी नहीं थी उसके लिये लिखने पर भी नहीं भेजा गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ज्यों ज्यों डॉक्टरों के इन्डेन्ट प्राप्त होते गये यहां से वे दवाइयां पट्टी आदि भेज दी गई।

रायपुर–दीपावास बांध योजना

२२९. श्री शंकरलाल (रायपुर) : क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) पाली जिले के रायपुर–दीपावास बांध की योजना कितने समय से विचाराधीन है ?

(२) इस योजना की सर्वे कब हुई, तकमीना कब बना और सरकार को मन्जूरी के लिए कब प्रेषित की गई ?

(३) इस योजना में कितनी लागत लगेगी, कितनी भूमि की सिंचाई होगी और कितना प्रतिशत रिटर्न होगा ?

(४) इस योजना के इतने लम्बे अर्से तक विचाराधीन रहने के क्या कारण हैं ?

(५) यह योजना स्वीकृत होकर कब तक कार्य चालू होने की संभावना है ?

सिंचाई मन्त्री (श्री भीखाभाई) : (१) रायपुर–दीपावास बांध के सर्वेक्षण व जांच का कार्य सन् १९५८ से चल रहा है।

(२) इस योजना की प्रारम्भिक सर्वे सन् १९५८ में की गई थी। तकमीना अभी तक फाइनेलाइज़ नहीं हुआ है। सरकार को मंजूरी हेतु भेजने का प्रश्न नहीं उठता।

(३) इस योजना की अनुमानित लागत, सिंचाई व प्रतिशत रिटर्न क्रमशः ९.३० लाख रुपये, २,६७० एकड़ व १.२८ होगी।

(४) इसके दो कारण हैं; प्रथम तो इस बांध के बनने से इस नदी पर नीचे बने हुये चौपड़ा नामक बंध में पानी की आवत में

(श्री भीखा भाई)

कमी होने की आशंका है जिसके लिये नदी का हाइड्रॉलोजिकल डेटा दो वर्षों तक एकत्रित किया गया। दूसरा कारण यह है कि रायपुर बांध, दिल्ली—अहमदाबाद मुख्य रेलवे लाइन के बहुत नजदीक होने के कारण, रेलवे अधिकारियों द्वारा इसकी स्वीकृति आये बिना, इस योजना को कार्यान्वित नहीं किया जा सकता।

(५) रेलवे अधिकारियों की स्वीकृति आने पर इस योजना को फाइनेलाइज़ किया जा सकेगा।

बस्ती पुनर्निर्माण योजना, जयपुर

२३१. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या गंगा टॉकीज, जयपुर के पीछे की बस्ती के पुनर्निर्माण की एक योजना नगर विकास मंडल द्वारा बनाई गई थी? यदि हां, तो उसमें अभी तक क्या क्या काम हुआ है?

(२) क्या बस्ती का सर्वेक्षण कार्य हो चुका है? यदि हां, तो कब और किसके द्वारा?

(३) इस बस्ती में कितने प्लॉट्स काटे जाने की योजना है और किस किस श्रेणी के?

(४) इस बस्ती में कुल कितने घर हैं, जिन्हें आबाद करना है?

(५) इस योजना को क्रियान्वित करने में कितना समय लगेगा?

(६) इस बस्ती के विकास पर कुल कितने खर्चे की योजना है और वह खर्चा कौन वहन करेगा?

(७) क्या यह सही है कि इस बस्ती के बीच में से होकर आगरा रोड से आदर्श नगर रोड तक एक सड़क बनाने के टेन्डर आमंत्रित किए गए हैं?

(८) क्या यह सही है कि इस सड़क में जो मकान व दुकान आते हैं उनके मालिकों को कोई नोटिस नहीं दिया गया है? यदि हां, तो फिर यह सड़क कैसे बनेगी?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री सम्पतराम) : (१) जी हां। इस योजना को बनाने के लिये अर्बन इम्प्रूवमेंट एक्ट की धारा ३२ के अन्तर्गत विज्ञप्ति प्रकाशित की जा चुकी है।

(२) जी हां। नगर विकास मंडल द्वारा इस योजना का सर्वेक्षण कार्य किया जा चुका है।

(३) इस योजना में निम्नलिखित विवरण के भूखंड बनाने प्रस्तावित हैं:—

४४ ए० क्लास प्लॉट
५३३.३ वर्ग गज प्रति भूखंड

८६ बी० क्लास प्लॉट
२६६.६ वर्ग गज प्रति भूखंड

६० सी० क्लास प्लॉट
२२२.२ वर्ग गज प्रति भूखंड

(४) इस विषय में वर्तमान स्थिति की सूचना उपलब्ध नहीं है।

Page No.30

(श्री सम्पतराम)

(५) इस योजना को नियमानुसार आरम्भ करने में लगभग एक वर्ष और लगेगा ।

(६) इस योजना पर लगभग ६,२०,००० रु० व्यय आवेगा और उसे इम्प्रूवमेण्ट ट्रस्ट वहन करेगा ।

(७) जी हां ।

(८) जी हां जिस समय इस सड़क के लिये टेन्डर आमन्त्रित किये गये थे उस समय इन कच्चे मकानों के मालिक स्वतः ही अपने मकान खाली करने और दूसरे स्थानों पर अस्थायी रूप से बसने के लिये तैयार थे । परन्तु बाद में ये लोग इसके लिये तैयार नहीं दिखाई दिये और इसीलिये अब इन मकानों आदि को समाप्त करने के लिये नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है ।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : क्या इस योजना को सरकार की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है ?

श्री सम्पतराम : यह सारा ट्रस्ट एक्ट के प्रोविजन्स के मुताबिक किया जा रहा है ।

श्री भैरोंसिंह : इस सब की स्वीकृति तब होगी जब फाइनेलाइज़ हो जायेगी ?

श्री सम्पतराम : क्या आप यह पूछ रहे हैं कि सरकार की स्वीकृति नहीं हुई ; जी नहीं ।

श्री भैरोंसिंह : जब सरकार द्वारा इस योजना की स्वीकृति नहीं हुई, इस योजना के अन्तर्गत सड़क निकालने के टेन्डर क्यों मांग लिये गये ?

श्री सम्पतराम : आप यदि अर्बन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट एक्ट को पढ़ते तो शायद यह कहने की नौबत नहीं आती । ट्रस्ट स्टेट्युटरी बॉडी है उसको इस प्रकार के अधिकार हैं ।

श्री भैरोंसिंह : जब सरकार द्वारा स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई तब तक सड़कों के लिये टेन्डर इन्वाइट नहीं किये जा सकते ।

श्री सम्पतराम : जो एक्ट विधान सभा द्वारा पारित किया गया है उसके प्रोविजन्स के मुताबिक कार्यवाही की जा रही है ।

श्री भैरोंसिंह : विधान सभा द्वारा पारित एक्ट के द्वारा जब तक सरकार की स्वीकृति प्राप्त नहीं होती, उस समय तक ऐसी स्कीम को कार्य रूप में परिणित नहीं किया जा सकता ?

श्री सम्पतराम : ऐसा नहीं है । जब स्कीम पूरी बन जाती है उसके बाद स्वीकृति ली जाती है । स्वीकृति देते हैं, टाइम ऑफ फेक्टर के लिये ली जाती है कि इतने समय में इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट को इस काम को पूरा कर देना चाहिये ।

श्री भैरोंसिंह : जब सरकार की खुद की स्वीकृति नहीं और उस एरिया में रोड बने उसके लिये अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट किस

(श्री भैरोंसिंह)

प्रकार से टेन्डर इन्वाइट कर सकता है बगैर सरकार की स्वीकृति के ?

श्री सम्पतराम : यह मेरे खयाल से आपने एक्ट को पढ़ा नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : आप ही विद्वान् मत बनिये। यह सदन इम्तिहान ले सकता है : मैंने एक्ट पढ़ा है या आपने नहीं पढ़ा ? उस एक्ट में यह साफ है कि जब तक सरकार द्वारा स्कीम की स्वीकृति नहीं होती तब तक किसी प्रकार का कार्य वहां नहीं हो सकता।

श्री सम्पतराम : मैंने यह कहा जब सारी स्कीम बन जाय उसके बाद उसकी इन्क्वायरी करने का होता है। वह अधिकार म्युनिसिपैलिटी का है। म्युनिसिपैलिटी चाहे किसी चीज की इन्क्वायरी करा सकती है। पहले स्कीम फाइनल होती है उसके बाद सरकार की स्वीकृति ली जाती है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य यह पूछ रहे हैं बिना स्कीम की स्वीकृति के टेन्डर सड़कों के लिये इन्वाइट कैसे कर लिये ?

श्री सम्पतराम : जब लैन्ड एक्वीजिशन में आवेगी उस पर अध्यक्ष महोदय, सरकार की स्वीकृति ली जाती है।

श्री भैरोंसिंह : जब कि यह रोड इस स्कीम का पार्ट है और अब तक स्कीम सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं हुई और रोड स्कीम का पार्ट है और उस रोड के लिये अरबन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट ने टेन्डर्स इन्वाइट कर लिये ?

श्री सम्पराम : अगर यह स्कीम का पार्ट है तो भी एक्वीज़िशन की प्रोसीडिंग्ज़ लैन्ड एक्वीज़िशन एक्ट के तहत होगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है रोड बनने के लिये लैन्ड एक्वीज़िशन एक्ट के तहत कोई कार्यवाही नहीं हुई और रोड के लिये टेन्डर मांग लिये गये ?

श्री सम्पतराम : इसका जवाब मैं दे चुका हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : रोड बनाने के लिये लैन्ड एक्वीज़िशन की कार्यवाही नहीं हुई और उसके लिये गवर्नमेन्ट ने सैंक्शन नहीं दी फिर भी टेन्डर्स इन्वाइट कर लिये। दूसरी तरफ लोगों के मकान तोड़ने की कार्यवाही हो चुकी है। लोग जो बरसात में यह चाहते थे कि अपने मकानों की मरम्मत करवा लें, लेकिन उनको यह भय बना हुआ है कि कहीं उनका मकान भी रोड के अन्दर न आ जाय इसलिये वे उसकी मरम्मत भी नहीं करवा रहे हैं।

श्री सम्पतराम : अभी तो वहां पर कुछ नहीं हो रहा है।

श्री भैरोंसिंह : किसी चीज को एक्वायर करते हैं जब कि सारी की सारी स्कीम फाइनेलाइज़ हो जाती है। क्या एक्वीज़िशन की सारी की सारी कार्यवाही फाइनेलाइज़ हो चुकी ?

श्री सम्पतराम : एक्वीज़िशन का सवाल तो बाद में आता है।

श्री भैरोंसिंह : यही तो हम पूछ रहे

(श्री भैरोंसिंह)

हैं—बिना एक्वीज़िशन की कार्यवाही किये, बिना स्कीम के सरकार द्वारा स्वीकृति के—रोड के लिये टेन्डर इनवाइट कर लिये ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। वहां पर गरीब लोग बसे हुए हैं। उनको वहां से हटाने के लिये सारी कार्यवाही की जा रही है। आप कहते हैं कि सरकार द्वारा उस स्कीम की स्वीकृति नहीं हुई, रोड के नाम से टेन्डर इनवाइट हो रहे हैं। बरसात के दिनों में मकान मालिकों ने मकानों की मरम्मत तक नहीं करवाई इसलिये कि न मालूम उनके मकान भी इस रोड के अन्तर्गत आ जायं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : रोड के लिये टेन्डर इन्वाइट करने से क्या रोड बन गई ? यह तो ठीक है पहले टेन्डर इन्वाइट करके रख लिये जायं उसके बाद रोड की कार्यवाही हो।

श्री भैरोंसिंह : तीन महीने की मियाद-रोड बननी शुरू हो जायेगी। टेन्डर में इतनी मयाद दी गई है। वहां जो मकान हैं ध्वस्त कर दिये जायेंगे।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : टेन्डर मंगा कर रख लेना तो ठीक है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री लादूराम सुलाणियां (दूदू-सु.) : मंत्री महोदय ने यह कहा कि वे लोग वहां से अपने आप मकान छोड़ कर चले गये, इस बात की आपने किसी से जांच करवाई है क्या कि वे मकान खुद-ब-खुद छोड़ कर चले गये या उनको छुड़वाया गया ?

श्री अध्यक्ष : श्री अनूपसिंह।

अरबन इम्प्रूवमेन्ट कौन्सिल, जोधपुर

२३३. **श्री अनूपसिंह** (बालोतरा) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि जोधपुर शहर के लिये कोई अरबन इम्प्रूवमेन्ट कौंसिल बनी हुई है ? यदि हां, तो इसके कौन कौन मेम्बर हैं और पिछले तीन महिनों में कितनी बार इस कौंसिल की बैठक हुई ?

(२) क्या यह सही है कि जोधपुर में मसूरिया कॉलोनी बसाने का एक ब्ल्यू प्रिन्ट बना हुआ है ? यदि हां, तो कृपया ब्ल्यू प्रिन्ट की कॉपी सदन की मेज पर रखें।

(३) क्या यह सही है कि इसी ब्ल्यू प्रिन्ट में एक प्लॉट के ऊपर भावी बाजार (फ्यूचर मार्केट) लिखा था, जिसे कौंसिल ने, सर्व सम्मति से ता० २२-१-६१ की बैठक में शिक्षा विभाग को एक लड़कियों की उच्च माध्यमिक हाई स्कूल बनाने हेतु सौंप देने का निश्चय किया है ?

(४) क्या यह सही है कि इस निर्णय के बाद शिक्षा विभाग को स्कूल भवन निर्माण के लिये रोक दिया गया और बताया गया कि

Page No.33

(श्री अनूपसिंह)

उक्त भावी बाजार वाली जमीन किसी व्यक्ति विशेष की पहले से खरीदी हुई है ?

(५) क्या जब ब्ल्यू प्रिन्ट बनाया गया और कौंसिल द्वारा ता० २२-१-६१ को निर्णय लिया गया तब यह तथ्य मालूम नहीं था ?

(६) क्या यह सही है कि कुछ प्राइवेट पार्टीज़ इस जमीन को लेना चाहती हैं, इसलिये स्कूल भवन का निर्माण रोका गया है ?

(७) क्या यह सही है कि केन्द्रीय सहायता के जो ७५,०००) रुपये इसी स्कूल भवन हेतु स्वीकृत हैं, वे गत मार्च तक निर्माण कार्य शुरू नहीं होने के कारण लैप्स हो गये ?

(८) वे प्राइवेट पार्टी कौनसी हैं और कब व कितने में यह जमीन उनको दी गई ? क्या सार्वजनिक कार्य हेतु उक्त जमीन पुनः एक्वायर नहीं की जा सकती ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री सम्पतराम): (१) जी हां। इसमें निम्नलिखित सदस्य हैं। कलेक्टर, जोधपुर—चेयरमैन । प्रेसीडेन्ट म्यूनिसिपल बोर्ड, जोधपुर—श्री जयलाल शर्मा। अधिशासी अभियन्ता, नगर विकास जोधपुर। श्री जगन्नाथ पुरोहित। श्री नरेन्द्र-कुमार सांघी। श्री मक्तुरमल सिंघवी।

पिछले तीन महिनों में एक बैठक हुई।

(२) जी नहीं।

(३) भाग (२) में दिये गये उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न उठता ही नहीं। २२-१-६१ को कौंसिल की कोई बैठक नहीं हुई।

(४) भाग (३) में दिये गये उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

(५) प्रश्न नहीं उठता।

(६) यह प्रश्न भी नहीं उठता।

(७) इस विभाग को इसकी जानकारी इसलिये नहीं है कि स्कूल का नाम व तफ़सील दर्ज नहीं है।

(८) उक्त भाग (२) में दिये गये उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न भी नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री आबिदअली।

(१२.१५ म. प.)

राजस्थान टिनेन्सी अधिनियम, १९५५ से सम्बन्धित याचिका का उपस्थापन

श्री आबिदअली (सवाई माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान टिनेन्सी अधिनियम, १९५५ के सम्बन्ध में ७४ याचिकाएं देने वाली निःसष्टार्थ याचिका प्रस्तुत करता हूँ।

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, १९६१

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल द्वारा संकल्प की प्रस्तुति, विधेयक पर विचार-विमर्श एवं पारण)

श्री अध्यक्ष: राजस्थान म्युनिसिपैलिटीज़

(श्री अध्यक्ष)

अमेण्डमेन्ट बिल, १९६१ । श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान नगरपालिका संशोधन अध्यादेश ६१ (अध्यादेश संख्या ४ सन् ६१) जो राज्यपाल महोदय के द्वारा ३१ जुलाई, ६१ को जारी किया गया और जिसको सब्स्टीट्यूट करने की दृष्टि से राजस्थान नगरपालिका संशोधन विधेयक सदन के सामने विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है, उस सम्बन्ध में उस अध्यादेश को डिसएप्रूव करने की दृष्टि से मैंने यह संकल्प प्रस्तुत किया है ।

अध्यक्ष महोदय, अभी इस सदन में जब पिछली बार राजस्थान नगरपालिका निर्वाचन वैधकरण अध्यादेश के सम्बन्ध में तथा आबकारी संशोधन अध्यादेश के सम्बन्ध में मैंने सदन में जो दो संकल्प प्रस्तुत किये थे और अपने विचार उन पर प्रकट किये थे, तो उस समय अध्यक्ष महोदय, मैंने अध्यादेश जारी करने की इस सरकार की परम्परा की घोर भर्त्सना की थी ।

आज भी हमारे सामने और यहां सदन के सामने यह फिर एक नया अध्यादेश आया है, जिनके बारे में इस सदन ने पहले भी अपनी असहमति प्रकट की है । इस प्रकार यह राज्य सरकार आये दिन अध्यादेश जारी करती रहती है; यह इसकी परम्परा ठीक नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूँगा कि यह जो इस प्रकार का अध्यादेश जारी किया गया है या इससे पूर्व जो अध्यादेश जारी किये गये थे, उनका और उसके प्रावधानों का तुलनात्मक दृष्टिकोण रखने के बाद हरेक माननीय सदस्य इसी नतीजे पर पहुंचेगा कि जहां एक ओर यह अध्यादेश जारी करने की परम्परा अच्छी नहीं है, वहां दूसरी ओर इस अध्यादेश के प्रावधानों के बारे में विचार करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि जो यह अध्यादेश जारी किय गया है और जिसके जारी करने का श्रेय हमारे माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री को है और जिनके सम्बन्ध में इस सदन में कटु आलोचना भी की गई, जिसकी आवश्यकता के बारे में और जिनके प्रावधानों के बारे में भी कटु आलोचना की गई और इसके बाद मैंने इस नये अध्यादेश को देखा और इसके प्रावधानों को देखा तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि इस सारे अध्यादेश से अधिक भयंकर और सीरियस बात किसी में नहीं थी; सबसे अधिक भयंकर और सीरियस बात अगर किसी में हो सकती है तो इसमें है और इसलिए इस बारे में मैंने यह संकल्प प्रस्तुत किया है ।

कहने में बात साधारण लगती है और कारण प्रस्तुत करते वक्त साधारण तौर से मन्त्री महोदय एक सेट रिप्लाई दे देते हैं कि इसकी बड़ी आवश्यकता थी । मैं नहीं समझता कि ऐसी कौनसी बड़ी आवश्यकता थी, ऐसा क्या कारण था, क्या विशेष परिस्थिति थी । उन्होंने जो कारण प्रस्तुत किये वे भी ऐसे कोई कन्विन्सिंग नहीं हैं । मैं अब भी नहीं समझ सका कि ऐसे अध्यादेश की विधान सभा के मिलने के सिर्फ १॥ महीने पहले

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

जारी करने की क्या आवश्यकता पड़ गई थी। कोई ऐसी परिस्थिति नहीं थी, फिर क्यों ? यह तो मन्त्री महोदय अपने जवाब में बतावेंगे कि किन कारणों से और किन परिस्थितियों में इसे जारी किया गया है। मैं निवेदन करूंगा कि जो अध्यादेश जारी किया गया है माननीय सदस्यों ने उसके प्रोविज़न्स को देखा होगा। इसमें कोई माइनर टैक्नीकलिटी भी नहीं है। फिर इसमें बड़ी गूढ़ बातों का समावेश किया गया है। इन गूढ़ बातों की उस समय आवश्यकता थी या नहीं या परिस्थिति थी या नहीं, यह तो मन्त्री महोदय अपने उत्तर में फरमावेंगे; पर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा इस बात की ओर कि किस तरह से आज राजस्थान सरकार लोकतान्त्रिक शासन के स्वस्थ विकास में बाधाएं डालती जा रही है, लोकतन्त्र की रीढ़ जिसे कहा गया है उस स्वायत्त शासन पर छुरा चला रही है। मैं समझता हूं सदन को बड़ी गम्भीरता से इस पर विचार करना चाहिये। लोकतन्त्र में स्वायत्त शासन का क्या स्थान है, इसके लिए कहने की आवश्यकता नहीं, हम सब जानते हैं। ऐसे बड़े–बड़े लोकतन्त्र के दिग्गज पंडितों ने प्रवचन किये हैं, भिन्न–भिन्न व्याख्याएं की हैं और जोर दिया है कि जहां तक हमारी स्वायत्त शासन संस्थाओं का सवाल है, वे इस लोकतन्त्र का मूल मन्त्र हैं।

आज मैं समझता हूं कि हम लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण करने जा रहे हैं राजस्थान में। हमने आज लोकतन्त्र को अपना मूल मन्त्र माना है। डेमोक्रेसी को अपनाया है। अगर लोकतन्त्र हमारे जीवन का मूल मन्त्र है, भारत के जीवन का, जन जीवन का विकास करना चाहते हैं तो मैं निवेदन करना चाहूंगा सदन के माननीय सदस्यों से कि वे इस प्रकार के कानून की व्यवस्था करें कि जिससे स्वायत्त शासन संस्थाओं की जड़ें मजबूत हों और जो प्रावधान, किसी भी कानून का, इसके विपरीत बात करता हो, स्वायत्त संस्थाओं की जड़ों को खोखली करता हो तो उस कानून का डट कर मुकाबला करें। मैं कहता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं कि इस कानून के जो प्रावधान हैं वे लोकतन्त्र को और इन स्वायत्त संस्थाओं की जड़ें खोखली कर रहे हैं। इसके द्वारा लोकतन्त्र का गला घोंटा जा रहा है, उसकी हत्या की जा रही है। इसके प्रोविजनों को देखने के बाद मुझे आश्चर्य हुआ कि जो प्रोविजन इसमें किये गये हैं, क्या उनसे इस राजस्थान सरकार को यह समझा जावे कि यह डेमोक्रेसी की हिमायती है ? मैं इसके दो, चार प्रावधानों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

इसमें एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति की व्यवस्था की है। कह सकती है राज्य सरकार कि कुछ ऐसी परिस्थितियां आ गई हैं या हो सकती हैं कि हमारे यहां पर एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया जाना आवश्यक है। यह हो सकता है ऐसी परिस्थिति हो, जिसके आधार पर राजस्थान म्युनिसिपल एक्ट की धारा ४७ में संशोधन किया गया है। जब सारी ही नगरपालिका को अवैध घोषित कर दिया जावे तो वे प्रशासक की नियुक्ति कर सकते थे। पर इसमें इस प्रकार का संशोधन इस कानून के जरिये लाया जा रहा है कि जिसके जरिये यह व्यवस्था की है कि सारे ही सदस्यों को नहीं,

Page No.36

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

पर दो–तिहाई या बहुमत के आधार पर अगर चुनाव अवैध किये जावें तो भी प्रशासक की नियुक्ति की जा सके।

इसके साथ साथ धारा २९३ में भी संशोधन किया है और इसमें एक नई धारा जोड़ने की व्यवस्था की है जिसके द्वारा राजस्थान सरकार ने विशेष परिस्थितियों में जिसका विश्लेषण किया गया है उनके आधार पर प्रशासक की नियुक्ति का अधिकार अपने हाथ में लेने की चेष्टा की है। नियुक्ति के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूँगा। हो सकता है आज राज्य सरकार को यह अधिकार दिया जाता है तो धांधली कर सकती है पर इसके लिए राज्य सरकार यह दलील देती है, जब कभी सदन के अन्दर ऐसे अवसर पर इसके विरूद्ध चर्चा होती है तो राज्य सरकार यह दलील देती है कि आप सरकार में विश्वास रखिये; हम उन अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करेंगे और अगर करेंगे तो किन्हीं विशेष संकटकालीन परिस्थिति में करेंगे और तभी नगरपालिका को भंग करके प्रशासक को नियुक्ति करेंगे। यह आश्वासन दिया गया था तब भी जब इसकी चर्चा यहां चल रही थी। प्रशासक की नियुक्ति का क्लॉज़ जब सदन में आया था और उस अवसर पर यह आशंका प्रकट की गई थी कि इसका दुरुपयोग किया जावेगा तो उस समय भी सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि जहां तक प्रशासक की नियुक्ति का सवाल है, उसमें पक्षपात नहीं होगा। उनके कारण नगरपालिका और स्वायत्त शासन संस्थाओं के विकास पर रोक नहीं लगावेंगे, उनका स्वस्थ विकास होने देंगे; आश्वासन दिया था इस सदन में। माननीय स्वायत्त शासन मन्त्रीजी यह कह सकते हैं कि वे सारे आश्वासन मुझ से पहले वाले मन्त्री महोदय ने दिये थे। हो सकता है कि उनसे पहले वाले मन्त्री महोदय ने यह आश्वासन दिये हों और उससे वे पाबन्द न हों, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो आश्वासन हमारे मन्त्रिमण्डल के किसी भी सदस्य ने दिया हो, मन्त्रिमण्डल के दूसरे सदस्य उन आश्वासनों से पाबन्द हैं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, हमने क्या देखा है, हमारा अनुभव क्या है कि पिछले दिनों राजस्थान की नगरपालिकाओं के अन्दर जो प्रशासकों की नियुक्तियां हुईं, उनके सम्बन्ध में सदन के माननीय सदस्यों को किस प्रकार का अनुभव हुआ। हमने देखा है कि राजस्थान के अन्दर १५–२० नगरपालिकायें ऐसी थीं कि जिनके ऊपर राज्य सरकार ने एडमिनिस्ट्रेटर्स का अपोइन्मेन्ट किया और एडमिनिस्ट्रेटर्स के अपोइमेन्ट के बारे जो उन्होंने विधेयक प्रस्तुत किया है उसमें उन्होंने एक सूची दी है। उस सूची के अनुसार उन्होंने उनके अपोइन्टमेन्ट को जायज़ करार देने के लिए एक विधेयक की व्यवस्था की है और इसमें उन्होंने १९ नगरपालिकाओं का उल्लेख किया है। जयपुर और पाली की नगरपालिकाओं के लिए तो एक अलग से विधेयक पेश किया गया। वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर्स के अपोइन्टमेन्ट को वेलिडेट करने के लिए इस प्रकार से हमारे राजस्थान में कुल २१ नगरपालिकायें थी। इनमें से आज भी कुछ ऐसी ही हैं कि जहां प्रशासक नियुक्त हैं और कुछ के चुनाव हो गये हैं, कुछ के अन्दर नये अपोइमेन्ट्स हो गये हैं। इस प्रकार से राजस्थान में जितनी भी नगरपालिकाएं हैं उनमें से २१ ऐसी

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

नगरपालिकायें थीं जहां कि प्रशासक नियुक्त थे। अब हम इस बात को देखें कि हमारे यहां राजस्थान के अन्दर नगरपालिकाओं की कुल संख्या कितनी है। हमारे यहां नगरपालिकाओं की संख्या लगभग ६० के आस-पास होगी, इससे कुछ कम हों या ज्यादा हों। नगरपालिकाओं की कुल संख्या में से २५ प्रतिशत यानि १४ नगरपालिकाओं के ऊपर प्रशासकों की हुकूमत है और इस प्रकार से जहां नगरपालिकायें हैं वहां के नागरिकों में से १४ नागरिकों के नागरिक अधिकार राजस्थान सरकार ने छीन लिए और उनको उनके अधिकारों से वंचित कर दिया है जो कि उन नागरिकों को होने चाहिए।

मैं कहूँगा और दावे के साथ कहूँगा और अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा सरकार के ऊपर आरोप करूंगा कि उसने हमारे यहां २१ नगरपालिकाओं के ऊपर प्रशासकों की नियुक्ति करके राजस्थान की सारी नगरपालिकाओं के क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों के नागरिक अधिकारों का हनन किया है। इसका सरकार जवाब दे। आज राज्य सरकार ने नगरपालिकाओं को अपना खेल समझ रखा है। आज राजस्थान में छोटी छोटी नगरपालिकायें हैं, बड़ी बड़ी नगरपालिकायें हैं, किसी को भी लेकर देखें। आज राजस्थान के अन्दर ५ बड़े डिविजन्स हैं। आज राजस्थान की राजधानी जयपुर के अन्दर भी ३ साल से प्रशासक काम कर रहा है। अजमेर में काम कर रहा है, पिलानी में एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहा है, हिण्डोन में कर रहा है, और भी नगरपालिकायें हैं जहां एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहे हैं। मैं माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री से जानना चाहूँगा कि इस प्रकार से राज्य सरकार प्रशासकों को नियुक्त करने का अधिकार लेना चाहती है कि किन्हीं परिस्थितियों में वहां स्टे हो जाये, हाई कोर्ट में जाने के बाद स्टे आॅर्डर मिल जाये मैं माननीय मन्त्री महोदय से पूछना चाहूँगा कि यह बात सही है कि जो पुरानी नगरपालिकायें हैं उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो कौनसी अड़चनें हैं राजस्थान सरकार के सामने कि जिसके कारण राजस्थान सरकार समय के अन्दर उनके चुनाव नहीं कराती? मैं कहता हूँ कि राजस्थान के अन्दर एक परम्परा पड़ गयी है—जहां नगरपालिकाओं का समय समाप्त होने को आता है हमारी सरकार उनके समय में वृद्धि कर देती है या फिर कोई ऐसी वैसी बात हो जाती है तो चट से वहां एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि जिन नगरपालिकाओं का समय समाप्त होने को आता है तो उनके समय का बढ़ा दिया जाता है यह ईविल नहीं होना चाहिए। पर मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इससे ज्यादा ईविल तो यह है कि वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर दिया जाये। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को ज्यादा पसन्द करूंगा कि जिस बोर्ड का कार्यकाल समाप्त हो गया हो उसका कार्यलय बढ़ा दिया जाये; बनिस्बत इसके कि वहां पर प्रशासक की नियुक्ति करें, क्योंकि बोर्ड का जहां तक सवाल है, उसमें हमारे यहां के चुने हुए नुमाइन्दे वहां पर होते हैं। अगर उनको ६ महीने का अवसर और दे दें और ६ महीने के बाद चुनाव करा लें तो ज्यादा

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

अच्छा रहेगा, बजाय इसके कि वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर दिया जाये। इससे कम से कम यह तो होगा कि नागरिकों के ऊपर सरकारी अधिकारी तो नहीं थोपे जायेंगे। इसलिए इन दोनों बातों में से जो लेसर ईविल है उसको चुना जाना पसन्द होगा। लेकिन हमारी सरकार इसके बजाय वहां पर प्रशासक नियुक्ति करती है और जिस नगरपालिका का कार्या काल समाप्त हो गया है उसका पीरियड एक्सटेण्ड नहीं करना चाहती। उन सारी परिस्थितियों के अन्दर सरकार यह अधिकार लेना चाहती है इस सदन से कि हम वहां पर प्रशासक की नियुक्ति करें। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि राजस्थान के अन्दर जो परम्परा पड़ती जा रही है यह किसी प्रकार से अच्छी परम्परा नहीं है।................

श्री सम्पतराम (स्वायत्त शासन मन्त्री) : मैं यह जानना चाहता हूँ कि इतनी कौनसी नगरपालिकायें हैं जिनका समय नहीं बढ़ाया गया और एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया गया ?

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : एक तो अजमेर है।

श्री सम्पतराम : यह मालूम करना पड़ेगा कि कितनों का पीरियड बढ़ाया गया और कितनी जगह एडमिनिस्ट्रेटर अपोइन्ट किया गया।

श्री भैरोंसिंह : आप नाम पूछते जाइये मैं बताता जाऊंगा।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : बीकानेर का ही दो साल से समय बढ़ता जा रहा है।

श्री लादूराम सुलाणिया (दूदू–सु०) : माननीय अध्यक्ष महोदय, तनख्वाह तो ये लें और बताएं हम।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि अभी मन्त्री महोदय ने सवाल किया उसका जवाब मुझे देने की आवश्यकता नहीं हुई। सवाल का सवाल में ही जवाब दे दिया और मैं समझता हूँ कि उसके कारण उनकी हार हो गयी क्योंकि वह सवाल का जवाब सवाल में नहीं दे सके।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहूंगा कि इस प्रकार की हमारे राजस्थान में नगरपालिकायें हैं। जैसा मैंने पहले भी, एक साल पहले निवेदन किया। जब डिप्टी मिनिस्टर्स के प्रमोशन हो रहे थे उस प्रमोशन के समय जिस समय माननीय स्वायत्त शासन मन्त्रीजी का प्रमोशन हुआ था तो सदन को यह आशा थी और विशेषकर मुझे भी थोड़ी आशा थी कि आज राजस्थान के अन्दर स्वायत्त शासन संस्थाओं के सम्बन्ध में जो दूसरे मन्त्रीगण दिलचस्पी नहीं लेते इसके बावजूद भी जो हमारे वर्तमान स्वायत्त शासन संस्था के मन्त्री हैं, जो वास्तव में जनता की सेवा करना चाहते हैं, जो लोकतन्त्र को राजस्थान में पनपाना चाहते हैं, जो जनतन्त्र की जड़ों को गहरी करना चाहते हैं, इससे ज्यादा अच्छा अवसर किसी और मन्त्री को नहीं हो सकता। यदि उनके पास लोकल सेल्फ बॉडीज़ का पोर्टफोलियो है, हमें इस प्रकार की

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

आशा थी कि जिन्होंने यह पोर्टफोलियो सम्भाला है, वह राजस्थान के अन्दर स्वायत्त शासन संस्थाओं की गिरती हुई हालत को सुधारेंगे और उनका स्वयं विकास करने के बारे में, उनकी सारी आर्थिक स्थिति को ठीक करने के बारे में, उनके चुनावों के बारे में, इस प्रकार से कोई जांच कराके उनकी सारी स्थितियों को सुधारने की कोशिश करेंगे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मुझे सख्त अफसोस है कि हमारी राज्य सरकार को जो कदम इस सम्बन्ध में उठाने चाहिए थे, नहीं उठाये । उन्होंने एक जांच कमेटी म्युनिसिपैलिटीज़ की आर्थिक हालत ठीक करने के लिए बैठाई थी। राज्य सरकार को सुझाव देने के विषय में उस कमेटी की मीटिंगें भी हुई। उसके बाद अध्यक्ष महोदय, दुनिया भर की शहादतें ली गयी और मुझे पता नहीं कि उस कमेटी की रिपोर्ट का क्या हुआ। कमेटी की मीटिंगों की मिनट्स का आज तक भी पता नहीं, क्योंकि मैं भी उस कमेटी का मेम्बर था। उस कमेटी में और दूसरे मेम्बर्स हैं, वे तो टी०-ए०, डी० ए० के० रूप में शायद कुछ लेते होंगे बाकी मैंने उस कमेटी से कुछ नहीं लिया। तो इस कमेटी में शहादतें हुईं, उसकी दस, पन्द्रह मीटिंगें हुई, पर उसकी रिपोर्ट क्या है, राजस्थान में स्वायत्त शासन संस्थाओं के बारे में उस कमेटी ने क्या रिपोर्ट दी, है अध्यक्ष महोदय, इसका कुछ पता नहीं। अध्यक्ष महोदय, उसके बाद में गवर्नमेंट ने एक दूसरी कमेटी का अपाइन्टमेन्ट और कर दिया। मैं समझता हूँ कि इस कमेटी का भी यही हाल होगा। इसमें भी ऐसे ही मेम्बर्स होंगे। शायद उसमें किसी एक्सपर्ट को रखते तो ज्यादा अच्छा था। मैं तो कोई एक्सपर्ट हूँ नहीं और मुझे उस समय भी इच्छा नहीं थी, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आज राजस्थान के अन्दर नगरपालिकाओं की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है।

मैं पालिकाओं की आर्थिक स्थिति के विषय में विशेष कुछ नहीं कहना चाहता लेकिन आज तो इस प्रकार का डेमोक्रेटिक सैट-अप है, उसके साथ जो राजस्थान की सरकार खिलवाड़ करती जा रही है, यह गम्भीर विषय है। हमने इनको अधिकार दिया है। अधिकार हो सकता है। संविधान के अन्दर हमने राष्ट्रपति को अधिकार दिये हैं। वे चाहें तो किसी भी राज्य सभा को भंग कर सकते हैं। वह पार्लियामेंट को भंग कर सकते हैं। वे सुप्रीम कमान्डर फोर्सेज़ के हैं। वे सारे देश में सैनिक शासन लागू कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति महोदय जिससे नाराज़ हो गये या जब कभी देखा कि शासन में कहीं के लोग उनके खिलाफ हो गये तो उन्होंने वहां की असेम्बली को भंग कर दिया? प्रेसीडेन्ट्स रूल लागू कर दिया हो, मिलिट्री गवर्नमेन्ट उन्होंने बना दी हो? उन्हें अधिकार दिया है, लेकिन अधिकार जुडिशियली एक्सरसाइज होना चाहिए। अधिकार दिये जाते हैं कानून के अन्दर। मैं समझता हूँ कि कानून का दुरुपयोग एक प्रकार से कानून का प्रोस्टीट्यूशन है। राज्य सरकार को जहां तक नगरपालिकाओं का सवाल है, एडमिनिस्ट्रेटर के एपॉइन्टमेंट का सवाल है, अधिकार दे दिया कि जब अमुक परिस्थिति हो तो नियुक्त कर सकती है, लेकिन सख्त अफसोस है कि राजस्थान में नगरपालिकाओं पर राजस्थान सरकार, अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से छुरी

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

चलाती है। जहां जरूरत हुई, जहां पता लगा कि हमारी यहां पर म्युनिसिपैलिटी चुन कर नहीं आ रही है, हम नहीं चुने जा सकते हैं, अमुक म्युनिसिपैलिटी सरकारी पक्ष की म्युनिसिपैलिटी बन भी गई तो उनका चेयरमैन नहीं बन सकेगा, यदि चेयरमैन बन भी गया तो चेयरमैन के खिलाफ बोर्ड में अविश्वास का प्रस्ताव आ रहा है तो इन सारी परिस्थितियों में जहां जहां मौका हुआ, जिस जगह आवश्यकता हुई राज्य सरकार उस नगर पालिका पर इस प्रकार की छुरी चलाती रही है।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से पूछना चाहूँगा। इस सदन को भी जानकारी है कि ऐसी एक नहीं अनेक नगरपालिकाएं हैं जिन पर यह जो अधिकारों की छुरी इनको दी गई है वह चली है। छुरी, तलवार, बन्दूक इसलिए दी जाती है कि दुश्मनों से रक्षा कर सकें। इसलिए नहीं दी गई है कि सीकर की नगरपालिका के चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव आये और अविश्वास का प्रस्ताव पास होने वाला हो और वहां पर एक वोट का केवल अन्तर हो, और उस समय चेयरमैन साहब आपके कृपापात्र हों, और एक कांग्रेसी भाई, मुझे अफसोस इस बात का है कि अपने ही दल वालों ने दलदल पैदा किया है, उनके खिलाफ वोट करने वाले हों अविश्वास के प्रस्ताव पर, तो, अध्यक्ष महोदय, जिस दिन चेयरमैन के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास होने वाला था, राज्य सरकार ने उसको सस्पेन्ड कर दिया। क्या जरूरत थी कि उसको आपने सस्पेन्ड किया ? सस्पेन्शन के खिलाफ वह सदस्य हाई कोर्ट में गया और जब हाई कोर्ट में गया तो वहां पर या तो एडवोकेट ने सलाह दी और सलाह प्रिवेल कर दी गई या उनमें गुड सेन्स प्रिवेल हो गया और शायद उसका असर हुआ-गुडसेन्स प्रिवेल करने का मतलब यह है कि राज्य सरकार ने सोचा कि सस्पेन्शन का ऑर्डर गलत है गलत और समझ कर उसको विथड्रा कर लिया। विथड्रॉवल का कारण क्या था ? क्यों आपने सस्पेन्शन का ऑर्डर निकाला और सस्पेन्शन का ऑर्डर निकालने के इमीजियेटली बाद विथड्रॉ क्यों किया ? या आप यह चाहते हैं कि अविश्वास के प्रस्ताव के समय कोई सदस्य भाग नहीं ले सके ? जिन व्यक्तियों के खिलाफ आप चाहते हैं कि अविश्वास का प्रस्ताव पास नहीं हो उनके खिलाफ यदि कोई आदमी वोट देता हो उस आदमी को सस्पेन्ड कर दें, वह हाई कोर्ट में रिट लेकर जाय तो विथड्रा कर लें तो रिट इनसकुचअस हो जाय ? क्या मजाक बना रखा है, क्या मखौल कर रखा है कानून का आपने ? हाई कोर्ट में रिट की जाती है, अदालतों में मुकदमें तैयार किये जाते हैं और अपनी सरकार के खिलाफ किसी प्रकार से फैसला होने का होता है तो सरकार फैसला इस प्रकार से बदलती है। आप नहीं समझते हैं लेकिन मैं समझता हूँ कि आज किस प्रकार से लिटीगेशन बढ़ रहा है, राजस्थान की स्वायत्त शासन संस्थाओं में किस प्रकार की दलबन्दी है कि आज उसके कारण से नगर का समुचित विकास नहीं हो रहा है। उसका एकमात्र कारण नगरपालिकाओं में दलबन्दी है और वह दलबन्दी राजस्थान सरकार के मंत्री मंडल के सदस्यों ने पैदा की है। एक एक मन्त्री का कृपा पात्र है और दूसरा दूसरे मन्त्री का कृपा पात्र है।

इलेक्शन की डेट तय हो जाती है, अभी दो,

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

चार दिन पहले एक नगरपालिका का हाल पढ़ा था कि इलेक्शन डेट तय हुई लेकिन चुनाव नहीं हुआ। चुनाव इसलिए नहीं हो सका कि रिटर्निंग ऑफिसर साहब जो थे वह समय पर दौरे से नहीं लौट सके। यह भी कोई कारण है कि रिटर्निंग ऑफिसर साहब दौरे से लौट नहीं सके ? तो दौरे में देरी क्यों हो गई ? शायद यह हो सकता है कि आपके टेलीफोन का दौरा उनके पास पहुँच गया हो। वह दौरादारा क्यों करते हैं ? वह नगरपालिका का जो निर्वाचन होने वाला था, वह नहीं हुआ।

अब मैं निवेदन करना चाहूँगा, अध्यक्ष महोदय, मैंने जो बात रखी है सदन के सामने उसके संबंध में। माननीय मन्त्री महोदय इस बात का जवाब देंगे कि जो कुछ सदन के सामने मैंने घटना रखी है, माननीय मन्त्री महोदय से चाहूँगा कि जिस घटना की ओर मैंने संकेत किया है, उस घटना के बारे में वे जवाब दें कि विशेष रूप से कौन सी परिस्थिति थी कि जिसके कारण से नगरपालिका का निर्वाचन इस आधार पर रोकना पड़ा। यह जवाब देंगे। मैं चाहूँगा कि सदन के सामने स्थिति रखें। कई जगह ऐसा होता है कि इस प्रकार से इलेक्शन की डेट फिक्स हो गई और आप चाहते हैं कि वह हो नहीं तो रिटर्निंग ऑफिसर को कहेंगे कि दो दिन पहले छुट्टी ले लो, बीमार पड़ जाओ। वह बीमारी का झूठा सर्टिफिकेट पेश कर देता है। नतीजा यह होता है कि सरकार कहती है, कलेक्टर साहब कहते हैं कि चुनाव कैसे करायें, रिटर्निंग ऑफिसर बीमार पड़ गया है। दूसरा रिटर्निंग ऑफिसर का एपॉइन्टमेंट करने में समय लगेगा। इस कारण से चुनाव पोस्टपोन हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इस सारे प्रोसेस में कानून के साथ खिलवाड़ हो रहा है, मखौल हो रहा है। हमारे सरकारी अधिकारी सरकार के हाथ में हथकण्डे हो रहे हैं। यह सरकार की दुश्मनो-वृत्ति है, यह उन्हीं की अपवृत्ति है कि आज हमारे कई अधिकारी उसके शिकार होते जा रहे हैं। टेलीफोन्स से इलेक्शन पोस्टपोन कर दिये जाते हैं।

नगरपालिकाओं का जो हमारा कानून है, इसमें एक चीज़ है और शायद इस दृष्टि से कानून को मोस्ट इफेक्टिव बना देने के लिए राजस्थान विधान सभा में जिस समय यह कानून पास किया था उस समय एक बात विशेष रूप से ध्यान में रखी थी और उस समय व्यवस्था की थी कि जहां तक चुनावों का संबंध है, इसका इसमें प्रोविज़न किया है कि जो इलेक्शन रूल्स बनाये जायेंगे, उन इलेक्शन के रूल्स में सेन्ट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेन्टेशन ऑफ दी पीपल्स एक्ट है और उसके तहत जो बने हुए नियम हैं उनके अनुसार ही सारी कार्यवाही होगी। उसका मतलब क्या था ? मतलब साफ था। हम यह चाहते थे कि जिस प्रकार से ऑल इंडिया के इलेक्शन्स होते हैं असेम्बली और पार्लियामेंट के उसमें जो नोटिफिकेशन निकलता है, रिटर्निंग ऑफि-सर का एपॉइन्टमेंट होता है, नोमीनेशन होता है, स्क्रुटिनी होती है, विथ्ड्रॉअल होते हैं, इलेक्टोरल रोल्स तैयार होते हैं, उसमें किसी प्रकार से भी माननीय मन्त्री महोदय एक उदाहरण नहीं बता सकते हैं। हिन्दुस्तान में पिछले १० सालों में दो आम चुनाव हुए हैं

Page No.42

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

उनमें हमने देखा है और अब यह तीसरा आम चुनाव आ रहा है। इन दोनों चुनावों में कोई ऐसा उदाहरण बतायें कि विधान सभा के चुनाव इन आधारों पर स्थगित किये गये हों कि इलेक्टोरल रोल्स में गड़बड़ रह गई, उनके प्रिपेरेशन में गड़बड़ रह गई, उसमें गलती रह गई? उनके पब्लिकेशन में गलती रह गई। रिटर्निंग ऑफिसर जो एपॉइन्ट हुआ वह सही तरीके से नहीं हुआ, इसलिए चुनाव स्थगित करना पड़ा? रिटर्निंग ऑफसर दो दिन के लिए बीमार पड़ गया, छुट्टी ले ली, दौरे से लौट नहीं सका। मैं समझता हूँ कि ये ही रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, यही कलेक्टर, यही एस० डी० ओ०, यही तहसीलदार, यही सारी सरकार की मशीनरी आम चुनाव कराती है असेम्बली और पार्लियामेंट के तो समय पर चुनाव क्यों हो जाते हैं? उस समय पोस्टपोन क्यों नहीं होते हैं? उस समय बीमार क्यों नहीं पड़ते हैं? क्या वह समय ऑफिसरों का सेफ पीरियड है कि उस समय बीमार नहीं पड़ते हैं? उस समय दौरा नहीं होता है, उस समय कोई काम नहीं होता है, उस समय गलतियां नहीं होती। यह क्या बात है कि नगरपालिका के चुनाव आते हैं तो सरकार गलतियां छोड़ देती है और गलतियों का बहाना लेकर चुनावों को टालती जाती है। हिन्डौन नगरपालिका की चुनाव तारीख तय कर दी। नेताओं का दौरा शुरू हो गया। आम सभाएं शुरू हो गई। लेकिन जब आपने देखा कि यह इलेक्शन हमारे खिलाफ जाने वाला होगा तो सरकार कहती है कि वार्ड बनाने में गलतियां रह गई। जयपुर की नगरपालिका के चुनाव, अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों में इलेक्शन वेलिडेटिंग बिल आया था उस समय माननीय मन्त्री महोदय ने यह जवाब दिया था कि चूंकि तीन नगरपालिकाओं में, आबू रोड़, किशनगढ़ और पाली, वहां कुछ गलतियां रह गई और चुनावों को वहां पर चुनौती दी जा सकती थी और वहां की जनता को अपार कष्ट होता, धन–जन की हानि होती इसलिए इलेक्शन वेलिडेटिंग ऑर्डीनेन्स निकाला। तो इन तीन नगरपालिकाओं में उनका धन जन की ओर ख्याल गया, उनकी अवस्था पर आपका ख्याल गया, लेकिन मैं माननीय मन्त्री महोदय से पूछना चाहूँगा कि जयपुर का इलेक्शन जो आपने १९ तारीख को स्थगित किया तो आपने क्या हिसाब लगाया कि यहां की जनता क्या चाहती थी? यह तो आपको तब मालूम पड़ता जब १९ जुलाई के बाद आप चौड़े रास्ते में गृह मन्त्रीजी के पास बैठे हुए होते। लेकिन आप चतुर है, आप क्यों आने लगे। काले झण्डे देखें तो वह, चुनाव स्थगन का सामना करना पड़े तो उनको। काले झण्डे दिखायें तो उनको। आप दूर रह कर मौज करें। लेकिन जवाबदारी आपकी है। लेकिन जवाबदारी शायद नहीं लेना चाहते थे, वे यह कह नहीं सकते सदन को हृदय से....

श्री भैरोंसिंह : माननीय सदस्य को शायद नहीं मालूम है कि मंत्रीजी ने इसलिये चुनाव स्थगित किये थे कि गृह मंत्रीजी की प्रेस्टीज कम न हो जाय....

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : ज्योतिष से काम ले रहे हैं, ज्योतिष जानते हैं क्या?

Page No.43

एक माननीय सदस्य : विश्वस्त सूत्र से कह रहे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं यह भी जानता हूँ कि चुनाव स्थगित करने के लिये आपने कलेक्टर को टेलीफोन नहीं किया। कलेक्टर को टेलीफोन करने वाले और इन्टरफियरेन्स करनेवाले मंत्रीजी आज सदन में उपस्थित नहीं हैं। रेवेन्यू मिनिस्टर ने कलेक्टर को टेलिफोन किया था और उन्होंने रात में लोगों को कहा था कि इलेक्शन नहीं होगा, सो जाओ। कलेक्टर का नोटिस निकलता है १६ तारीख को और इसका फैसला लेते हैं १८ की रात को। हाई कोर्ट में रिट पिटीशन का फैसला हुआ था १७ तारीख को, जुगलकिशोर की एप्लीकेशन खारिज हुई थी उस समय सरकारी वकील (गवर्नमेन्ट एडवोकेट) वहां मौजूद नहीं था, हाई कोर्ट के फैसले की नकल उन्होंने नहीं ली थी। १८ तारीख को सरकार ने नोटिफिकेशन निकालने की कितनी जल्दी की, एक तो वे मामले होते हैं जिनमें महिनों तक मालूम नहीं होता है कि क्या फैसला हुआ हाई कोर्ट में और ऑर्डिनेन्स जारी कर देते हैं। इस मामले में फैसला हुआ १७ तारीख को और १८ तारीख को सरकार का नोटिफिकेशन निकला चुनाव पोस्टपोन करने का। सरकारी वकील ने इत्तला दी कि हाई कोर्ट ने एवजर्वेशन दिया है कि गलतियां रह गई हैं, वोटर्स लिस्ट में कमियां रह गई हैं, वार्ड ठीक नहीं बने हैं इसलिये इलेक्शन चेलेन्ज हो सकता है। १८ तारीख को राज्य सरकार की ओर से विज्ञप्ति कलेक्टर ने निकाली। मैं पूछना चाहता हूँ राज्य सरकार मुझे बतावे कि १७ तारीख के हाई कोर्ट के फैसले की नकल के लिये कब दरख्वास्त दी थी और वह नकल कब मिली और उसको लेकर कौन जयपुर आया और यदि आपने नकल प्राप्त नहीं की और दरख्वास्त नहीं दी और आपके पास वहां से नकल नहीं आई तो मैं यह कहूँगा कि हाई कोर्ट के दफ्तर में इन्टरफियरेन्स करके प्राइवेट तौर पर नकल प्राप्त की या हाई कोर्ट के दफ्तर में जाकर २ रुपये बाबू को देकर नकल प्राप्त की होगी। कहां से आई आपके पास नकल?

मैं मानता हूँ कि आपका और मेरा मतभेद विचारों का हो सकता है, सदन के बाहर और सदन के अन्दर झगड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, अपने अपने विचार सदन के सामने रखते हैं, इन सारी बातों में हमारा रवैया क्या होता है। मैं माननीय सदस्यों से जो स्वायत्त शासन में दिलचस्पी रखते हैं, कहना चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार द्वारा कलेक्टर के जरिये १८ तारीख को इतना जल्दी इलेक्शन पोस्टपोन करने का नोटिफिकेशन निकला और सायंकाल अखबारों में निकलने से पहले फैसला किया। १८ तारीख की रात में यदि फैसला किया और विज्ञप्ति तैयार हो गई थी, नोटिफिकेशन निकल गया था तो फिर इस प्रकार के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन को रात्रि में १२ बजे से पहले रिलीज क्यों नहीं किया गया, जिससे कि सारे नागरिकों को अखबारों के जरिये मालूम हो जाता कि चुनाव स्थगित हो चुके हैं। १८ तारीख की रात में उन्होंने सूचना नहीं रिलीज की इसलिये सिद्ध होता है कि १८ तारीख की रात्रि में १२ बजे से पहले नोटिफिकेशन नहीं निकला और यदि १६ तारीख को नोटिफिकेशन निकला है तो आपने उस पर १८ तारीख क्यों डाली? क्या

Page No.44

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

इसमें आपका डिसओनेस्ट इन्टेन्शन नहीं था ? मैं जानता हूँ कि १८ तारीख को कुछ राजनैतिक प्रतिपक्षी होंगे उनके द्वारा ज्ञात हुआ, उनको शायद सूचना मिली होगी, उन्होंने कहा कि आप क्यों भागदौड़ करते हैं, चुनाव सभा में क्यों जाते हैं, चुनाव स्थगित होंगे। किसी ने रात्रि में टेलीफोन किया कि सुना है चुनाव स्थगित हो गये, क्या सही है ? हमने कहा कि ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हमारे स्वायत्त शासन मंत्रीजी ने विश्वास दिलाया है विधान सभा में कि मैं १ मई तक चुनाव करवा कर रहूँगा। पहले उन्होंने जून का महीना चुनाव के लिये रखा था फिर २२ जुलाई चुनाव के लिये रखा। इस पर हमें पूरा संतोष हुआ, क्योंकि उनका आश्वासन हमारे सामने था। मैं समझता हूँ उन्होंने झूठा आश्वासन नहीं दिया था, सही आश्वासन दिया था। लेकिन आखिर हुआ क्या ? मैं बताना चाहता हूँ कि इस तरह से प्रजातंत्र की मखौल करते हैं। क्या आपने अंदाज लगाया है कि इलेक्शन कंटेस्ट करनेवालों को कितना खर्चा हुआ होगा ? लगभग २०० उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। चुनाव से ३ दिन पहले सारी फोर्मेलिटीज पूरी हो चुकी थीं, पर्चियें छप चुकी थीं, पोस्टर्स छप चुके थे, प्रचार हो चुका था, किसी किसी केन्डिडेट के तो १,००० या १,२०० रु० तक खर्च हो चुके थे, किसी के २०० रु० खर्च हुए थे। यदि औसत ५०० रु० की लगाई जाय तो भी १ लाख रु० के करीब केन्डिडेट्स के खर्च हो चुके थे। सरकार के भी लाख, ५०,००० रुपये खर्च हो चुके थे मशीनरी और व्यवस्था के लिए। जहां एक तरफ मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि किशनगढ़ आबूरोड और पाली तीनों नगरपालिकाओं की आबादी वहां की जनता एक तरफ और दूसरी तरफ वहां से चार गुना आबादीवाला जयपुर, वहां के लोगों की सहूलियत के लिये, वेलिडेट करने के लिये ऑर्डिनेन्स निकाला और यहां ? वहां पर आपने लोगों के पैसे का ख्याल किया और उम्मीदवारों के पैसे का यहां ख्याल नहीं किया। यहां आपको ख्याल करना उचित नहीं लगा।

अध्यक्ष महोदय, इससे भी ज्यादा गंभीर बात है, जो नोटिफिकेशन निकला, मैं समझता हूँ दबाव से निकला महसूस करते हैं लेकिन जो नोटिफिकेशन में लिखा गया, मुझे ऐसा मालूम होता है कि राजस्थान में नगरपालिकाओं के जो चुनाव स्थगित किये जाते हैं वे मेलिशियस इन्टेन्शन से किये जाते हैं। यदि सदन चाहता है कि स्वायत्त संस्थाओं का विकास हो तो मैं प्रस्ताव करूंगा कि नगर पालिकाओं के चुनाव किस आदेश से स्थगित होते हैं, किस इन्टेन्शन से स्थगित होते हैं उसकी जांच करने के लिये तीन आदमियों की हाई पॉवर कमेटी बनाई जाय और उसमें ऐसे व्यक्ति रखे जावें जो किसी के दबाव में नहीं आनेवाले हों, जिनमें मोरल कॉन्शियस हो, ऐसे आदमी हों जिनमें हमको विश्वास है, चाहे वे कांग्रेस के ही हों। एक नाम मैं बता सकता हूँ नसीराबाद से आनेवाले माननीय सदस्य का, सब को जिन पर विश्वास है, वे सरकार के दबाव में नहीं आ सकते, उनमें कॉन्शियस है। उनको इस हाई पॉवर कमेटी में रखा जाय।

किस तरह से मेलिशियस कारणों से चुनाव स्थगित किया गया, यह सदन को जान कर

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

आश्चर्य होगा। जो नोटिफिकेशन जयपुर कलेक्टर ने निकाला जयपुर नगरपालिका के चुनाव स्थगित करने का उसके बीच की दो लाइनें आपको पढ़ कर सुनाना चाहता हूँ। यह १८ जुलाई का नोटिफिकेशन है। उसके बीच का पोर्शन मैं पढ़ना चाहता हूँ जो इस प्रकार है :–

"and the High Court has further observed that-

'In carving out the draft rolls for different wards from the Assembly Rolls mistakes had crept in and the names of large number of persons residing in one ward were included in the roll of another ward'

And whereas the High Court, though refused to treat it as a fundamental defect warranting interference in its writ jurisdiction, did nevertheless consider it as a violation of Rule 3 (iv) and characterising it as a mere irregularity further laid down that-

'elections held on the basis of such irregularly prepared electoral rolls can only be set aside on an election petition':"

हाई कोर्ट के जजमेंट का हवाला दिया। अध्यक्ष महोदय, इसको पढ़ने के बाद ऐसा लगता है और सदन का हर माननीय सदस्य यह समझेगा कि हाई कोर्ट ने कह दिया है कि इस प्रकार अनियमित रूप से निर्वाचन सूची के आधार पर चुनाव कराये जायं, तो इलेक्शन पिटीशन में निरस्त किये जा सकते हैं, चुनाव याचिका प्रस्तुत करने के बाद। यह सब का इम्प्रेशन हुआ, उस पर सब ने कहा; अगर ऐसा हो सकता है, चुनाव याचिका प्रस्तुत करने के बाद इलेक्शन हुआ है, उसको सस्पेन्ड किया जाता है। दो, चार महीने की तो बात है। अगर इलेक्शन पोस्टपोन कर दिया गया तो कोई बात नहीं। अध्यक्ष महोदय, लेकिन जो हाई कोर्ट का सेन्टेन्स कोट किया गया है, वह मिसकोट किया गया है। जो हाई कोर्ट का पूरा सेन्टेन्स है, उसको कोट नहीं किया गया है। इस सेन्टेन्स में यहां पर फुलस्टॉप नहीं है, यहां सेन्टेन्स खत्म नहीं होता। मेरे पास हाई कोर्ट का फैसला रखा हुआ है। उसके अन्दर, अध्यक्ष महोदय, इस सेन्टेन्स के और आगे लिखा हुआ है कन्टीन्युएशन में :

"unless it is conclusively proved that the result of the election was materially affected on account of this irregular transfer of votes from one ward to another."

यह सेन्टेन्स बनता है। जब तक यह साबित न हो जाय कि वोटरों की अदला-बदली के होने से चुनाव पर असर पड़ा है तो इलेक्शन पिटीशन को मन्जूर नहीं किया जा सकता है। मैं माननीय मंत्री का ध्यान अधिनियम की धारा ३४ की ओर दिलाना चाहूँगा जिसमें लिखा हुआ है–इन परिस्थितियों में इलेक्शन पिटीशन मन्जूर किया जा सकता है। उसमें साफ संकेत है कि अगर पचास आदमियों के नाम एक वार्ड से दूसरे वार्ड में लिखे गये हों, मैं दावे के साथ कह

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

सकता हूं, क्योंकि कानून की थोड़ी बहुत जानकारी मुझे है, उसके आधार पर कह सकता हूं कि अगर पचास वोटरों के नाम एक वार्ड से दूसरे वार्ड में लिख गये हों और इलेक्शन पिटीशन पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल मान ले कि ये नाम गलत ट्रान्सफर किये गये हैं तो जो जीतने वाला आदमी है वह पचपन वोटों से जीता है तो उसमें से पचास वोटर्स को निकाल भी दिया जाय तब भी जो उम्मीदवार जीता है वह पांच वोट से जीता है, इसलिए वह इलेक्शन पिटीशन मन्जूर नहीं होगी। उस गलत इलेक्टोरल रोल के आधार पर इलेक्शन पिटीशन मन्जूर नहीं होगी और चुनाव निरस्त नहीं होंगे। लेकिन राज्य सरकार ने जो हाई कोर्ट के डिसीज़न में सेन्टेन्स था, उसको मिसकोट किया है :

The Collector and the Government had substituted the language of the High Court judgement which is nothing less than contempt of the High Court.

अध्यक्ष महोदय, क्या तमाशा है ? हाई कोर्ट के जजमेंट का सहारा लेते हैं, बड़े आदमियों का सहारा लेते हैं, अदालत का सहारा लेते हैं और उसको मिस–कोट करते हैं। आज उसके बारे में लोगों में धारणा है कि सरकार को अगर चुनाव स्थगित कराने ही थे तो पन्द्रह दिन से पहले कार्यवाही करती। चुनाव नहीं करने थे तो सरकार साफ कह सकती थी, आप कह सकते थे कि आम चुनाव होने के बाद चुनाव करायेंगे। अगर ऐसा समझते थे तो मैं समझता हूं कि आज इस प्रकार की जो परिस्थिति है, इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न नहीं होती। आज, अध्यक्ष महोदय, १९५८ से लेकर १९६१ के समाप्त होने का समय आया, जयपुर नगरपालिका के अन्दर तीन साल एडमिनिस्ट्रेटर को हो गये। इसके पहले १९५६ से लेकर १९५८ तक इलेक्टेड म्युनिसिपैलिटी रही और १९५३ से १९५६ तक एडमिनिस्ट्रेटर कायम किया गया। इन पिछले आठ सालों के अन्दर छः साल तक एडमिनिस्ट्रेटर ने काम किया है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में आठ साल में से ६ साल तक एडमिनिस्ट्रेटर रहा और दो साल इलेक्टेड बॉडी रही, यानि तीन-चौथाई समय में एडमिनिस्ट्रेटर रहा। यह स्वायत्त शासन है ? यह स्वायत्त शासन का विकास है ? इस तरह आप स्वायत्त शासन संस्थाओं का विकास करना चाहते हैं ? अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि आज जो प्रशासक नियुक्त करने के सम्बन्ध में इस ऑर्डिनेन्स के द्वारा व्यवस्था की गई है, मैं सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वह जिन परिस्थितियों में रखा है उनमें एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइन्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह बड़ा इंजिन है, हम छोटा इंजिन चुन ले इलेक्टेड म्युनिसिपैलिटी और अगर उसमें कोई डिले हो किन्हीं वजह से तो चार छः महिनों की मयाद बढ़ा दें और जल्दी से जल्दी चुनाव की व्यवस्था करें। मैं तो यह चाहूंगा कि चुनाव हमेशा समय पर होने चाहिएं।

अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त एक बात और कहना चाहूंगा और वह है इस ऑर्डिनेन्स में नोटीफाइड एरियाज़ के बारें में। यह नोटिफाइड एरियाज़ को करने की व्यवस्था राज्य सरकार ने ऑर्डिनेन्स में की

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

है । उसके बारे में मैं पूछना चाहता हूं कि आपको क्या नोटीफाइड एरियाज़ डिक्लेयर करने थे ? क्यों आपने इस ऑर्डिनेन्स में व्यवस्था की ? आपके सामने क्या आवश्यकता उपस्थित हुई थी और राज्य सरकार यह बतावें कि ३१ जुलाई से लेकर आज २० सितम्बर के बीच में, पचास दिन में राजस्थान के अन्दर कितने नोटिफाइड एरियाज़ डिक्लेयर किये ? अगर डिक्लेयर नहीं किये तो नोटिफाइड एरियाज़ का प्रोविज़न इस ऑर्डिनेन्स में रखने की क्या आवश्यकता थी ? क्यों ऑर्डिनेन्स इस बात के लिए किया गया ? अगर आपको नोटिफाइड एरिया डिक्लेयर करना था, नोटिफाइड एरिया आपको बनाना था तो आप बनाते और सदन के सम्मुख बताते कि इन परिस्थितियों में इन इन स्थानों पर नोटिफाइड एरियाज़ बने, इन इन म्युनिसिपैलिटीज़ के अन्दर और इसलिए यह ऑर्डिनेन्स जारी करना पड़ा। लेकिन आपने नोटिफाइड एरिया नहीं बनाया । फिर क्या आवश्यकता थी ? एक आवश्यकता थी, आप नोटिफाइड एरिया बनाना चाहते थे । आपकी इच्छा थी, इन्टेन्शन थी, अटेम्प्ट किया था लेकिन बना नहीं सके । पिलानी की म्युनिसिपैलिटी में यह सवाल खड़ा हुआ था, शायद आपकी इच्छा थी कि कुछ जगह को नोटिफाइड एरिया बना दें । लेकिन इस सम्बन्ध में वहां पर भूख हड़ताल हुई, जनता के आन्दोलन हुए, संघर्ष चला, सब पार्टीज़ ने मिल कर राज्य सरकार की नीति का घोर विरोध किया और जो घोर विरोध हुआ, उसके कारण थे । एक कारण था कि हमारी राज्य सरकार समाजवादी होने का दावा करती है, वह राज्य सरकार पिलानी के दो टुकड़े करने का विचार इसलिए कर रही है, उसका डिविज़न इसलिए किया जा रहा है कि पिलानी के डिविज़न को हमारे देश के बिड़ला बन्धु चाहते हैं, देश के पूंजीपति चाहते हैं कि उस एरिया के लिए अलग म्युनिसिपैलिटी रहे । जो एक जगह है वह नोटिफाइड एरिया हो । उसमें सिर्फ तीन सौ वोटर्स हैं, जो विद्यालय के एरिया की म्युनिसिपैलिटी है उसमें सिर्फ तीन सौ वोटर्स हैं, बाकी के दूसरे हिस्से में साढ़े छः हजार वोटर्स हैं । तो सिर्फ तीन सौ वोटर्स की म्युनिसिपैलिटी बनाई है ।

उसके साथ साथ पिलानी म्युनिसिपैलिटी का जो एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया है अब तक वैसे सरकार सरकारी अधिकारियों के अन्दर से एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया करती है लेकिन अब राज्य सरकार ने एक नया तरीका निकाला है । मैं नहीं समझता, वह कहां तक कानूनन जायज है और कहां तक नाजायज है । यह बाद में देखा जायेगा । लेकिन एक तरीका निकाला है

(घंटी)

मैं खत्म कर रहा हूं....तो आज जो पिलानी म्युनिसिपैलिटी का एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहा है वह एस० डी० ओ० नहीं है, तहसीलदार नहीं है, पिलानी म्युनिसिपैलिटी का एडमिनिस्ट्रेटर है, वह कॉलेज का प्राध्यापक है और वह प्राइवेट कॉलेज का, सरकारी कॉलेज का भी नहीं है । वह बिड़ला बन्धुओं का कॉलेज है । आज जो पूंजीपति हैं, उद्योगपति हैं उनके आधार पर, उनके इशारों पर चलने वाला कॉलेज है । उसके जो प्रिन्सिपल हैं श्री के० एल० सहल, मैं उनके बारे में व्यक्ति-

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

गत रूप से बुराई नहीं करता। वे एडमिनिस्ट्रेटर हैं। मैं पूछना चाहूंगा कि आप यह नई चीज शुरू करना चाहते हैं, आज इस प्रकार प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन के प्राइवेट पर्सन को नगरपालिका का चुनाव न करा कर चेयरमैन के स्थान पर एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइन्ट करने वाले हैं ? अगर ऐसा है तो इसका मतलब यह है कि जो कांग्रेस के लोग चुनाव में हार जाते हैं या हार जायेंगे उनके लिए दो जगह तैयार हो गई हैं–एक तो राज्यपाल की पोस्ट और दूसरी म्यूनिसिपल बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट। जो व्यक्ति चुनाव में हार गये उनको म्यूनिसिपैलिटी का एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइन्ट कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटर के लिए म्यूनिसिपैलिटी कानून के अन्दर कुछ तनख्वाह है, जीप रहती है, मातहत अधिकारी रहते हैं। इसलिए सदन इस पर विचार करे कि इस प्रकार की व्यवस्था कहां तक जायज़ कही जा सकती है कि राजस्थान की नगरपालिकाओं के चुनाव न करायें और इस प्रकार प्राइवेट बॉडीज़ के प्राइवेट पर्सन्स को नियुक्त करें ? मैं समझता हूं या तो आप इसके लिए कोई केडर तय करें, उनका सलेक्शन करें और एक सलेक्शन बोर्ड बैठायें कि राजस्थान में जो प्राइवेट पर्सन्स हैं उनमें से कौन कौन लोग श्रेष्ठ हैं जिनको इस प्रकार अपॉइन्ट किया जा सकता है। इसके लिए आप एप्लीकेशन्स इन्वाइट करें, इसके लिए एडवर्टाइज़मेंट निकाले, नहीं तो इसका नतीजा यह होगा कि आज किसी प्रिन्सिपल महोदय को अपॉइन्ट किया है, कल कोई प्रोफेसर साहब होंगे और परसों कोई चुंगी का नाकेदार, जो रिटायर हो जायेगा और आपका कृपा–पात्र होगा उसको एडमिनिस्ट्रेटर बना देंगे। क्या तमाशा है ? आप मखौल कर रहे हैं। आपने जो इस प्रकार का ऑर्डिनेन्स जारी किया है इसकी आवश्यकता नहीं है, कोई परिस्थिति नहीं है। इसको लाने की क्या आवश्यकता थी ?

आपने ऑर्डिनेन्स जारी किया वह ऐसा जारी किया, अध्यक्ष महोदय, अगर इस ऑर्डिनेन्स के जरिये आपने कोई अच्छी व्यवस्थायें की होती, तो मैं शायद स्वागत एक मिनट के लिए कर देता, लेकिन ऑर्डिनेन्स जारी करके जो नगरपालिकाओं की बिगड़ती हुई स्थिति है, जो मुर्दा जैसी स्थिति में पड़ी हुई हैं आर्थिक कारणों के आधार पर, आपने उनको एक इन्जेक्शन मर्फिया का या एक इन्जेक्शन पोटेसाइनाइट का, क्या होता है, वह देने की कोशिश की है। आपने छुरी चलाई है, जैसे मरे हुए जानवर पर छुरी चला कर उसकी खाल उतारते हैं, वह धन्धा आज कइयों ने छोड़ दिया है, लेकिन राजस्थान की नगरपालिकाओं की जो आज मुर्दा स्थिति है, उनकी खाल उतारने का काम राजस्थान सरकार ने करना शुरू कर दिया है। क्या व्यवस्था की है ? यह व्यवस्था की है कोई एडमिनिस्ट्रेटर नहीं रहेगा, चेयरमैन नहीं रहेगा, पीरियड खत्म हो जायेगा, कांग्रेस पार्टी को छोड़ कर अपोजीशन में चला जायेगा तो आपने इस ऑर्डिनेन्स में यह व्यवस्था की है कि उसके खिलाफ इन्क्वायरी करते रहेंगे, इन्क्वायरी जारी रह सकती है। मैं विधान सभा का मेम्बर हूं। १९६२ में कोई मेम्बर जो उस पार्टी में बैठता है वह चुनाव में इस पार्टी को छोड़ कर इधर आ जाय और चुनने के बाद में मेरे

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

ऊपर गवर्नर, सरकार या प्रेसीडेन्ट ऑफ इन्डिया इन्क्वायरी इन्स्टीट्यूट करायें कि आप विधान सभा के सदस्य थे, आपका कन्डक्ट खराब था, आपके खिलाफ इन्क्वायरी की जा रही है।

(१.०० म० प०)

आपको इन्क्वायरी करवाना है, आप करवा सकते हैं और कोई एलिगेशन हो तो उस समय करा सकते हैं जब तक वह सदस्य रहता है, लेकिन आप उस समय तो उसकी जांच नहीं करते। आप बाद में उसकी जांच कर सकते हैं, इस प्रकार की यहां पर व्यवस्था की है। वह उस समय चेयरमैन हो या न हो या बोर्ड का सदस्य हो या न हो वह उस म्युनिसिपैलिटी की सदस्यता से हटने के बाद भी अगर सरकार चाहेगी तो उसके खिलाफ इन्क्वायरी करा सकेगी और वह धन्धे में लग गया हो या कहीं बन में चला गया हो और तपस्या करने चला गया हो तो भी सरकार उसको पकड़ कर लावेगी और उसकी जांच करावेगी। मेरी समझ में नहीं आता कि यह कौनसा कानून है। लेकिन फिर भी आपने यह व्यवस्था रखी है। यह पोलिटिकली कोई बात हो सकती है कि कुछ लोगों पर यह तलवार लटकती रखी जाए और वह लटकती रखते हैं जिससे वे सदस्य यह समझते रहें कि आप नगरपालिका की सदस्यता छोड़ने के बाद और राजनीति छोड़ने के बाद भी आपके खिलाफ लगे हुए पुराने आरोपों की जांच की जा सकती है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार का प्रोविज़न जो आपने कानून में रखा है वह उचित नहीं है। यह एक प्रकार का काला कानून है, जिसकी व्यवस्था इसमें की है। इसलिए मैंने इस ऑर्डिनेन्स के लिए सरकार के सामने संकल्प पेश किया है और मैं समझता हूं कि जो तरीका मैंने इसके समर्थन में पेश किया है उसको सदन के माननीय सदस्य स्वीकार करेंगे और इसको अस्वीकृत करवा देंगे। We should nip in the hand जिससे कि यह विधेयक विचारार्थ न आ सके और पारित नहीं किया जा सके। हमें इस विधेयक को नामंजूर करना चाहिए और इसको पास नहीं करना चाहिये।

मैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के माननीय मन्त्री से यह निवेदन करूंगा कि सदन के द्वारा इनको नामंजूर करने से पहले ज्यादा अच्छा रास्ता यह है कि मैंने जो संकल्प सदन में प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जावे और अगर माननीय मन्त्री इसको स्वीकार नहीं करते हैं तो मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इसके पक्ष में अपना मत प्रकट करें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना संकल्प प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री सम्पतराम (स्वायत्त शासन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान म्युनिसिपल एमेन्डमेंट बिल, १९६१ को विचारार्थ लिया जावे।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

(विराम)

श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

Page No.50

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान म्युनिसिपल एमेंडमेंट बिल, १६६१ को सलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाए।

अध्यक्ष महोदय, वैसे तो जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस प्रकार के आध्यादेश को केन्सल करने के लिए संकल्प रखा है। मैं समझता हूं कि यह प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है तो उसके बाद में इसकी सलेक्ट कमेटी में जाने की आवश्यकता नहीं रहती। अगर जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संकल्प रखा है उसको स्वीकार नहीं करते हैं तो यह मेरा दूसरा प्रस्ताव है कि इसको प्रवर समिति में भेज दिया जावे।

अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार का यह संशोधन प्रस्तुत किया गया है उसको देखने से मालूम होगा कि इस प्रकार के संशोधन की हमारे प्रान्त में आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार की परिस्थितियें उपलब्ध हो गई हों जिसके कारण ऑर्डिनेन्स के जरिये इस प्रकार का संशोधन रखा जावे फिर भी माननीय मन्त्री महोदय ने प्रस्ताव रखा है उसके बारे में एक, दो शब्द कहना चाहता हूं। इसमें दो प्रावधान रखे हैं :—

(१) यह है कि नगरपालिका के सदस्य या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की पदावधि की समाप्ति के पश्चात् भी कतिपय आरोपों की जांच की जा सकती है; या किसी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के समय में कोई जांच का कार्य शुरू हो गया हो तो वह बोर्ड की सदस्यता के समाप्त होने के बाद में भी उस पर लागू रहेगा। इससे यह दबाव रहता है कि बहुमत के सदस्य त्यागपत्र दे देने के बाद भी दबे रहें और इसके अलावा अविश्वास के प्रस्ताव के लिए ३।४ का प्रावधान जोड़ा है।

अभी तक हमारे यहां या तो नगर परिषद् थी या म्युनिसिपल बोर्ड था। लेकिन अब एक और व्यवस्था माननीय मन्त्री महोदय इसमें लाना चाहते हैं और वह नोटिफाइड एरिया ? इस सम्बन्ध में पिलानी में जो झगड़ा हुआ और इसी कारण से माननीय मन्त्री महोदय को बीच-बचाव करना पड़ा। वहां पर दो पार्टीज़ थीं और वे तो माननीय मन्त्री महोदय के दल की ही पार्टीज़ थी। कांग्रेस पार्टी के दो दल वहां हैं। उनमें आपस में झगड़ा है। उनके झगड़े में माननीय मन्त्री फंस गये थे कि दोनों को किस प्रकार से संतोष दिलाया जावे। केवल इस एक बात को सिद्ध करने के लिए माननीय मन्त्री ने नोटिफाइड एरिया की स्कीम रखी है। लेकिन वह भी इस भावना के विपरीत है। इससे सरकार को कोई अधिकार नहीं रहा कि नगरपालिका में दे। लेकिन इसमें अध्यक्ष महोदय, इससे रखने से जो हरिजन सदस्य होगा, जहां तक बाकी के सदस्यों का प्रश्न है, इसमें प्रावधान रखा है कि बाकी के सदस्यों को सरकार पूरों के पूरों को एपॉइन्ट कर सकती है या चुनाव हो सकता है। लेकिन हरिजन के लिये सरकार दूसरे तरीकों से विचार करना चाहती है। उनको एपोइन्ट किया है। महिला सदस्य हो तो उसमें सरकार एपॉइन्ट कर सकती है और जिसमें महिला सदस्य नहीं है, उसका कोई सहवरण नहीं हो सकता। महिलाओं के लिये रखते तो हो सकता है। लेकिन यहां सारे के सारे सदस्य सरकार के द्वारा एपॉइन्ट होंगे।

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

एपॉइन्टमेंट होगा वह हरिजन का होगा। मैं माननीय मन्त्री महोदय से कहूँगा कि इस प्रकार से एपॉइन्टमेंट की बात केवल हरिजन की रखी है, इस पर विचार करना है। अभी हमने राजस्थान नगरपालिका में औरतों के लिये सहवरण को रखा है।

अब यह कहा जाता है कि पिछली कार्यवाहियों के लिये केस कभी भी री ओपन किया जा सकता। किसी भी व्यक्ति ने नगरपालिका के धन का दुरुपयोग किया और वह सदस्यता से चला गया और बोर्ड का सदस्य नहीं है और किसी से अदावत चल रही है तो उस पर केस चलावेगा। इस तरह से सत्ता का दुरुपयोग किया है, तो हो सकता है कि अगर माननीय मन्त्री महोदय की नीयत साफ है तो उसके बारे में जुडिशियल कार्यवाही करते।

अब उन्होंने दूसरी बात रखी। इसको छोड़ दें। मैं इसका स्पष्टीकरण करनाचाहता हूँ। जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, इससे ज्यादा हद दर्जे की ओछी कार्यवाही क्या हो सकती है ? इस प्रकार की कार्यवाही माननीय मन्त्री महोदय ने की। हमारे सीकर में जो हुआ, उसके लिये मैं कहना चाहता हूँ और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, कि वहां पर अविश्वास की सारी कार्यवाही तय हो गई। जिस व्यक्ति ने यह प्रस्ताव रखा था, बाकी के सदस्यों के साथ भाग लेने आया और वह वहां पर उपस्थित था। उसने उस पर दस्तखत कर दिये। उसके बाद बहस हुई, उसमें बैठा रहा और जिस समय मतदान होता है उस समय उसके लिये कहा जाता है और नोट देते हैं कि (प्रेसिडेन्ट कहता है) इनको माननीय मन्त्री ने सस्पेन्ड कर दिया है। समझ में नहीं आता कि जब वह दस्तखत करता है, उसके वोट काउन्टिंग हो जाते हैं उस वक्त आप कुछ नहीं कहते और बाद में कहते हैं कि माननीय मन्त्री ने सदस्य को सस्पेन्ड कर दिया है। माननीय मन्त्री को उस व्यक्ति को बचाना था जिसके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव आया था। इसलिये ऐसा किया गया। इससे भी ज्यादा गड़बड़ी हो सकती है। यह तो एक नमूना है जो मैंने आपके सामने रखा है कि किस प्रकार की कार्यवाही मन्त्री लोग अपने आदमियों को बचाने के लिये करते हैं। इसके बाद राजस्थान हाई कोर्ट में रिट की। राजस्थान हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया। राजस्थान हाई कोर्ट के स्टे के बाद नो–कॉन्फीडेंन्स पास हुआ। उसके बाद भी इस पर रेस्ट्रेन कर दिया।

इससे और हल्की कार्यवाही की गई। हम अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव पास कर चुके थे। एक्ट में प्रावधान था कि कार्यवाहक अध्यक्ष का चुनाव कर सकते हैं। इसलिए यह निश्चय किया गया, वहां के एग्जीक्युटिव ऑफिसर ने तारीख निश्चित कर दी थी कि अमुक तारीख को निर्वाचन होगा। निर्वाचन के लिये सारे सदस्य एकत्रित हुए और एक व्यक्ति को कार्यवाहक अध्यक्ष चुन लिया। उस समय डायरेक्टर ऑफ लोकल बोडीज़ आदेश करते हैं, हालांकि इस प्रकार के आदेश करने के डायरेक्टर ऑफ लोकल बॉडीज को एक्ट में कोई अधिकार नहीं, फिर भी उनकी विशेष आज्ञा जारी हुई कि इस प्रकार की बैठक नहीं हो सकती; हमको कार्यवाहक अध्यक्ष नहीं चुनने दिया।

Page No.52

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

तीसरी कार्यवाही अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ मन्त्री महोदय की वह व्यक्तिगत द्वेष निकालने की मन्त्री महोदय ने की। उसके बाद यह तय हुआ कि वाइस चेयरमैन का चुनाव कर लिया जाय, एक्ट में इस प्रकार का प्रावधान है। वाइस चेयरमैन के चुनाव की तारीख तय कर दी गई। उम्मीदवारों ने पर्चे दाखिल कर दिये, स्क्रुटिनी हो गई, सारे के सारे सदस्य चुनाव करने के लिये बोर्ड में चले गये। निर्वाचन करने बैठे, रिटर्निंग ऑफिसर ने पर्चियां काट दीं कि तीन उम्मीदवार हैं इनको वोट दें। केवल ५ मिनिट निर्वाचन में बाकी थे उस समय मन्त्री महोदय का आदेश जाता है कि जो उम्मीदवार खड़े थे उनमें से १ को सस्पेन्ड कर दिया। मन्त्री महोदय की यह इच्छा थी कि कांग्रेस का उम्मीदवार जीते और कांग्रेस में भी मेरे गुट्ट का उम्मीदवार जीते, इसलिये उन्होंने विरोधी उम्मीदवार को ही सस्पेन्ड कर दिया। इस प्रकार की निकृष्टतम कार्यवाही, ओछी कार्यवाही राजस्थान के स्वायत्त शासन मन्त्री ने की है। इससे ज्यादा ओछी कार्यवाही और क्या हो सकती है? सस्पेन्ड ही करना था तो दो, चार दिन पहले करते, पर जब वोटिंग में ५ मिनिट बाकी रह गये उस वख्त सस्पेन्ड किया। इस पर हम हाई कोर्ट में गये और सम्पतरामजी पर चार्ज लगाया कि इन्होंने अपने गुट्ट के व्यक्ति को जीताने के लिये अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है। राजस्थान के उच्च न्यायाधीश ने इन पर नोटिस जारी किया तो इन्होंने अपने सस्पेन्शन के ऑर्डर को विड्रॉ कर लिया। इनमें अगर ईमानदारी थी, नैतिकता थी तो अपने ऑर्डर को विथ्ड्रॉ नहीं करते। हम तो स्वायत्त शासन मन्त्रीजी के इरादों को जानते थे इसलिये हमने पहले ही डेमी केन्डीडेट का फार्म भर दिया था। हमारे पास वोट ज्यादा थे, इसलिये हमारे उम्मीदवार ने इनके उम्मीदवार को फिर भी हरा दिया। तो व्यक्तिगत द्वेष निकालने के लिये वे इस प्रकार की कार्यवाही करते हैं। हम हाई कोर्ट में गये और इन्होंने देखा कि चेयरमैन का चुनाव हो गया है तो इन्होंने सस्पेन्शन के अपने ऑर्डर को वापिस ले लिया। नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने जैसे एक माननीय सदस्य के लिये कहा था कि XXXX इस प्रकार मन्त्री महोदय ने XXXX हमने एक्ट में प्रावधान रखा है कि किसी को सस्पेन्ड किया जाय तो पहले प्रिलिमिनेरी एन्क्वायरी की जाय। एन्क्वायरी करनी हो तो पहले नोटिस दिया जाय। पर उस सदस्य पर कोई आरोप भी नहीं। सस्पेन्ड करने के जो अधिकार दिये हैं उनके अनुसार प्रिलिमिनरी एन्क्वायरी हो, प्राइमाफेसी केस हो तो सस्पेन्ड कर सकते हैं। केवल चेयरमैन की कम्प्लेन्ट पर किसी भी सदस्य को सस्पेन्ड कर सकते हैं, इस प्रकार का कोई प्रावधान एक्ट में नहीं है। फिर भी अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की कार्यवाहियां इस एक्ट के तहत मन्त्री महोदय द्वारा की जाती हैं तो अब तो जो संशोधित विधेयक आया है उसके अनुसार ६ वर्ष की या १२ वर्ष की कोई लिमिट नहीं, जब भी मन्त्री महोदय देखेंगे कि यह सदस्य हमारे विरोध में है, कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुँचाता है तो किसी भी समय उसका निलम्बन

XXXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

किया जा सकता है। तो इस प्रकार के वाइड अधिकार लेने के लिये मन्त्री महोदय यह विधेयक लाये हैं। मेरा तो निवेदन है अध्यक्ष महोदय, कि इस प्रकार के अधिकार देने से पहले इस विधेयक पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये। आज तक जितने अधिकार दिये गये हैं, आज तक उन अधिकारों का दुरुपयोग किया गया है एक उदाहरण मैं निवेदन करना चाहूँगा। हमारे यहां सीकर जिले में फतेहपुर नगरपालिका है। उसमें चेयरमैन के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया और पूरी तैयारी कर ली गई। दूसरे रोज प्रातः ८ बजे उस अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार होना निश्चित हुआ। पर रात को ११ बजे कलेक्टर के पास मन्त्री महोदय का तार पहुँचता है कि विरोधी पक्ष के नेता को सस्पेन्ड किया जाता है। एक ही वोट का फर्क था। इस कारण अविश्वास का प्रस्ताव पास न हो सका। इस प्रकार के सस्पेन्शन के ऑर्डर के कारण। पर बाद में भ्रष्टाचार के आरोप में वे चेयरमैन हटा दिये गये। १० सदस्यों ने उन पर आरोप लगाया था कि वे भ्रष्टाचार करते हैं। ८ बजे सुबह अविश्वास का प्रस्ताव पास किया जाने वाला था और रात को ही ११ बजे मन्त्री महोदय तार द्वारा सूचना देते हैं कि विरोधी दल के नेता को सस्पेन्ड किया जाता है। जो अधिकार इस एक्ट के तहत मन्त्री महोदय को दिये थे उन अधिकारों का मन्त्री महोदय द्वारा अपने दल के, अपने गुट्ट के लोगों को फेवर करने, में दुरुपयोग किया गया और अपने गुट्ट के आदमी को जीता भी दिया। पर आखिर में लाचार होकर भ्रष्टाचार के आरोप में उस चेयरमैन को सस्पेन्ड करना पड़ा।

इसी प्रकार की जालोर की घटना हुई, वहां के चेयरमैन को कितनी ही बार सस्पेन्ड किया गया और जालौर के मामले में हाई कोर्ट ने भी मन्त्री महोदय को लताड़ दी....

श्री सम्पतराम (स्वायत्त शासन मन्त्री): नहीं, अध्यक्ष महोदय, यह गलत है। हाई कोर्ट ने कोई लताड़ नहीं दी बल्कि गवर्नमेंट ने जो एक्शन लिया उसको ठीक माना है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : हाई कोर्ट ने यह लताड़ दी थी कि....

श्री सम्पतराम : जालोर के मामले में गलत सूचना दी जा रही है....

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : दो सदस्यों वाला मामला। आपने दो सदस्यों को सस्पेन्ड कर दिया था। उन्होंने हाई कोर्ट में रिट की। हाई कोर्ट ने उनके रीइन्स्टेटमेंट के लिये आपको कहा। फिर भी आपने उनका रीइन्स्टेटमेंट नहीं किया, तो हाई कोर्ट ने आपको कन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस दिया था।

श्री सम्पतराम : मैं कह रहा हूँ कि हाई कोर्ट ने किसी भी प्रकार का नोटिस नहीं दिया। केवल यही कहा था कि जल्दी एन्क्वायरी की जाय। स्टेट गवर्नमेंट ने एन्क्वायरी कर के डिशियल जुएन्क्वायरी के लिये भेज दिया था।

श्री भैरोंसिंह : यह सूचना गलत है। आपने एन्क्वायरी कर के जुडिशियल एन्क्वा-

(श्री भैरोंसिंह)

यरी के लिये भेजा। वह हो गई जुडिशियल एन्क्वायरी से कोई दोष साबित नहीं हुआ, फिर भी आपने उनका रीइन्स्टेटमेंट नहीं किया तब वे हाई कोर्ट में रिट ले गये। हाई कोर्ट ने आपको उनका रीइन्स्टेटमेंट करने के लिये कहा। फिर भी आपने उनका रीइन्स्टेटमेंट नहीं किया, तो हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट एडवोकेट की मार्फत मन्त्री महोदय को कन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस देने के लिये कहा। नोटिस दिया या नहीं ...

श्री सम्पतराम : यह भी गलत सूचना है।

श्री भैरोंसिंह : उन दो सदस्यों के खिलाफ आपकी एन्क्वायरी से कोई चार्ज साबित नहीं हुआ। जुडिशियल एन्क्वायरी से कुछ भी साबित नहीं हुआ और आपने रीइन्स्टेटमेंट नहीं किया तो वे सदस्य हाई कोर्ट में गये। हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट को आदेश दिये कि उनको रीइन्स्टेट किया जाय। आप हाई कोर्ट के आदेश को मानने से गुरेज कर रहे थे तब हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट एडवोकेट को कहा कि कन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का आपको नोटिस दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि आपस में इस प्रकार की बहस करना उचित नहीं है। यदि माननीय सदस्य कोई ऐसी बात कहना चाहते हैं, तो वह फैसला पढ़ कर सुनायें; बाकी जुबानी हवाला दे कर बहस को बढ़ाने से कोई फायदा नहीं।

मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वे अपना भाषण जल्दी समाप्त करें; क्योंकि और भी सदस्य बोलना चाहते हैं।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : तो माननीय अध्यक्ष, व्यक्तिगत अधिकारों के हनन का जहां तक प्रश्न है वह इन माननीय स्वायत्त शासन मन्त्रीजी के कार्यकाल में अत्यधिक हुआ है। इस प्रकार का हस्तक्षेप करना, सदस्यों को सस्पेन्ड करना, हटाना, ये सब काम पिछले एक साल में आपके कार्यकाल में जितने हुए हैं, जिस प्रकार की निम्नस्तर की घटनाएं राजस्थान में इनके कार्यकाल में घटी हैं वे सब हमारे सामने हैं। तो क्या सदन इस प्रकार के मन्त्री महोदय को इस प्रकार के अधिकार देना पसंद करेगा, जिन्होंने कि राग–द्वेष में फंस कर, इस प्रकार की कार्यवाहियां की हैं, को इस प्रकार के अधिकार देना चाहता है ? तो मेरा सदन से निवेदन है कि इस प्रकार के अधिकार इनको कदापि नहीं देने चाहिये। मेरा यह अनुरोध है कि इस प्रकार का यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है : कौन से अधिकार देने चाहिये और कौनसे अधिकार नहीं देने चाहिये, किस प्रकार नोटिफाइड एरिया बनना चाहिये और किस प्रकार सदस्य बनाना चाहिये ; नोटिफाइड एरिया में कौनसी स्कीम होनी चाहिये और कौनसी स्कीम नहीं होनी चाहिये। इन सब बातों पर विचार करने के लिए एक प्रवर समिति बननी चाहिये जो कि अधिक दिन न लेकर तीन दिन में ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दे। इसमें अधिक समय भी नहीं लगेगा और इस पर गंभीरता से विचार किया जा सके, इसलिए एक प्रवर समिति बनाई जाय, यह मेरा प्रस्ताव है।

एक माननीय सदस्य : Mr.Speaker,...

श्री अध्यक्ष : एक प्रस्ताव और है। श्री दयाकृष्ण विजय।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक प्रस्ताव है कि "राजस्थान म्युनिसिपैलिटीज़ (संशोधन) विधेयक, १९६१ को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जावे।" प्रवर समिति को सुपुर्द करने की बात जब मैं इस विधेयक के विषय में कहता हूँ तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यह जो बिल राजस्थान विधान सभा में प्रस्तुत किया गया, मैं निवेदन करूंगा कि म्युनिसिपैलिटीज़ एक्ट पहले बना था उसकी कुछ धाराओं को, यद्यपि संशोधित करने के लिए है, लेकिन सही माने में देखा जाय तो राजस्थान टाउन म्युनिसिपैलिटीज़ एक्ट जो कि पहले ही सदन में पास हो चुका है, उसकी धाराओं से किसी प्रकार सम्बन्धित नहीं है। लेकिन स्वायत्त शासन विभाग की ओर से अब तक जो कुछ गलतियां की गई थीं, जो कुछ नेग्लीजेन्स इसके विषय में की गई, जो कुछ कार्य करने की अक्षमता और अकर्मण्यता दिखाई गई, उन सब नेग्लीजेन्स और अकर्मण्यताओं पर और गलतियों पर पर्दा डालने के लिए यह सब कार्यवाही की जा रही है। इसको अमेंडमेंट बिल न कह कर इसको एडीशनल टाउन म्युनिसिपैलिटीज़ कानून कहा जाय और इस प्रकार से यह जो अतिरिक्त कानून लाया गया है उसको अतिरिक्त के नाम से ही रखा जाता तो ठीक होता। यह तो संशोधन की परिधि में नहीं आता है। सारी की सारी धारायें कुछ एडीशन्स के रूप में नई चीज़ देने के लिए हैं। सही माने में कहना चाहिये कि जिसने भी इनको पढ़ा होगा, वे समझते होंगे कि जिस प्रकार से कानून बनाने की परम्परायें अपनायी गई हैं उनसे विधि निर्माण की सारी परम्पराओं का जो निर्माण हुआ है उन सब पर एक भारी वज्र प्रहार करने का यह कानून है। आज जिस प्रकार हम डेमोक्रेसी में श्वांस ले रहे हैं, जिस प्रकार से आज प्रजातन्त्र में जी रहे हैं उस प्रजातन्त्र के श्वांस का गला घोटा जा रहा है। मैं सही माने में कहना चाहता हूं कि एक ओर राजस्थान में विकेन्द्रीकरण के नाम पर दुनिया भर में डंका पीटा जाता है, उन डंका पीटने वालों से पूछना चाहता हूं कि उन स्वायत्त शासन संस्थाओं में अपनी नेग्लीजेन्स, अपनी अकर्मण्यता के कारण काला धब्बा लगाना चाहते हैं ? जिस प्रकार विधेयक रखा गया है और जिन बातों के सुधार करने के लिए रखा गया है वह सुधार नहीं है; बल्कि आने वाले भविष्य के लिए अन्धकार की निशानी होगी। जो आज स्वायत्त शासन विभाग का काम चलाने वाले हैं उनके सब इस प्रकार के नेग्लीजेन्स, अकर्मण्यताओं के काले कारनामों पर पर्दा डालने के लिए जिसमें इस प्रकार से संचालित करने की योजना दिखाई देती है।

मैं, अध्यक्ष महोदय, पांच–छः क्लॉजेज़ पर निवेदन कर रहा हूं और मैं उनको पढ़ कर बताऊंगा कि किस प्रकार के एडीशन्स हैं। इस प्रकार के एडीशन्स ही नहीं हैं, किस प्रकार से कानून को खत्म करने जैसी प्रक्रिया लायी जा रही है। इस विधेयक में चार–पांच बातों की विशेषताओं का उल्लेख किया गया है। उनमें सबसे अधिक हमारा ध्यान और सदन का ध्यान जाना चाहिये कि जितनी भी नगरपालिकायें हैं जिनकी अवधि समाप्त हो

(श्री दयाकृष्ण विजय)

गई है वहां उनके प्रतिनिधियों को तीन वर्ष काम करते हुए हो गये लेकिन उनके चुनाव समय पर नहीं कराये गये। अदालतों की डिक्री या हाई कोर्ट के फैसलों के कारण चुनाव शून्य घोषित कर दिये गये और वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर्स मुकर्रर कर दिये गये। हमारे एक्ट में, सेक्शन २९३ के अन्दर प्राव-धान किया है कि ६ महीने की अवधि से अधिक नहीं रहेगा। यदि हम सूची की ओर, जो कि इस विधेयक के साथ संलग्न है, दृष्टि-पात करते हैं तो हमें लगता है कि सन् ५८ से लेकर, ५९, ६० और १९६१ की ऐसी नगरपालिकायें हैं जिनमें प्रशासक ही काम कर रहे हैं। यह एक बड़े खेद की बात है कि सन् ५९ में प्रशासक नियुक्त किया गया आज तक उन नगरपालिकाओं के चुनाव नहीं कराना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं स्वायत्त शासन मंत्रीजी से, एक्ट के अनुसार आप प्रशासक छः महीने की अवधि के लिए ही नियुक्त करते हैं, फिर कानून के खिलाफ–क्यों नहीं छः महीने के बाद उनको हटा कर उन नगरपालिकाओं के चुनाव नहीं कराते हैं—क्यों तीन तीन साल तक उनके चुनाव नहीं कराते हैं ? आप इस प्रकार से तीन-तीन साल तक चुनाव नहीं करा सकते हैं, इससे अधिक आपके विभाग की और क्या अकर्मण्यता और उदासीनता हो सकती है ? इससे अधिक गम्भीर आरोप और कोई नहीं हो सकता है कि इस विभाग ने जिस प्रकार की स्वायत्त शासन संस्थाओं के कार्यों में नेग्लीजेन्स, उदासीनता, अकर्मण्यता बरती है वैसी किसी विभाग ने नहीं।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पूरी लिस्ट है, नगरपालिकायें दिखाई गई हैं, जिनमें ८–१० नगरपालिकायें ऐसी हैं जिनका चुनाव कराने के लिए ऑर्डिनेन्स नहीं इश्यू किया, गजट में भी प्रकाशित नहीं किया। अगर मंत्रीजी चाहते हैं कि स्वायत्त शासन विभाग का काम ठीक चले तो इस प्रकार की उदासीनता और अकर्मण्यता को उनको छोड़ना पड़ेगा। सेक्शन २९३ की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और उसके तहत सारा संशोधन विधेयक लाया गया है वह इतना भयंकर है कि उसको देखने के बाद इसमें सारा निर्णय किया जायेगा सेक्शन २९० और २९५। जब कभी बोर्ड सस्पेन्ड हो जाय और प्रशासक नियुक्ति करने की बात हो तो उसमें चार पांच कारण दिये गये हैं। मैं उनको पढ़ कर दिखाना चाहता हूं और उन्हीं बातों के आधार पर कहूंगा कि इतने गलत तरीके से ड्राफ्ट किया गया है कि जिन बातों का उल्लेख नहीं होना चाहिये उनका भी ध्यान नहीं रखा गया है। लॉ डिपार्टमेंट, जो इनको ड्राफ्ट करता है, उनकी कमियों को बखूबी माननीय सदस्यों ने इस सदन में जाहिर किया है। मैं उन कमियों को बताना चाहता हूं :

"**कुछेक मामलों में प्रशासक नियुक्त करने की शक्ति** : (१) जब कभी–

(ख) किसी बोर्ड के समस्त सदस्यों का, अथवा सदस्यों की कुल संख्या के दो–तिहाई से अधिक सदस्यों का निर्वाचन किसी सक्षम न्यायालय या प्राधिकारी द्वारा, धारा ३६ के अधीन प्रस्तुत किसी चुनाव याचिका पर कार्यवाही में न होकर अन्यथा प्रभाव शून्य घोषित कर दिया गया हो,"

(श्री दयाकृष्ण विजय)

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज तक भी कोई ऐसा उदाहरण नहीं होगा कि एक अदालत ने दो-तिहाई सदस्यों के बोर्ड को अवैध घोषित कर दिया हो। इसी प्रकार चुनावों को चेलेन्ज कर दिया गया हो तो सारे चुनाव सेट-असाइड कर दिये जायं। एक मेम्बर के अनुसार किया जाता है तो जो प्रावधान हैं उनके अनुसार करना चाहिये। एक एक का निर्णय होता है। दो-तिहाई पर सदस्य हटा दिये जायं, आज तक इस प्रकार का कोई उदाहरण नहीं देखा है। हैं तो माननीय मंत्रीजी बतायेंगे। सारे चुनाव शून्य घोषित किये जा सकते हैं। उसके बाद है :

"(ग) किसी नव गठित (Newly Constituted) बोर्ड के सर्व प्रथम अध्यक्ष का निर्वाचन किसी सक्षम न्यायालय या प्राधिकारी की किसी आज्ञा द्वारा उपस्तम्भित कर दिया गया हो"।

यह भी हो सकता है कि अध्यक्ष का चुनाव रोक दिया हो तो इस प्रकार से इसमें किया जा सकता है। तीसरी बात यह है कि

"(घ) किसी बोर्ड के कार्यकाल की अवधि या बढ़ाई गई कार्यकाल की अवधि समाप्त हो चुकी हो और इस एक्ट के प्रावधानों के अनुसार नये बोर्ड का गठन न किया गया हो"। आप नये बोर्ड का गठन करना चाहते हैं। अवधि रखी है एक साल के अन्दर ले आवेंगे लेकिन सन् ५८ से लेकर आज तक आपने चुनाव नहीं कराये हैं। तो यह सब दिखाता है कि एक ओर कानून में आप अधिकार लेते हैं और दूसरी तरफ आपका व्यवहार क्या है।

आप कानून के अनुसार चलना नहीं चाहते। राज्य सरकार के गजट में विज्ञप्ति निकाली गई है, जिसमें प्रशासक नियुक्त करने की व्यवस्था है; जब कि एक वर्ष का समय लिखा हुआ है। यहां अवधि मेन्शन क्यों करना नहीं चाहते हैं? क्या आप सदन को विश्वास दिलायेंगे कि यह अवधि एक साल की होगी? पुराने क्लॉजेज़ में जिस प्रकार की परिभाषा थी वह आप रखना नहीं चाहते। मैं इस एक्ट की धारा २९५ की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो इस प्रकार से है कि जब किसी भी बोर्ड को सस्पेन्ड किया जायेगा, उससे पूछा जायेगा, उसके एक्सप्लेनेशन्स लिए जायेंगे और इस तरह से छः महीने से ज्यादा सुपरसीड नहीं हो सकता। लेकिन इसके अन्दर जो बातें रखी गई हैं उसके परन्तुक में लिखा है :

"Provided that no action shall be taken under this sub-section unless the board has been afforded a reasonable opportunity of submitting an explanation and of being heard if the board so desires."

इसके एक्सप्लेनेशन में यह है कि रिजनेबल ऑपोर्चुनिटी दी जायेगी। परन्तुक में जो लिखा है इस प्रकार से अवधि बढ़ा कर किसी भी बोर्ड को सस्पेन्ड करते हैं उसको बिना ऑपोर्चुनिटी दिये हटा सकते हैं। यह जो हम कर रहे हैं वह एक तरह से न्याय का गला घोंट रहे हैं। इसमें एक और बात है। उसकी अवधि की कोई सीमा नहीं, जब कि लिमिट पहले की हुई है कि वह छः महीने की अवधि से ज्यादा नहीं होगी। अवधि को और उसके कारणों को एक्सप्लेनेशन में देने का अवसर दिया गया है। इन सारी बातों को

(श्री दयाकृष्ण विजय)

रद्द करके अपनी मर्जी से जितनी देर के लिये अवधि बढ़ा सकते हैं, जब चाहे तब सस्पेन्ड कर सकते हैं। उन धाराओं को सस्पेन्ड करके जो धारा जोड़ रहे हैं उससे ऐसा प्रतीत होता है उन सब को सरपास करते हुए नई चीज़ सदन से पास कराना चाहते हैं। यह पूर्णतया अप्रजातांत्रिक है। इन सारी बातों को करके आप प्रजातन्त्र का गला घोंट देना चाहते हैं।

इसके तहत एक और एडीशनल क्लॉज़ रखा गया है। कतिपय नगरपालिकाओं में प्रशासकों की नियुक्ति तथा संकल्प का वैधकरण—इसके अन्तर्गत एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति कर रखी है वह लिमिटेड पीरियड के लिए है। न केवल उसकी अवधि एक बार बढ़ायी जा सकती है; तीन तीन बार बढ़ाई गई है। इस तरह से अनलिमिटेड पीरियड के लिए अवधि बढ़ाने का अधिकार जो लिया जा रहा है यह अच्छा तरीका नहीं है। जब बोर्ड का समय पूरा हुआ उसके बाद छः महीने के लिये प्रशासक नियुक्त किया जाकर उन छः महिनों में दुबारा चुनाव कराये जा सकते हैं। लेकिन यह देखा गया है किसी किसी नगरपालिका में तीन तीन साल तक प्रशासक काम कर रहे हैं। देखा यह गया है कि जिस बोर्ड में कांग्रेस का चेयरमेन है, उसकी मियाद बहुत लम्बे समय तक के लिए बढ़ा दी, यह आपको जयपुर नगरपालिका और सीकर नगरपालिका में देखने को मिलेगा। सीकर नगरपालिका के साथ जिस प्रकार का व्यवहार स्वायत्त शासन मन्त्री द्वारा किया गया है वह उन्होंने एक प्रकार से स्वायत्त शासन संस्थाओं का गला घोंटने जैसा काम किया है। स्वायत्त शासन मन्त्री में यदि थोड़ा भी स्वाभिमान है, इस प्रकार के ज्वलन्त उदाहरण हैं, जिनके कारनामों के ज्वलन्त उदाहरण हैं, जो उन पर आरोप लगाये जा रहे हैं अपने पक्ष के व्यक्तियों के आने का होता है वहां पांच-पांच दस-दस दिन बाद सस्पेन्शन के ऑर्डर्स दिये जाते हैं, ताकि वहां अपने पक्ष के लोग आ सकें। आज आपके हाथ में इन स्वायत्त शासन संस्थाओं का काम आया है, आपको दल के पक्षपात से ऊपर उठ कर स्वायत्त शासन संस्थाओं की सेवा करनी चाहिये और जनता के समुचित हित को ध्यान में रख कर कार्य करना चाहिये।

इसके साथ साथ इसमें एक नया क्लॉज़ और जोड़ा गया है, जिसकी आज तक म्युनिसिपैलिटीज़ में आवश्यकता नहीं पड़ी। वह इसके अन्दर अनुसूचित था, अब नोटिफाइड एरियाज की आवश्यकता पड़ी। यह बड़ा महत्वपूर्ण क्लॉज़ है। हमारे राजस्थान का जितना क्षेत्र है उसमें ग्राम क्षेत्र पंचायतों में आ जाता है और शहरी क्षेत्र में म्युनिसिपैलिटीज़ काम करती हैं। ये पहले से बनी हुई हैं। इस म्युनिसिपल एक्ट के अन्दर प्रावधान है कि जहां आठ हजार की आबादी होगी वहां नगरपालिका स्थापित होगी और यह भी नगरपालिका बनाना या पंचायत बनाना स्वायत्त शासन मन्त्री की इच्छा पर निर्भर करता है। कई बार देखा जाता है, जहां नगरपालिकायें होती हैं वे पंचायतों में बदल दी जाती हैं और कहीं विरोधी दल की नगरपालिका हुई तो उसको पंचायत में बदल दिया जाता है। मैं आप से निवेदन करूं, टोडारायसिंह का, जिसका चुनाव हाल ही में हुआ। पहले वहां पंचायत थी। फिर नगरपालिका बना दी। फिर पंचायत बना दी और अब फिर

(श्री दयाकृष्ण विजय)

उसको नगरपालिका बनाया जा रहा है; जैसा कि जनसंघ दल के नेता ने सूचना दी । इन सारी बातों के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं । यह देखा गया है कि तीन-तीन चार–चार हजार को पॉपूलेशन वाले कस्बों में नगरपालिकायें काम कर रही हैं और जहां नगरपालिका के लिये मांग की जाती है वहां पर नगरपालिका नहीं बन पाती । जहां कहीं नोटिफाइड एरियाज़ घोषित करते हैं । यह तो विदेशी शासन के समय था । उस समय ऐसा करने के लिए उनके कुछ कारण भी थे । अब उसी प्रकार के कारण हमारी सरकार के सामने आये हैं । पिलानी के कुछ हिस्से को नोटिफाइड एरिया में लेना चाहते हैं । बिड़ला बन्धुओं को सन्तुष्ट किया जा सके; ताकि आने वाले चुनावों में पूंजीपतियों की मदद मिल सके ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : यह गलत है ।

श्री दयाकृष्ण विजय : गलत नहीं है, बिल्कुल फैक्ट है । मैं यह कहना चाहता हूँ कि नोटिफाइड एरियाज़ को विधेयक में रखने की क्यों आवश्यकता महसूस हुई ? आज जब कि सारा राज्य पंचायतों और नगरपालिकाओं में विभक्त है । पंचायतें विकास कार्य कर रही हैं, उनको टैक्स लगाने और वसूल करने का अधिकार है । फिर ऐसी कौनसी आवश्यकता आती है ? हम कुछ बड़े शहरों को तोड़ कर, कुछ गांवों को उससे अलग करके नोटिफाइड एरिया घोषित करके अलग से काम करें ? कुछ पंचायतें इस प्रकार की हैं उनको हमें बदलना होगा । लेकिन जहां कांग्रेस के जीतने के चान्सेज नहीं होंगे उनको तोड़-फोड़ कर नोटिफाइड एरिया में घोषित किया जायेगा । राजस्थान राज्य पंचायतों में विभक्त होकर विकास की ओर अग्रसर हो रहा है । उसमें अब नोटिफाइड एरिया और बना कर के उनको अलग रखना, यह उचित नहीं । इस क्लॉज़ में जो धारायें रखी हुई हैं उनमें इस प्रकार से लिखा हुआ है प्रशासक का वैधकरण सदस्य की योग्यता अयोग्यता के विषय में है । वह कोई मामूली विषय नहीं है । यह नये चेन्जेज लाये गये हैं जल्दी में । इसके लिये नोटिफिकेशन निकाल दिया गया ३१ जुलाई को–निकाल कर कार्यवाही कर दी । अब उसके लिये सदन से मन्जूरी करवाना चाहते हैं । जल्दी में इस प्रकार महत्वपूर्ण बिल की धाराओं पर संशोधन नहीं लाया जाकर प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय तो उचित रहेगा; ताकि हम कुछ दिन इस पर विचार कर इसको पूर्ण बना सकते हैं । केवल बहुमत के आधार पर किसी चीज को करा लेने से उसके भयंकर परिणाम भविष्य में आने वाले हैं । इन परिणामों को राजस्थान की स्वायत्त शासन संस्थाओं को भुगतना होगा । उसके लिये वे स्वायत्त शासन मंत्री को धन्यवाद नहीं दे सकते । तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस पर गम्भीरता से विचार करने के लिये तीन-चार दिनों के लिये ही सही, ठंडे दिमाग से विचार करके पास करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा । इसलिये इसे प्रवर समिति के सुपुर्द किया जावे ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : अध्यक्ष महोदय, इस ऑर्डिनेन्स पर जो प्रवर समिति का प्रस्ताव आया है उसका मैं विरोध करता हूँ ।

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

पर इसके साथ मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि सरकार को इस पर कोई आग्रह भी नहीं होना चाहिये। अगर इस सदन में बहस के बाद कुछ ऐसे मुद्दे नजर आवें तो उन पर विचार कर ले कि हमारा क्या कर्त्तव्य है उन हमारे वोटरों के प्रति जिनके वोटों से ही हम यहां आये हैं और जिस डेमोक्रेसी की बात हम करते हैं उसमें निश्चित क्षेत्र में उनके भी अपने कुछ अधिकार हैं।

उनके उन अधिकारों पर इस एक्ट से असर पड़ता है। तो मैं इस सिलसिले में कहूँगा और विरोधियों से भी कहूँगा कि ऐसे मामलों में वे कांग्रेस की या व्यक्ति विशेष की या पक्ष विपक्ष की बात न लावें। इससे तर्क साथ छोड़ देता है और दुराग्रह हो जाता है। अपने इस सदन के और नगरों और शहरों के बाशिन्दों के अधिकारों की रक्षा करने में भी आप असमर्थ होंगे अगर ऐसा रुख रखेंगे। तो इन शब्दों के साथ मैं इसके प्रोविजनों की तरफ आता हूँ।

मैं समझता हूँ कि जो आठ साल बाद एक एक्ट पास हुआ और इसके बाद पांच साल तक पहले और डेढ़ साल तक इस सदन के सदस्यों ने बड़ी बहस के बाद उसे पास किया उसके बाद कुछ बदलाव आया। मिनिस्टर की जगह दूसरे मिनिस्टर आये। और थोड़ा संक्रान्ति काल का गुजरना था कि इसके बाद इस तरह से कुछ मिनिस्ट्री में भी फ्लेअर आया और इसके बाद हमारा वर्तमान मन्त्री मण्डल बना। इसके कुछ ही अर्से पहले यह एक्ट चलना शुरू हुआ। मैं कह सकता हूँ कि इस एक्ट में बहुत सी ऐसी खामियां हैं जिनकी तरफ सरकार का ध्यान जाना जरूरी होना चाहिये, पर उनकी ओर ध्यान नहीं जाता पर मामूली सी बातों की तरफ वे हेरफेर करते नहीं हिचकते। मिसाल के तौर पर कहना चाहता हूँ। उसमें एक प्रोविज़न है—मीटिंग बोर्ड की चल रही है, तो किसी का भी प्रस्ताव हो, अगर उसमें यह कह दिया जाय कि अध्यक्ष का पर्सनल पीकूनियरी एसोसियेशन है तो इसका निर्णय भी वहां वोट से किया जावेगा और उस वक्त वह चेयरमैन चेयर पर नहीं रह सकेगा। अब जहां पोलिटिकल टैक्टिक्स चलते हों वहां चाहे उसका पैसे का ताल्लुक हो या न हो, किसी मसले से, तो भी चूंकि ऐसा प्रोवीजन है इसमें तो अपने पोलिटिकल टैकटिक्स के कारण कोई भी चेयरमैन को हैरेश करेगा और उस वक्त जब कि ऐसा प्रस्ताव वहां आया हो उसे प्रेसीडेन्ट पद से नीचे उतर कर आना पड़ता है। वोट से पीकूनियरी इन्टरेस्ट है या नहीं, इसे तय किया जाता हो तो उस प्रोविज़न को क्या कहा जा सकता है? इस तरह के प्रावधानों की तरफ आपका ध्यान नहीं जाता। मैंने यह मिसाल दी है। इस तरह की बहुत सी कॉन्ट्रेरी सेक्शन्स भी हैं। इसकी जिम्मेदारी से सरकार इन्कार नहीं कर सकती। इसकी जिम्मेदारी जनसंघ पर भी है। जिस समय यह एक्ट पास हो रहा था तो ऐसे लोगों को इसमें एसोशियेट किया गया। हम जल्दी से इसे पास करना चाहते थे। इसलिये पांच साल पहले इस मुद्दे पर डिस्कशन हो चुका था और इसके लिये एक छः-सात आदमियों की कमेटी बनाई गई। उसमें इतने लोग जनसंघ की तरफ से रखे गये कि इसके बारे में इस तरफ से इशारा भी किया गया, पर उस वक्त ध्यान नहीं दिया गया। इसकी

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

वजह से ये सब चीजें इसमें रह गई हैं।

इसके बाद कुछ बड़े अदब से सरकार की तरफ भी इशारा करना चाहता हूँ। जितने एक्ट वह पास कराती है वे जहां से, जिस एंगल से बन कर आते हैं वह सरकार के लिये खतरे की घंटी है। यह लॉ डिपार्टमेन्ट फेल्योर होता है हर एक्ट के बनाने में। जिस तरफ भी सरकार के खिलाफ जो हाई कोर्ट में इन एक्टों के प्रोविजनों को लेकर जाते हैं स्टे ऑर्डर मिलते हैं। जितनी भी म्यूनिसिपल कमेटियां हाई कोर्ट में गई वे सब जीत कर आई हैं। उसमें फिर किसी मिनिस्टर का ऑर्डर हो या फिर कोई नोटिफिकेशन हो। क्योंकि इसकी धाराओं में इस तरह का प्रोविजन है कि एक दूसरे से टकराते हैं। तो इस लॉ डिपार्टमेन्ट के बारे में मैं माननीय मन्त्रीजी से कहूंगा कि वे इसे ठीक करें। मैं उनसे और पूछूंगा कि कितने केस हाई कोर्ट में सरकार के खिलाफ गये या एक्ट के खिलाफ गये और कितने केसों में सरकार हारी? इसका वे जवाब देंगे तो मैं जानता हूँ ८० फी सदी नतीजे ऐसे होंगे जो सरकार के खिलाफ हुए हैं और इस तरह से ये एक्ट गलत बने हैं।

हम यहां पर कोशिश करते हैं। इतने बड़े चुनाव से चुन कर आते हैं, पर कानून के पंडित नहीं हैं। सरकार अपने लॉ डिपार्टमेन्ट से ऐसे कानून बनवा कर यहां लाए और उनकी गति हाई कोर्टों में इस तरह की हो यह आश्चर्य है कि किस तरह यह लॉ डिपार्टमेन्ट काम करता है।

इसी एक्ट के बारे में कहता हूँ। अजमेर में इस एक्ट की गलतियों की वजह से जो वहां की जनतान्त्रिक पद्धति से म्यूनिसिपैलिटी चल रही थी, जिसके लिये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि राजस्थान की वह सबसे पुरानी म्यूनिसिपल कमेटी है। 92 years की oldest in India है। उस समय चार म्यूनिसिपल कमेटियां इण्डिया में बनी थी, उसमें से एक अजमेर में थी। उसमें यह एक्ट आया और किस तरह से रिट आई, कैसे कैसे फैसले हुए? इस एक्ट में कहा गया कि ड्यूज होंगे तो उस पर वोट का अधिकार नहीं होगा। दूसरी जगह है मेम्बर चुना जावे तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कुछ करेगा। वहां जहां पर चुनाव का सिलसिला है, रूल्स का सहारा लेकर कह दिया जाता है आपके खिलाफ चूंकि ड्यूज हैं आप वोट नहीं दे सकते। हाई कोर्ट में फैसला होता है यह ठीक है। धौलपुर के बारे में, अजमेर के बारे में फैसला हो जाता है। धौलपुर का मामला उस तरह का जाता है, क्योंकि हाई कोर्ट के फैसले को लेकर मेम्बरों को निकालना शुरू हो जाता है। अब बीच होता है। सेक्शन ५७ में उनको नहीं हटाया जाता। तो एक ही एक्ट के बारे में इतनी लिटीगेशन और तवालत हो गई है। ऐसी हालत में मुझ से कोई कहे कि म्युनिसिपैलिटी का प्रेसीडेन्ट बनो तो मैं ईमानदारी के साथ कहता हूँ, हालांकि यह सेवा का काम है, पर मैं इन्कार कर दूंगा।

तो मैं कहना चाहता हूँ और पहले भी मांग की है और आज भी करता हूँ कि जो अध्यादेश है मैं उसका विरोध नहीं करता। वह तो एक चीज थी उसको रेगुलेट करने के लिए लाया गया है। पर मेरी ऐसी मान्यता

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

है कि हर बात के लिए ऑर्डिनेन्स नहीं निकालना चाहिए। लेकिन ऐसी स्थिति में जब गवर्नमेन्ट के पास कोई पर्याय नहीं रहा तो ऑर्डिनेन्स का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन हमें यह देखना पड़ेगा कि किन हालात के अन्दर यह अध्यादेश जारी होते हैं।

श्रीमन्, इस विषय की डिटेल में न जाकर मैं एक खास बात पर आना चाहता हूँ। वह एक एक्ट था और उसके प्रोविजन को लाया जाये तो उसमें लिखा है 'नोटिफाइड एरिया' मैं मिनिस्टर साहब से बड़े अदब से गुजारिश करूंगा कि यह शब्द 'नोटिफाइड एरिया' शब्द को ही इसमें से निकाल देना चाहिए और उसके कारण मैं बता देना चाहता हूँ कि 'नोटिफाइड एरिया' क्या है। हमारे कॉन्स्टीट्यूशन में लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट का प्रोविजन है और उसमें यह भी प्रोविज़न है कि इन इन के ऊपर टैक्स लगा कर लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट पैसा लेकर अपना काम चला सकती है। अगर हम उस कॉन्स्टीट्यूशन की इज्जत करते हैं तो इस कानून की इज्जत भी उतनी ही होनी चाहिए जितनी कि असेम्बली की है। लेकिन 'नोटिफाइड एरिया' के अन्दर मैं आपको नसीराबाद का हाल सुनाता हूं। यह वर्ड 'नोटिफाइड एरिया' गुलामी का है। मैं माननीय मिनिस्टर साहब से निवेदन करूंगा कि यह वर्ड नहीं रखना चाहिए। आप जहां म्युनिसिपैलिटीज़ बनाते हैं वहां बनायें, जहां जिस क्षेत्र की कम आबादी है वहां पंचायतें कायम हो सकती हैं। आप आखिर इस 'नोटिफाइड एरिया' वर्ड को किस तरह से इस्तेमाल करना चाहते हैं? आज अजमेर के अन्दर म्युनिसिपैलिटी है तो वहां पर क्या आप दरगाह को 'नोटिफाइड एरिया' कर देंगे या वहां के किसी मन्दिर को 'नोटिफाइड एरिया' कर देंगे? आखिर आप इस वर्ड का किस तरह से इस्तेमाल करेंगे? क्या वहां पर उस क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों को उनके अधिकार से वंचित कर देना चाहते हैं? आज कोई इन्स्टीट्यूशन है, कोई एज्यूकेशनल इन्स्टीट्यूशन है, उसके नियमों के अनुसार म्युनिसिपल कमेटी उसके अन्दर कोई रुकावट डालती है तो सरकार को यह पूरा अधिकार है कि उस एरिया को नोटिफिकेशन से अलग कर दिया जाये। अगर उन लोगों को अधिकार नहीं चाहिए तो वह खुद किसी भी ऐसी इन्स्टीट्यूशन के एरिया को नोटिफिकेशन निकाल करके अलग कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। फिर मैं नहीं समझता कि 'नोटिफाइड एरिया' का क्या मतलब है? जब अंग्रेज यहां थे उस समय नसीराबाद एक छावनी बना हुआ था। छावनी एक मिलिट्री सेन्टर होता है। अगर हिन्दुस्तान के इतिहास में कोई गुलामी की चीज है तो वह 'नोटिफाइड एरिया' है। मैं कहना चाहता हूं कि मिलिट्री का वहां पॉवर हाउस है। उसमें बिजली नहीं है और वह वहां मुश्किल से पांच मिनट बिजली देता है। अभी बिजली गई और किसी ने मोमबत्ती जलाई कि पांच मिनट बाद फिर रोशनी आ गई और फिर चली गई। यह हाल है आज वहां पर। वहां पर पानी नहीं मिलता है। आज वहां पर ३५ हजार की आबादी है और उसके अलावा मिलिट्री है। आज जनता वहां नोटिफाइड एरिया के अन्दर रहती है। वहां पर मिलिट्री वालों ने केन्टोनमेन्ट बना रखा है। उसके अन्दर आज जनता कराह रही है। मैं सरकार से मांग करूंगा कि वहां की जनता को आज गुलामी

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

से आजाद किया जाये। राजस्थान सरकार ने वहां पर हॉस्पिटल के लिए २ लाख रुपया रखा। मिलिट्री वाले कहते हैं कि यह हॉस्पिटल हम नहीं बनाने देंगे! आप किसी भी मुल्क को ले। लीजिए इंग्लैंड को ले लीजिए, अमेरिका को ले लीजिए किसी भी मुल्क में नहीं होगा कि आजाद मुल्क में सिविल पोपुलेशन को गुलाम बनाया गया। अगर आपको यह मिसाल देखनी है तो आपको यहां पर ही मिसाल मिलेगी। वह 'नोटिफाइड एरिया' यहां पर रखा गया है, आप इस तरह से कितने ही आदमियों का खेल बना करके उनके अधिकार को छीनना चाहते हैं। मैं यह आगाह करना चाहता हूं।

सीकर की म्युनिसिपैलिटी ने दुराग्रही हो कर वहां की एज्यूकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स को बरबाद किया जाये, ऐसा वह चाहने लगी तो सरकार ने उसको रोका। यह अच्छा किया। म्युनिसिपैलिटी को यह अधिकार कैसे हैं कि जो वहां के बसने वाले हैं उनके ऊपर कुठाराघात करे? मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि 'नोटिफाइड एरिया' के वर्ड को निकाला जाये। इसका मतलब गुलामी है, आजादी नहीं है। इस एक्ट के दामन पर यह काला धब्बा है और इसके लिए सम्पतरामजी को बदनाम किया जायेगा, इस असेम्बली को बदनाम किया जायेगा। यह शब्द 'नोटिफाइड एरिया' नहीं होना चाहिए।

मैं चाहता था कि इस सिलसिले में मैं आपको अजमेर की और स्थिति भी बताऊं। ठीक है, आपने जो कुछ किया—वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर; सरकार पूरी तरह से इसके लिए जिम्मेदार है। आज वहां पर इस तरह की स्थिति पैदा हो रही है कि अजमेर एक शहर था-जिस अजमेर ने किसी की गुलामी नहीं मानी। वह लड़ाई का केन्द्र था। बाबर से लड़ाई हुई तो अजमेर से चढ़ाई करके उसका मुकाबला करने के लिए पानीपत में सांगाजी गये। अजमेर हमारा 'नो मैन्स लैण्ड' कहलाता है। वहां के राजाओं ने अंग्रेजों को अजमेर ही एक जगह बताई जहां से वह राज्य करते थे। जब अंग्रेज आये तो उन्होंने देखा कि सारे अजमेर के मालिक माली और तेली हैं और उन्होंने उनको अधिकार दिये। आज सारी जमीन वहां पर चाहे आज सेठ भागचन्द हो या कोई और हो, उसका आज तक लगान थोकमालियान देते हैं। आज वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर आया। इतने दिनों से वहां पर म्युनिसिपैलिटी चल रही है। आज वहां पर कोई आदमी नक्शा देता है ऊपर मकान बनवाने के लिए तो उसको कह दिया जाता है कि तुम तहसील में जाओ। आज ७०० वर्ष से अजमेर बसा हुआ है। आज कलेक्टर और वहां के एडमिनिस्ट्रेटर ने सारे शहर में इस तरह का तमाशा कर रखा है कि कोई आदमी आज मकान नहीं बना सकता। जिस मकान के लिए नक्शा लेकर जाइये, तो तहसीलदार से लिखा कर लाइये कि यह आबादी की जमीन है या बेरन है। वहां का लगान आज थोकमालियान जमा कराते हैं। वहां पर सारे मकान बन गये हैं लेकिन आज कहा जाता कि तहसीलदार से लिखा कर लाइये कि यह आबादी की जमीन है। बेचारा आदमी तहसील में जाता है। वहां पर उसको पेट पूजा करनी पड़ती है। इधर इसकी मजबूरी और उधर नक्शे की मजबूरी। वहां पर तो मैं

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

आपको बताऊं कि डयुअल गवर्नमेंट है; बल्कि ड्युअल क्या ट्रेबल गवर्नमेंट काम कर रही है ।.मैं मानता हूं कि वहां के जो कलेक्टर मिस्टर चतुर्वेदी हैं वह बहुत योग्य हैं उनके लिए कोई कुछ नहीं कह सकता कि वे जनता की भावनाओं के साथ नहीं चलते, लेकिन जब उनको कुछ कहा जाता है तो वह कानून की मजबूरी बताते हैं । वह कहते हैं कि जिसको मकान बनवाना है तो उससे इम्प्रूवमेंट चार्जेज लेंगे क्योंकि यह आबादी की तो लैंड है नहीं । इस तरह से इस आमदनी का क्या तरीका है ? मैं नहीं समझता कि इतने अर्से से एक शहर बसा हुआ है और अब कलेक्टर साहब या दूसरे यह क्या अन्दाजा लगायेंगे कि जो म्युनिसिपल लिमिट है वह आबादी की लैंड है या दूसरी है ।

(१.५६ म० प०)

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

एक तरफ तो वहां पर ३० साल से हाउस टैक्स लिया जा रहा है, प्रोपर्टी टैक्स लिया जा रहा है । नक्शा बनवाने के लिए कोशिश करते हैं तो वहां कहा जाता है कि तहसील में जाइये । वह बतायें कि तुम्हारे मकान में मक्का पैदा होती है या गेहूं । वहां के नागरिक आपसे एक पैसा नहीं लेते, बल्कि आपने एन्टरटेनमेंट टैक्स जो कि टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी के बहाने ले लिया,आज दस साल से गवर्नमेंट उसको टैक्स नहीं देती ।

(२.०० म० प०)

मैं इन चीजों के साथ अर्ज करना चाहता हूं कि आप इन चीजों को बहुत संक्षेप में सोचें ।

इस अध्यादेश में आपने जो कुछ कर लिया है, जो आप कर रहे हैं उसके लिए कोई हमको एतराज नहीं है । उसको कानूनी शेप दी जाय । उसको कानूनी शेप मिलनी चाहिए । इस अध्यादेश या ऑर्डिनेन्स को हमें पास करना है । आपने हमारे इत्मिनान और हमारे विश्वास पर यह ऑर्डिनेन्स प्रोमलगेट किया है, इसलिए यह हमारी मोरेलिटी है कि इसको पास करें । लेकिन आप से इल्तजा है कि हमारी दिक्कतों को सोचते हुए आप इसके अन्दर दिमाग अपना रखें । जो दिक्कतें हैं उन दिक्कतों को सही तौर से समझें ।

जो भी 'नोटिफाइड एरियाज़' हैं तो यह 'नोटिफाइड' वर्ड है,I resent it like anything. This 'notified' word is symbolic. इसको हटा दें । इसको रख कर हमारे राइट्स लिये गये हैं । हिन्दुस्तान में इतनी स्टेट्स हैं उनके कानूनों के अन्दर कहीं भी 'नोटिफाइड एरिया' बता देंगे तो मैं 'नोटिफाइड एरिया मान लूंगा........

श्री सम्पतराम (स्वायत्त शासन मन्त्री): बम्बई और अजमेर(के कानूनों में 'नोटिफाइड एरिया' है ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : बम्बई और अजमेर का कानून कौन से सन् का है ? वह गुलामी के जमाने का कानून है उसको छोड़ दें । उनका खात्मा हो गया, उनका कब्रिस्तान बन चुका है। उनके बनाने वाले विलायत चले गये हैं । आज जो कानून यू० पी० और मद्रास में बने हैं....

श्री सम्पतराम : (पुस्तकें दिखाते हुए) यह यू० पी० का कानून है; यह बम्बई का कानून है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : इनमें दिखा दें। किताबें दिखाने से क्या है?

श्री उपाध्यक्ष : He wants to know the year. साल बतला दें।

श्री सम्पतराम : इसमें एक धारा का उल्लेख कर देता हूँ ३३७ का।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : धारा आप पढ़ दें कि यह है।

श्री सम्पतराम : सारी डिटेल्स, मैं किताब दे दूंगा; आप पढ़ लें।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर): यह एक्ट कौन से सन् का है?

श्री उपाध्यक्ष : He may be satisfied with the year. This will come in his reply.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं अर्ज कर दूं। मैं तो इनको मौका देता हूँ। मैं उनके बीच में नहीं बोलूंगा। यह मेरे बीच में बोल सकते हैं।

(विराम)

मैं अर्ज कर रहा था कि मिनिस्टर साहब दूसरे लोगों ने किया है तो 'नोटिफाइड एरिया' के बारे में विचार करें। बात यह है कि कई उन लोगों की दिक्कतें हैं। साढ़े आठ हजार की जहां आबादी है वहां म्युनिसिपैलिटी है। जहां साढ़े आठ हजार की आबादी नहीं है वहां पंचायत का कानून है। पंचायत के कानून से पंचायत बन सकती है तो 'नोटिफाइड एरिया' की जरूरत क्या पड़ गई? सारे राजस्थान में जितने भी लोग हैं, जितने भी वोटर्स हैं वे इस स्वायत्त शासन को एन्जॉय करते हैं तो 'नोटिफाइड एरिया' जो आपने डिक्लेअर किया है, जो उसकी क्वालिफिकेशन है। इसका मतलब यह समझें कि सरकार कहेगी कि म्युनिसिपैलिटी अमुक घरों में नहीं है क्या कहेगी? इस 'नोटिफाइड' वर्ड का उल्लेख आया तो यह समझ में आया कि इस एक्ट के अन्दर 'नोटिफाइड एरिया' कहीं है तो उनका वोट का अधिकार लेना चाहते हैं। आप वहां पर स्वायत्त शासन देना नहीं चाहते। कॉन्स्टीट्यूशन से जो अधिकार जनता को मिले हैं वह आप नहीं देना चाहते हैं। किस इमरजेन्सी के कारण आप 'नोटिफाइड एरिया' करार देंगे? मैं 'नोटिफाइड एरिया' के लोगों की तरफ से वहां से चुन कर आया हूँ, तो आपसे कहता हूं कि ३० हजार की आबादी नसीराबाद की है। वहां के लोगों को जो दुख है वह मैं जानता हूं। आज भी आजाद हिन्दुस्तान में रह कर वहां पर कोई स्वायत्त शासन की व्यवस्था नहीं है। कॉन्स्टीट्यूशन लागू होने के बाद और एरियाज़ में प्लान बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं कहता हूं कि वहां पर जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, केन्टोनमेंट बोर्ड हैं वह सेन्ट्रल गवर्नमेंट के मातहत हैं। वहां उस ३० हजार की प्रजा को रोशनी नहीं है, पानी नहीं है राजस्थान सरकार उस शहर के लिए क्या कर रही है? अगर 'नोटिफाइड' का नाम देखना है, उसका मतलब समझना है, राजस्थान के लोगों और नसीराबाद के लोगों की हालत का अन्तर मालूम

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

करना है तो मैं मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि अभी इसको निकाल दें अगली दफा पास कर देंगे, एक दफा नसीराबाद हो आयें। एक बार वहां हो आयेंगे तो आप 'नोटिफाइड एरिया' पर थूक देंगे और मिट्टी डाल देंगे। इसलिए मैं अर्ज कर रहा था कि आप 'नोटिफाइड' वर्ड को निकाल दें।

दूसरी एडमिनिस्ट्रेशन की बात जहां तक है मैं विरोधियों से भी कहता हूं कि यह सच है कि यहां पर स्वायत्त शासन एक नई संस्था है। उनको चलाने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत है। आज पंचों को ट्रेनिंग दी जाती है। आज क्या हो रहा है कि बड़ी दयनीय दशा शहर वालों की हो रही है। अब सरकार का बेलेन्स चला गया है गांव वालों की तरफ। हरिभाऊजी के डीसेन्ट्रेलाइजेशन का एक ऐसा लॉ आया है, एक ऐसा बलबला आया है कि उनको अधिकार है कि वे सज़ा भी दे दें। गांव वालों को मंत्री महोदय अधिकार बढ़ाते चले जा रहे हैं लेकिन शहरों मे पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग और अजमेर में जैसे लोग हैं वैसे लोगों को आप दे रहे हैं 'नोटिफाइड एरिया'। मैं भी रूरल कॉन्स्टीटुएन्सी से आया हूं। मैं समझ सकता हूं कि कांग्रेस रूरल कॉन्स्टीटूएन्सी में भी शहरी कॉन्स्टीटुएन्सी की तरह अधिकार देना चाहती है। लेकिन दोनों में बेलेन्स रहना चाहिए। आज शहर का आदमी यह महसूस करता है कि गांव वालों के अधिकार आगे बढ़ रहे हैं। गांव वालों के लिए आज पूरे अधिकारों का उपभोग कराने की सरकार सोचती है। म्युनिसिपल बोर्ड की आजादी में हम भी साथ हैं। हम भी चाहते हैं। शहर वाले भी आशा करते हैं कि स्वायत्त शासन के अधिकारी जो कि १४ साल पहले जिस दिन से हमारा कॉन्स्टीट्यूशन पास किया गया है, जिस दिन से हमारी आजादी का कॉन्टीट्यूशन लागू हुआ है. उस कॉन्स्टीट्यूशन के अन्दर एक दफा में बताया गया है कि सारे सिन्दुस्तान में स्वायत्त शासन की संस्थाओं को रिकॉग्नाइज़ किया जायेगा। स्वायत्त शासन का जो प्रोविज़न है उसके अन्दर जितने भी टैक्सेज़ हैं उन टैक्सेज़ को बचायेंगे। उसमें यह बतलाया गया है कि यह तो स्वायत्त शासन के टैक्सेज़ होंगे। ये टैक्सेज़ प्रोविन्शियल गवर्नमेंट के होंगे और ये टैक्सेज सेन्ट्रल गवर्नमेंट के होंगे। टैक्स शहरवाले दें। हम पर यह कह कर लगाये जायं कि हम सब को. एक करना चाहते हैं। इन टेक्सेज़ में से हमारा खर्च रख कर इन्हीं को दे देते हैं। एन्टरटेनमेंट टैक्स आपने जितना भी लिया है उसमें से कितना पैसा पहुंचा? स्वायत्त शासन संस्थाएं भूखी मरी जा रही हैं। उसका लक्ष्य आपके नोटिसमें लाते हैं। आपको खींच लेना चाहिए अपने पैसे को। अपने डिपार्टमेंट के सारे पैसे से खींच लेना चाहिए और जहां तहां पहुँचाना चाहिए। उनके साथ ऐसा व्यवहार है! टैक्स लिया जा रहा है।

एक गुड़ की ढेली पर मिर्च गाड़ दी। इस तरह से इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को और सौप दिया है। वह है इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट। वह क्या करता है? कानून कैसे लग गया? उसको लागू करने के लिए कोई फाइल नहीं, कुछ नहीं, लेकिन उस कानून से अजमेर के अन्दर क्या किया कि लैण्ड है वह इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को दे दी। यह इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के क्लार्क को पैसा नहीं दिया,

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

उसका प्रोविज़न नहीं किया और न बजट किया। रुपये के लिए क्या करते हैं कि वहां पर जो थड़ियां रखी हुई हैं उनका कार्य इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को दिया। म्युनिसिपैलिटी के के रिसोर्सेज़ को अपनी आमदनी नहीं बना सकते इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट वाले। इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को चाहिए कि जमीन का इम्प्रूवमेंट करे उसका बिल भेज सकती है म्युनिसिपैलिटी को। म्युनिसिपल कमेटी उसको अपनी जिम्मेदारी से पैसा देगी। लेकिन म्युनिसिपैलिटीज़ के टैक्सेज़ को इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट नहीं ले सकता। इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट इम्प्रूवमेंट के लिए है। वह उस जमीन से पैदा नहीं कर सकता है ! उस जमीन की पैदा म्युनिसिपैलिटी की है, लेकिन वहां पर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के प्रेजीडेन्ट कलेक्टर साहब हैं और म्युनिसिपैलिटी के भी कलेक्टर साहब हैं। वह भले हैं, लेकिन उनको फुरसत कम है। कानून में ऐसा लिखा हुआ है। असेम्बली ने जो कानून बनाया है उसमें तीन तरह से एक्जीक्यूट करने का आपका कर्त्तव्य है। पहला तो उसमें यह है कि मास्टर प्लान बनेगा तो मास्टर प्लान की बात नहीं होती। मास्टर प्लान नहीं होकर वहां की जमीन पहले ही दे दी जाती है। वैसे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट में यह करते हैं कि मास्टर प्लान में एक हिस्से को लिया जाय और उस हिस्से को इम्प्रूव करके म्युनिसिपैलिटी को दिया जाय। म्युनिसिपैलिटी जब उसको ले ले तो दूसरे हिस्से को दिया जाय। लेकिन इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है।

अजमेर में फिर 'नोटिफाइड एरिया' के लिए याद दिलाता हूं कि 'नोटिफाइड' जो वई है उसको इस में से निकाल देना चाहिए।

जहां पर सस्पेन्शन का पीरियड है वहां पर आपको अधिकार दिया गया है तो तीन चार महीने में घुसेड़ देंगे। कहीं पर कलेक्टर को बनाते हैं तो वह ६ महीने का जो आपको अधिकार दिया गया है तो टाइम लिमिट तो रखें। वह अनलिमिटेड पीरियड के लिए नहीं बनायें। अगर ६ महीने के अन्दर इम्प्रूवमेंट कर देते हैं तो ठीक; वर्ना वापिस भेज दें। अगर ऐसा करते हैं और कलेक्टर को भी उनकी छाती पर बैठाते हैं तो बैठाइये, कोई एतराज नहीं। बैठाने के बाद मेरी गुजारिश है कि जो लोग उस तानाशाही के अन्दर दबे हुए हैं उनको सांस लेने का मौका दें। ६ महीने में वे उऋण हो जायेंगे। मैं लेजिस्लेटिव असेम्बली से प्रार्थना करूंगा कि शहर वालों पर रहम उतना ही करें कि ६ महीने के बाद फिर रिव्यू करें। अरे। तुम साल भर लो लेकिन उनको सांस तो लेने दो। मेरी अर्ज यह है कि जहां कानून है वहां लिमिटेशन होनी चाहिये। जहां लिमिटेशन है वहां आपका इरादा बहुत अच्छा है। मैं उस इरादे की तारीफ करता हूं लेकिन मुमकिन है उधर वाले विरोध करते हों ऐसा वे महसूस करते हैं तो इसके लिये उनको हक है। लेकिन मैं आप में विश्वास करता हूं, आपकी नेक नीयती मान कर चलता हूं लेकिन फिर भी इतना आग्रह करता हूं कि लिमिट होनी चाहिये। आप बतला दें। हम से पास करवाना है, मुंह से हां निकलवाते हैं, तो उसका मतलब क्या है ?

पिलानी के लिये 'नोटिफाइड एरिया' की

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

जरूरत नहीं है । आप निकाल दीजिये नोटिफिकेशन कि कहीं नहीं रखते, नोटिफाइड एरियाज के लोगों को गुलामी से निकालना है, इस लफ्ज को निकाल दीजिये । मेरे को दर्द है इसलिये कह रहा हूं, इसलिये बता रहा हूँ मिनिस्टर साहब, इसलिये कि नोटिफाइड एरियाज को मैंने देखा है । जब तक नसीराबाद 'नोटिफाइड एरिया' रहेगा तब तक उसकी हालत नहीं सुधरेगी । वहां पर पेशाब के लिये जगह नहीं है, रोशनी नहीं है । ३५,००० की आबादी का शहर है । यदि वह राजस्थान सरकार के हाथ में होता तो आबाद होता । भीलवाड़ा आबाद है, अलवर आबाद है । इसलिये आप से अर्ज करता हूं कि इसको निकाल दीजिये ।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री उपाध्यक्ष : मि० अर्जुनदास ।

श्री अर्जुनदास (अजमेर-पश्चिम) : Mr. Deputy Speaker, Sir, the question before the House is whether the present Bill be referred to the Select Committee or not? I think we all are one when we say that there are too many defects in this Rajasthan Municipalities (Amendment) Bill. There are no two opinions about this and I agree that the defects are there. I will definitely like to remind the Minister-in-charge of the Bill that previously when the Rajasthan Municipalities Bill was before the House, motion was moved that this be referred to the Select Committee and the Hon'ble Minister-in-charge would not agree with me and shall say-'No'. After that we find there are so many lacunas within a short space and the Government, as all know, issued the Ordinance and placed the very material in the shape of a Bill before the House. We concede that there are lacunas in it so far as legislation is concerned and that it should be referred to the Select Committee, and there should be no hesitation to send it to a Select Committee.

During the discussion on this Bill, a good many suggestions have been made that when the Congress Party has faced difficulties in Municipalities the Congress Party was allowed to have some time more. I would add one instance only.

When a vote of No-confidence was moved against the Congress President, Shri Dev Datta Sharma, a Writ Petition was lodged. After that, the Collector, Ajmer did call a meeting when we were actually 18 against 13. To the greatest surprise there came a ruling from the Presiding Officer that he himself had no authority to call a meeting and as such we had to disperse. No legal opinion can possibly suggest that the Collector's action was bonafide. These dishonest actions in whole of Rajasthan, whether they are in Sikar, or Ajmer, are to break our heads. We only express our regret for the

(श्री अर्जुनदास)

action of the Congress Party.

Then, Sir, so far as this Bill is concerned, the first amendment suggests that the Collector should include an Additional Collector. I can understand why this suggestion is being made. Because the Government desires that, at various places, Administrators should be Collectors as it is actually happening in Ajmer. Under the Rajasthan Municipalities Act, whoever desires to file an appeal against the municipal orders, has to go to the Collector and when the Collector and the Administrator is one and the same person, we cannot get justice from the same man. Therefore the Government wants to avoid that position, so that the appeals could be heard by the Additional Collector. But what should be expected from a subordinate of the Collector ? Can we expect any officer of the Rajasthan Government to be bold enough to tell the Collector that your decision was bad ? I will rise and say that our practical experience has shown that there is no such independent officer, and the biggest officers do not keep aloof but say to them, "please see that you don't oppose my orders." Let us be sure that it is no appeal against the orders of the Administrator rather than a mockery of the justice. So when we appeal to set aside the orders of the Collector passed in the capacity of the Administrator, that cannot be possible. That is vague. This can be considered by the Select Committee. When we see that the Collector includes the Additional Collector, how can he hear unless the Collector transfers it to the Additional Collector ? He will have the powers to hear. He can decide the appeals when they are transferred. Therefore, I will request the Hon'ble Minister-in-charge of this Bill, to please tell us how do you suggest to come out of this difficulty ? The Administrator passes any order. Somebody desires to go in appeal. What is his position ? What is his fate ? Therefore, I am suggesting that the best policy would be to see that the Collector is never appointed as an Administrator. To appoint a Collector as Administrator would be to give him dictatorial powers, and I think the Hon'ble Members will not approve of it. We have seen results in Ajmer and have enough experience.

While discussing this question yesterday, I did say something about the Administrator and the Hon'ble Member from Nasirabad said that I was possibly saying that the Collector, Ajmer is taking sides between Sindhis and Marwaris. Probably he did not understand.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : There is no question of Sindhis and Marwaris.

श्री अर्जनदास : Have sense to understand my English. If you are so desirous, I can explain to you in my broken Hindi.

Actions of the Administrator and the Collector, I can conveniently suggest, are shaky in-connection with the cabins opposite the Plaza Cinema...

(प्रभारी मंत्री किसी से बात करते हैं)

If the Hon'ble Minister could give me a bit of his ears...

श्री उपाध्यक्ष : He is hearing.

श्री अर्जनदास : He is not.

श्री उपाध्यक्ष : Reply will assess the position.

श्री अर्जनदास : Even yesterday, I could not get any reply. Today I will give him facts.

So I was suggesting that just opposite the Plaza Cinema, there is a Park and there is a road. Road is too wide and on that road are three cabins, allowed by the Ajmer Municipal Council,as well as there were three other cabins, which were not authorised but illegal tresspassings. The Administrator, Ajmer Municipal Council, on 22nd February, issued orders for the immediate demolition of the three authorised cabins. He got them demolished then and there. After that so far as the illegal trespassings were concerned,he regularised the tenancy and issued patta for two years more.

Thus he removed those legally authorised cabinholders, demolished their cabins and regularised the illegal act of trespassers. This is a thing which nobody can possibly understand. It is possible because those illegal trespassers are moneyed men. They can spend hundreds and thousands of rupees, but the poor cabinholders, because they were poor displaced Sindhis, cannot grease anybody's palms. I cannot suggest that the Administrator of the Muncipality took money, but somebody within the Municipal admistration has taken money. I offer a challenge that if an independent enquiry is held, you will come to know that money did pass from those illegal trespassers to the Municipal administration. Not only that, I will give you two more instances.

श्री उपाध्यक्ष : It concerns only the internal working of the Municipal administration and does not come within the scope of this Bill.

श्री अर्जनदास : It will be very clear after the two instannces. Opposite our Trilok Nagar Colony, there is a big moneyed man who is occupying a very big piece of land illegally and just adjoining to that, one Mangharam purchased another piece of land. Mangharam wanted to build. He got a notice from the Municipal

(श्री अर्जुनदास)

Council-"Your land belongs to the Municipal Council." He was not allowed to build, but that big Seth and moneyed man is still allowed to continue to be in possession of that land, which is ten times larger. There can be only two reasons-either discrimination between man and man or illegal gratification. I cannot say to whom it was paid, but it must have been paid.

Then coming down to this Bill again, I will submit that when we were discussing the previous Bill, the Hous was unanimous that the supersession should be, at best, for six months. The Bill passed by this House laid down that there should be, as far as possible, local self Government. Local bodies should continue and if, for any reason, that is not possible, then the maximum period allowed to the Government was six months. But now by this-the amending Bill-the Government wants to have a full latitude to go on superseding any local body for any number of years-no time limit at all. If there is going to be no time limit, what will be the results of such a Bill ? If it is passed to the contrary, we have only to imagine from the past experiences and where our past experiences have not been good, one cannot say that our future experiences would be better than whatever have been before.

Therefore, I feel that this suggestion of the Hon'ble Member-in-charge of the Bill that the powers be given to Government to go on extending the time of supersession, without any reason, will be too detrimental going to the very roots of democratic institutions in Rajasthan. On one hand, we say that we have got full-fledged decentralised democracy and on the other, we go on appointing Administrators for an unlimited period. This position can well be thought of only by the Select Committee as to what should be the maximum period for which a Municil Council should be allowed to be superseded. It cannot be for an unlimited period.

In this Bill I will also point out another thing in clause 13 section 293 A, Clause (d) :

"(d) the term or extended term of office of a board has expired and a new board has not been constituted in accordance with the provisions of this Act"

I think, this is a negation of what this House has already laid down in 1959, while this Bill was on the Table of the House, that the Government should be entitled to appoint an Administrator without any reason. Let us read clause (d) "The term or extended term of office of a board has expired and a new board has not been constituted in accordance with the provisions of this Act."

Here you say that the term has expired,

(श्री अर्जनदास)

new Board has not been constituted, therefore, we appoint an Adminstrator. Like this you go on extending term as you like it. This again is contrary to the very wishes of this House, contrary to the dictates of this House, which the Hon'ble Minister-in-charge of the Bill should not be allowed to move in this House.

Since 1947, there have been only two municipal elections. There has been Congress Government, whether the Rajasthan Government or Ajmer Government. There is just the same Congress Government. Just imagine in full 14 years, there have been only two elections in the city of Ajmer and only God knows, when we shall have the next election.

Besides this, in the Bill, we also find a provision that enquiry can be held against an ex-member of the Board. Either the Bill is not clear or the Hon'ble Member-in-charge of the Bill does not want himself to be clear. He deliberately wants to be silent on certain things, which the House would like to know. There is a limitation that nobody can be hanged for having done a certain thing, say about 40 years back. You can say, there can be an enquiry against the ex-member after termination of his membership, say within six months. We do not mind, but you cannot say even after 10 years, enquiry has to be held. It cannot be decided by one man, i. e. Member-in-charge of the Bill or by this House. Therefore, I will request that this Bill should be referred to the Select Committee.

So far as 'Notified Area' is concerned, I feel that it should be either a full-fledged Board or no Board, but be there as it may, I know not on what basis this has been provided. Nothing is suggested in this Bill at all, Sir. Shall it be on the basis of population ? Shall it be in the case of a town having a population of not more than 10,000, not more than 5,000, or not less than 3,000 ? Nothing of this sort has been mentioned in the Bill.

The Act is completely silent. A village consisting of three houses can also be declared a 'Notified Area.'

श्री उपाध्यक्ष : Why do you exert so much when your throat is giving way ?

श्री अर्जनदास : Unfortunately, I am so much aggrieved by this Bill that I cannot express fully. Therefore, I again request that this Bill should be referred to the Select Committee.

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान म्युनिसिपैलिटी (संशोधन) विधेयक सदन में विचारार्थ है।

(श्री मुरलीधर व्यास)

इसके कुछ दिनों पहले भी इस प्रकार का एक विधेयक पास किया गया था । उस समय भी जब उसे पास किया गया, काफी चर्चा हुई और उस समय भी नगरपालिका के सम्बन्ध में, स्वायत्त शासन के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है और किस प्रकार का रवैया रहा है उसके बारे में बहुत कुछ कहा गया था। मैं खास करके जो आज बहुत से ऐसे मुद्दे और भी नये आये हैं उन पर जब मैं सोचता हूँ और जैसा कि अभी सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि इस विधेयक को सलेक्ट कमेटी में दे दिया जावे। उन्होंने जो इस प्रकार का प्रस्ताव रखा कि इसको सलेक्ट कमेटी में दे दिया जावे, उसके लिये उन्होंने बहुत सी बातें रखीं और खास करके यह बताया कि किस किस मौके पर किस किस प्रकार की माननीय मन्त्री कार्यवाहियां करते हैं और जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने भी बताया कि किस प्रकार से जयपुर के आम चुनावों के सम्बन्ध में जनता की आंखों में सरकार ने एक विज्ञप्ति निकाल कर जो धूल झौंकी और जनता को गुमराह करने की कोशिश की थी, उससे ऐसा दिमाग बनता है कि जनतन्त्र में जिन लोगों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और वे लोग जिन्होंने जनतन्त्र के लिये बड़ी बड़ी कुर्बानियें की और इस बात का दावा भी आज करते हैं कि हम जनतन्त्र को आगे लाना चाहते हैं और लोकतन्त्रीय विकेन्द्रीकरण करके पब्लिक के हाथ में ज्यादा से ज्यादा सत्ता देना चाहते हैं; एक तरफ तो ऐसा कर रहे हैं और दूसरी ओर अगर हम जनतन्त्र की ओर देखें तो हम मानते हैं कि हमारे यहां जनतन्त्र जरूर है। जनतन्त्र में काम करने का अवसर मिला है, लेकिन सरकार के अधिकारीगण इस प्रकार की परम्परा करते आये हैं कि जिन्होंने जनतन्त्र के पौधे को सही तौर से पनपने नहीं दिया है और मैं यह महसूस करता हूँ कि राजस्थान का दुर्भाग्य है कि जब से यहां पर जनतन्त्र कायम हुआ है, स्वायत्त शासन का १०, ११ वर्षों का मेरा खुद का अनुभव है और वह इसी प्रकार का रहा है कि जो मन्त्री जब जब आया एक ने दूसरे को अच्छा ही कहलाया। मैं खुद महसूस करता था कि कुम्भारामजी के समय में कुछ लोग उनका विरोध करते थे कि किस प्रकार से वे मनमानी करते हैं। उसके बाद में जब बद्रीप्रसादजी आये तो यह सोचा गया था कि इस प्रकार की सारी घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी। मगर मैं यह कहूँगा कि उनके समय में भी ऐसी घटना घटी....

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मन्त्री) : आप एक भी घटना मेरे समय की बतावें।

श्री मुरलीधर व्यास : आप अभी से गर्म मत होईये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसमें गर्म होने की कोई बात नहीं है। आप एक भी इन्स्टान्स मेरे समय की बतावें।

श्री मुरलीधर व्यास : ओ हो! मैं बताऊंगा।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हां! हां!! माननीय सदस्य कोई भी मेरे समय की घटना हुई हो तो बतावें कि यह घटना हुई है। यह तो इसलिये कहना पड़ता है कि जब नाम लेकर कहा जाता है।

एक माननीय सदस्य : आपने बहुत बढ़िया कानून बनाये हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : माननीय सदस्य कहते हैं कि बहुत ज्यादती हुई है।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं इस सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले मिनिस्टर बने और जिस समय आप बीकानेर में आये थे उस समय बड़ा भारी डिमोन्स्ट्रेशन किया गया था और जो वहां पर घोटाले हुए आपके सामने रखे गये और ऑडिट रिपोर्ट भी आपके ज़माने में हुई। इसमें बड़े भारी घोटाले हुए और आपके ज़माने में बार बार उसको आपके सामने रखने पर भी आपने उन बुराइयों को दूर करने की कोशिश नहीं की।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आपके भाषण भी कहां कहां क्या क्या हुए........

श्री मुरलीधर व्यास : हमने आपके आने के बाद में यह कल्पना की थी कि अब तो अच्छा काम होगा। लेकिन सारे हालात को देखने के बाद में मुझे कब्रिस्तान से कफ़न चुरानेवाले की एक कहानी भी याद आती है। यह कफन चोर क्या करता था कि....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार, जयपुर) : ऑन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर।

उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन राजस्थान नगरपालिका विधेयक पर विचार कर रहा है। इस नगरपालिका (संशोधन) विधेयक में जो नया चेप्टर जोड़ा गया है ३१३ के बाद, अध्याय १४ में कहा है, इसमें जो लिखा है, जिस पर इस सदन में काफी वाद-विवाद चल रहा है, मैं आप से यह व्यवस्था चाहूंगा, माननीय उपाध्यक्ष, मेरी ऐसी मान्यता है कि राजस्थान अधिनियम जिसमें यह संशोधन का विधेयक आया है इसमें यह अध्याय १४ जोड़ने के बारे में विधेयक है वह इसमें नहीं आ सकता। यह हमारे प्रावधानों की धाराओं के विरूद्ध है और इसकी.... ...

श्री उपाध्यक्ष : You mean this Article 313 is contrary......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : No, Sir, my objection is that Chapter XIV starting from Section 313 in the new amending Bill which is under consideration of this House, cannot be a part of the Rajasthan Municipalities Act. Because this Act simply lays down in its Preamble as under. I will read it for the information of the whole House, Sir:

"to consolidate and amend the law relating to Municipalities in the State of Rajasthan."

श्री उपाध्यक्ष : Is it the Preamble of the Original Act ? What does it lay down ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : To consolidate and amend the law relating to Municipalities in the State of Rajasthan.

My contention is that this Act

Page No.75

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

has been enacted by this Legislature and has received the assent of the President. It is concerned with the Municipalities Act, to consolidate the law relating to the Municipalities. But so far as this new Chapter is concerned, this is not within the purview of this Act. I will draw the attention of the Chair to Section 313 of this Bill which reads as :

श्री उपाध्यक्ष : You mean Section 313 ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Yes, Sir.

This reads, Sir-

"Declaration of notified areas.

(i) The State Government may by notification in the Official Gazette, signify its intention to declare that, with respect to all or any of the purposes of this Act, improved arrangements are required within a specified area which, nevertheless, it is not expedient to declare to be a municipality."

जिसको सरकार म्युनिसिपैलिटी एरिया डिक्लेअर नहीं करना चाहती, ऐसे एरियाज़ को 'नोटिफाइड एरियाज़' आप डिक्लेयर कर सकते हैं। आप जो इस प्रकार की व्यवस्था करना चाहते हैं म्युनिसिपैलिटीज़ एक्ट में एक नया चेप्टर एड करना चाहते हैं, ऐसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो म्युनिसिपैलिटीज़ का कानून है उसको रेगुलर और कन्सोलिडेट करने के बारे में आपको अधिकार है। जो अधिकार दिये गये हैं उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान खण्ड ४,५ और ६ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं........

श्री उपाध्यक्ष : Of this Act ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : No, Sir, of this Amendment.

क्लॉज़ ४ पार्ट आखिर का है उसमें लिखा हुआ है :

"The State Government may, by notifcation in the Offical Gazette,...

क्या कर सकते हैं ?

"declare the specified area or any portion thereof to be a notified area," इसमें यह प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री उपाध्यक्ष : You are reading which section ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Section 4 और इसमें इसे डिफाइन करने का सवाल खड़ा नहीं होता-It may include or exclude any area. आप म्युनिसिपैलिटी से किसी एरिया को एक्स्क्लूड कर सकते हैं, उसमें किसी एरिया को इन्क्लूड कर सकते हैं पर एक्सक्लूड करने के बाद वह एरिया किसी पंचायत का एरिया होगा या पंचायत समिति का एरिया होगा या किस प्रकार का एरिया होगा, यह आप इससे डिमाइड नहीं कर सकते; क्योंकि इस प्रकार के आपको अधिकार नहीं हैं। इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, आपको यह अधिकार है, आप यह

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

कह सकते हैं कि यह एरिया म्युनिसिपल एरिया नहीं रहेगा। पर कैसा एरिया रहेगा? म्युनिसिपैलिटी का एरिया नहीं रहेगा तो पंचायत का एरिया रहेगा या नोटिफाइड एरिया रहेगा; इस प्रकार का एरिया रहेगा, यह आप नगरपालिका कानून से तय नहीं कर सकते। अगर करना चाहते हैं तो म्युनिसिपैलिटीज़ एक्ट में संशोधन लाकर राजस्थान म्युनिसिपैलिटीज़ एण्ड नोटिफाइड एरियाज एक्ट इस प्रकार करना पड़ेगा और पंचायत समिति एण्ड जिला परिषद् एक्ट की बजाय राजस्थान पंचायत समिति, जिला परिषद् एण्ड नोटिफाइड एरियाज़ एक्ट करना पड़ेगा। तो अगर इस प्रकार का तय करना चाहते हैं तो इस प्रकार का अमेंडमेंट पहले लाइये।

माननीय उपाध्यक्ष, मैंने इस मामले पर काफी स्टेडी की है और और जगहों के कानून है उनको देखा है और इस कारण कह सकता हूँ कि इस १४ के नाम से नगरपालिका अधिनियम में हम एक चेप्टर बढ़ाना चाहते हैं वह नहीं बढ़ा सकते। कानून को रेगुलेट करने का अधिकार सरकार को म्युनिसिपैलिटीज़ एक्ट में दिया है। 'नोटिफाइड एरियाज' नगरपालिका के बाहर के क्षेत्र होंगे। इसलिये नगरपालिका विधेयक के अन्तर्गत नहीं आते। ऐसी सूरत में नोटिफाइड एरिया के बारे में डिसाइड करने का प्रावधान इस विधेयक से करना चाहते हैं, इसमें यह चेप्टर नहीं बढ़ा सकते जब तक कि यह अध्याय हमारे सामने रहता है, इस प्रकार का अधिकार हमको नहीं होगा। इसके लिये मैंने पोइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज़ किया है कि जब तक इसे [illegible] तक के लिये यह सारा अमेन्डिंग बिल है इस पर वाद-विवाद रोक लिया जाय।

श्री सम्पतराम (स्वायत्त शासन मन्त्री): माननीय उपाध्यक्ष, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो लीगल ऑब्जेक्शन रेज़ किया है उससे मैं सहमत नहीं हूँ। यू.पी. के एक्ट में भी इस प्रकार से 'नोटिफाइड एरियाज़' का प्रोविजन है। There exists a provision in the U. P. मेरा कहना है कि 'नोटिफाइड एरिया' एक प्रकार से म्युनिसिपैलिटी का ही एरिया है वह म्युनिसिपैलिटी से सैपरेट नहीं है। ऐसी दशा में जैसे जिला परिषद् और पंचायत एक्ट के बारे में जिक्र किया उस प्रकार का एक्ट लाने की जरूरत नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : Does it contain the provision of 'Notified Areas' also?

श्री सम्पतराम : Yes Sir.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : That is different, Sir.

This does not contain that one.

श्री उपाध्यक्ष : When the Bill was introduced, it contained the particular provision?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 'नोटिफाइड एरिया' म्युनिसिपैलिटी की तारीफ में नहीं आता तो म्युनिसिपैलिटीज़ एक्ट उस पर कैसे लागू होगा?

श्री उपाध्यक्ष : 'क्या नोटिफाइड एरिया' का प्रोविज़न उस वक्त दे दिया गया था जब कि म्युनिसिपैलिटीज़ एक्ट पास किया गया था?

(श्री उपाध्यक्ष)

Whereas the question of notified area is in the amending Bill and as such he says, this Preamble does not cover it.

श्री सम्पतराम : जो नोटिफाइड एरिया है वह म्युनिसिपैलिटीज़ का ही पार्ट है। 'Notified Area' is not a separate thing. 'नोटिफाइड एरिया' कोई अलग चीज़ नहीं है, अगर इसको अलग नहीं करें तो।

श्री दयाकृष्ण विजय (छाबड़ा) : ४८ इसका ओरीजिनल सेक्शन है। उसमें कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि 'नोटिफाइड' एरिया इसमें शामिल है. 'नोटिफाइड एरिया' कहीं डिफाइन नहीं किया गया है। Unless you define in the original Act, we cannot have a separate Act.

श्री उपाध्यक्ष : We shall proceed with the debate till I have ascertained the point myself.

श्री मुरलीधर व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं खास करके राजस्थान....

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : माननीय उपाध्यक्ष, पहले यह पोइन्ट ऑफ ऑर्डर डिस्पोज़ ऑफ करना चाहिये। How can the debate proceed ?

श्री उपाध्यक्ष : यह डिबेट को कहीं हिन्डर नहीं करता। The debate will proceed. There is no use to defer the debate...

श्री श्रीभानसिंह : First a Point of Order has to be discussed.

श्री उपाध्यक्ष : I am deciding that.

श्री श्रीभानसिंह : But how can the debate continue ?

श्री उपाध्यक्ष : There is no harm. The House will have the benefit of hearing the Hon'ble Member within 5 to 10 minutes. I will decide it.

श्री श्रीभानसिंह : First the Point of order has to be decided and that can be debated.

श्री उपाध्यक्ष : Would you like me to adjourn the House for 5 to 10 minutes ?

श्री श्रीभानसिंह : No, Sir. This Point of Order may be taken for discussion.

श्री उपाध्यक्ष : Well, I have heard the point raised by Shri Satish Chandra and the reply made by the Minister. This clarifies the position. What more does it need ?

I allow the Members to speak and throw some light. May I expect Shri Shribhan Singh to enlighten on this point ?

श्री श्रीभानसिंह : When I have been asked, I will certainly.

माननीय उपाध्यक्ष, आपका ऑब्जेक्शन यह था कि प्रियेम्बल है वह एक्ट के स्कोप

(श्री श्रीभानसिंह)

को डिफाइन करता है। पेरेन्ट एक्ट में अगर ये शब्द होते कि 'नोटिफाइड' भी इसमें शामिल होगा तो यह अमेंडमेंट लाया जा सकता था ...

श्री उपाध्यक्ष : क्या शब्द होते ?

श्री श्रीभानसिंह : पेरेन्ट एक्ट में 'नोटिफाइड' ये होते तो यह लाया जा सकता था। ये शब्द नहीं हैं इसलिये यह इस स्टेज में नहीं लाया जा सकता। यह ऑब्जेक्शन था इन ब्रीफ।

पर 'नोटिफाइड एरिया' ऐसा है जहां कि म्युनिसिपैलिटी के सारे लॉज लागू करते हैं, सारी कन्डीशन्स उस एरिया में म्युनिसिपैलिटीज़ की लागू करते हैं, जो इलेक्शन के, सीविक एमिनिटीज के रिप्रेजेन्टेटिव हैं, प्रोसीजर है उनको उस एरिया पर आप लागू नहीं करवाना चाहते तो इसके लिये मैं यह कहना चाहता हूं कि चाहे पंचायत समिति में या पंचायत में एड कर दें फिर भी यही डिफिकल्टी आयेगी कि पंचायतों में भी 'नोटिफाइड एरिया' नहीं है। तो इस तरह कहना वहां के वाशिन्दों को सर्टेन प्रिविलेजेज़ से डिप्राइव करना है और अगर हम उन्हें डिप्राइव करते हैं तो इसको म्युनिसिपल बिल में इन्कॉर्पोरेट किया जा सकता है। डिबेट के दौरान में एक्ज़ाम्पल दी गई पिलानी की। मैं आपको सीधी मिसाल दूं आबू की। आबू का है :

"The Government wants to treat this as a special area with special powers that in due course the Government may also give municipal powers and cancel that order.' उसको म्युनिसिपल एरिया न कह कर एक 'नोटिफाइड एरिया' कहा जाय। चूंकि म्युनिसिपल पॉवर्स उसको नहीं देना चाहते हैं और बेटर क्लासिफाई करना चाहते हैं, नोटिफाइड एरिया करेंगे और म्युनिसिपैलिटी के पॉवर्स से डिप्राइव करेंगे तो that area justifies to be a municipal area and to have the powers and constitution of the municipal area. And in that case the Government will have to give special powers to the Abu area.

जब हम उसको डिप्राइव करेंगे तो we will have to amend the Municipal Act saying that such and such area will be declared as such. इसलिए प्रिएम्बल के अन्दर एक स्कोप ऑफ दी बिल ले किया जा सकता है। It is natural that amendment has to be made in the Municipal Act and in a separate Act or as suggested by the Hon'ble Member in the Panchayat Act. किसी एरिया को पॉवर्स से, कान्स्टीट्युशन्न से उस एरिया को डिप्राइव करना है in that case, we will have to bring an amendment in the Municipal Act and therefore, giving special powers to this 'Notified Areas',we have to amend the parent Act and therefore, this is not necessary to bring an amendment in the parent Act and the Government is justified in bringing this in the House.

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर): उपाध्यक्ष महोदय, जो पोइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज़ किया गया है उस पोइन्ट ऑफ ऑर्डर के सम्बन्ध में माननीय

(श्री भैरोंसिंह)

सदस्य ने एक बात बतायी....

श्री उपाध्यक्ष : I will raise one point more-does it come within the Scope of the Point of Order or not ?

I will read rule 294:

"A point of order shall relate to the interpretation or enforcement of these rules or such Articles of the Constitution as regulate the business of the House and shall raise a question which is within the conizance of the Speaker."

Neither it is a question of interpretation of the Rules nor of the Constitution and therefore, it does not cover the issue. This particular amending question of 'Notified Area' does not come within the scope of the Rules. Rule 294 does not help the Hon'ble Member in raising the Point of Order. I rule out the Point of Order and start the debate.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Then, Sir, I would seek permission of the Chair to request. This is a very important point and this should be decided here,in this House by relaxing this to that extent. It may not be the Point of Order in that sense, but shohld not be left like this. After all this is a very substantial point. I could not give it before, as this has come to my notice just now and I will request the Chair to relax the rule to that extent.

श्री उपाध्यक्ष : Well, I am not in a position to relax the rule. Yes, Shri Murlidhar Vyas,

श्री मुरलीधर व्यास : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं हमारे यहां की जनतान्त्रिक परम्पराओं के अन्तर्गत किस प्रकार जनतन्त्र पर आने वाले प्रतिनिधियों ने घात–प्रतिघात किये हैं उसके सम्बन्ध में एक बात कह रहा था। बहुत छोटी सी बात है कि एक कफन की चोरी की कहानी मुझे याद आ गई। एक कफन चोर था। जब कोई मुर्दा कब्रिस्तान में आता और उसको गाड देते उसके बाद चुपचाप वह कफन निकाल कर सिर पर लगा लेता। आखिरकार वह मरने लगा तो उसने मरते वक्त अपने लडके से कहा कि अच्छा काम करना जिससे नाम हो। उसके लडके ने देखा कि जब बाप ने कफन की चोरी करके नाम कमाया तो उसने क्या किया कि जो कोई मुर्दा कब्रिस्तान में आता और जब गाड देते तो मुर्दे को निकाल कर कफन घर में रख लेता था। इससे तो इसका बाप अच्छा हुआ। जब वह भी मरने आया तो उसने कहा कि मेरा बाप अच्छा कहलाने लगा तू भी ऐसा कोई काम करना। तीसरे ने क्या किया कि मुर्दा आता तो उसको कब्र में से बाहर फैंक देता, कफन चोरी करता और उसकी छाती पर कील भी गाड़ देता। आखिर उसको भी अच्छा कहलाना था और कहलाया।

मैं सोचता हूं कि दस वर्ष हो गये राजस्थान में अनेक मन्त्री आये, अच्छे तो कहला गये इसमें शक नहीं। आने वाले मंत्री ने विधेयक रखा। वह व्यक्ति

Page No.80

(श्री मुरलीधर व्यास)

तो क्या करता था कि मुर्दे की छाती पर कील ठोक देता था लेकिन हमारे मंत्री महोदय ने तो जिन्दा आदमी को छाती पर ही कील ठोक दी है। ऐसा कानून लाये हैं जिससे बेचारे आदमी यदि रहना चाहें तो वह जनतान्त्रिक तरीकों से स्वांस भी नहीं ले सकते हैं। इस प्रकार का संशोधन लाये हैं कि प्रशासक को हटा देने के बाद में वहां प्रशासक को नियुक्त कर सकते हैं और वह भी लम्बे....

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : ओन ए पोइन्ट ऑफ क्लेरिफिकेशन, सर। एक क्लेरिफिकेशन चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय। राजस्थान विधान सभा सचिवालय द्वारा 'अध्यक्ष पद से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों का संकलन," यह विधान सभा के सदस्यों को वितरित किया गया है। पेज २३ पर जो रूलिंग है उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ; जिसमें लिखा है :

"कोई संशोधन विधेयक की व्याप्ति के बाहर नहीं होगा।"

"राजस्थान उत्पादक भाटक नियामक (संशोधन) विधेयक के खण्ड ३ के बाद श्री हरिकृष्ण व्यास एवं श्री सोहनलाल भटनागर के नये खण्ड ३ए, ३ बी, व ३ सी, जो विधेयक के उद्देश्यों तथा कारणों के परे थे, जोड़े जाने के संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर श्री अध्यक्ष ने यह निर्णय दिया :

"I think the purpose and the scope of the amending Bill is quite clear, which has been stated in the statement of Objects and Reasons. If any amendment to the Bill is made, rather to the scope of the present Bill, the House has every right to discuss but if amendments go beyond the scope of the present Bill, I am afraid, I cannot allow them."

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यह जो अमेन्डिंग बिल आया है, ओरिजनल बिल है राजस्थान म्युनिसिपैलिटीज़ एक्ट....

श्री उपाध्यक्ष : What is the position? You are again agitating the same issue in the light of the previovs observations of this House?

श्री भैरोंसिंह : This is based on the observations of the Hon'ble Speaker.

श्री उपाध्यक्ष : Yes, I have seen that. But it stands on different facts and on different circumstances.

श्री भैरोंसिंह : No Sir, it does not stand on different footings, Let me clarify.

(३. ०० म. प.)

जो ओरिजिनल एक्ट है वह राजस्थान म्युनिसिपैलिटीज़ एक्ट है और उसी एक्ट में अमेंडमेंट किया जा रहा है....

श्री उपाध्यक्ष : Where is the question of clarifying the position? Even the observation of the Hon'ble Spea-

(श्री उपाध्यक्ष)

ker is clear on this issue, and the facts as well as the issue do not tally. They differ.

श्री भैरोंसिंह : इस पर भी वह लागू होता है।

श्री उपाध्यक्ष : I will not allow that issue. I have made my observations about it and I have stated that the observation of the Hon'ble Speaker is very clear and does not fit in the present case.

श्री भैरोंसिंह : But unfortunately, Sir, I think it is not being understood in the sense...

श्री उपाध्यक्ष : Allright, you clarify it.

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान म्युनिसिपैलिटीज़ एक्ट, १९५९ में अमेंडमेंट आ रहा है। यह राजस्थान म्युनिसिपल संशोधन विधेयक, १९६१ है। इसमें इसका नाम नहीं बदला गया है। सेक्शन ४ है उसमें म्युनिसिपैलिटीज़ की परिभाषा दी हुई है। इसमें कहीं भी 'नोटिफाइड एरिया' का जिक्र नहीं है। जहां तक पंचायत समिति और पंचायतों का ताल्लुक है वह हमने पंचायत समिति विधेयक में शामिल कर दिया है। अब अगर सरकार म्युनिसिपैलिटीज़ एक्ट में 'नोटिफाइड एरिया' डिक्लेयर करना चाहती है तो वैसी हालत में अलग से 'नोटिफाइड एरिया' के नाम से बिल सदन में प्रस्तुत करना पड़ेगा। सरकार की ओर से जो अमेंडमेंट मूव किया गया है वह 'नोटिफाइड एरिया' के लिये अमेंडमेंट है। इस एक्ट के प्रीएम्बल के अनुसार और स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स के अनुसार 'नोटिफाइड एरिया' प्रीएम्बल में नहीं आता। इसी प्रकार के एक अमेंडमेंट से सम्बन्धित रूलिंग माननीय अध्यक्ष द्वारा पिछली बार हुई है जिसके अनुसार अमेंडमेंट बिल के प्रीएम्बल के अनुसार नहीं होता है तो उसको सदन में पेश करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसलिये यह जो संशोधन प्रस्तुत हुआ है, उस पर विचार करने की अनुमति न दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष : The position is too clear even under rule 72. "An amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates". Hon'ble Speaker's Observations were about this clause.

श्री भैरोंसिंह : बिल का जो कन्सोलिडेटेड फॉर्म होता है वह प्रीएम्बल कहलाता है।

श्री उपाध्यक्ष : In the previous case, the amendments were not treated as beyond the scope of the Bill.

The observation commences as follows :—

खण्ड ३ के बाद नया खण्ड ३ ए., ३ बी. व ३ सी. विधेयक के उद्देश्यों और कारणों से परे था। It is quite a different issue and on a different footing. The question raised in the Point of Order by Hon'ble Shri Satish Chandra

(श्री उपाध्यक्ष)

is not parallel to the case cited by you. I adhere to my observation which has been given now.

श्री मुरलीधर व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन को यह मानता हूँ कि यह जनतन्त्र का गला घोंटने वाला है। जो प्रशासक नियुक्त करने का हमने इसमें प्रावधान रखा उसके टर्म की कोई सीमा नहीं। कभी भी सरकार किसी भी जगह के लिये कितने ही पीरियड के लिये प्रशासक नियुक्त कर सकती है। इस प्रकार का जो संशोधन रखा गया है जिससे हमारा अनुभव हुआ है हमने यह देखा म्युनिसिपैलिटीज़ एक्ट के अन्तर्गत पहले छः महिने के लिये प्रावधान था कि छः महिने के लिये सरकार प्रशासक नियुक्त कर सकती है लेकिन सरकार द्वारा ६ महीने तक प्रशासक रखने के बाद चुनाव नहीं कराये गये और लम्बे अर्से तक प्रशासक रखती चली आई है। अब इस परम्परा को और आगे बढ़ाना चाहती है वह भी अनिश्चित पीरियड तक के लिये।

मैं समझता हूँ यह बड़ा प्रतिक्रियावादी कदम है। इसमें भी जहां जहां कांग्रेस की नगरपालिकायें हैं वहां पर ये प्रशासक नहीं होंगे। जहां विरोधियों की नगरपालिकायें हैं वहां प्रशासक नियुक्त होंगे। इस प्रकार का जो सरकार का रवैया रहा है वह साफ बतलाता है कि उनका स्तर इस मायने में कितना नीचे गिरा हुआ है और वे इन प्रजातान्त्रिक संस्थाओं को किस प्रकार से देखते हैं। आज हमने देखा है जहां विरोधी लोगों की नगरपालिकायें हैं वहां तीन तीन साल से प्रशासक बैठे हुए हैं और जहां कांग्रेस पार्टी की नगरपालिकायें हैं, वहां उनकी मियाद खत्म हो जाने पर भी उनकी मियाद बढ़ा दी जाती है। नैनवा, देवली की नगरपालिकायें जहां प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का बहुमत है, उनकी अवधि खत्म हो गई एक दिन भी उनकी अवधि नहीं बढ़ने दी।

आज जब कि हम स्वायत्त शासन संस्थाओं को अधिकार देना चाहते हैं वहां हमारा दृष्टिकोण भी लोकतान्त्रिक होना चाहिये। एक तरफ जहां लोकतन्त्र द्वारा चुने हुए नुमायन्दे हैं उन नगरपालिकाओं में किसी कारण से दिक्कत आती है उनकी अवधि को बढ़ाते हैं उसी प्रकार का दृष्टिकोण एक मन्त्री के लिये यह होता है कि वह सभी म्युनिसिपैलिटीज़ को समान दृष्टि से देखे। यह देखा गया है कि जहां विरोधियों की नगरपालिकायें हैं उनको फौरन हटा कर उनकी जगह एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर दिया जाता है। आखिर इस प्रकार करने से आपकी क्या मन्शा है? जनतन्त्र का कानूनी उपयोग एक निष्पक्ष तरीके से नहीं करने के ये स्पष्ट उदाहरण हैं। अभी देवली में सन् ५८ से अब तक एडमिनिस्ट्रेटर चला आ रहा है। अभी अभी उसके चुनाव भी हो गये लेकिन लिस्ट में यह कैसे बता दिया कि वहां प्रशासक है? प्रशासक तीन साल तक वहां रहा। यह जो परम्परा है हमें समाप्त करनी चाहिये और इस मामले में जैसा कि सरकार द्वारा कानून का दुरुपयोग किया गया है, ऐसी हालत में प्रशासक नियुक्त करने का अधिकार इस प्रकार से लम्बे अर्से तक देना जनतन्त्र की बुनियाद पर कलंक है। मैं इसका सख्त विरोध करता हूँ। जैसा कि मैंने कहा आप मरे हुए मुर्दे को कील ठोकने से बढ़ कर काम कर रहे हैं, जनतन्त्र

(श्री मुरलीधर व्यास)

रूपी जनता की छाती पर कील ठोकने का काम करते हैं, इस प्रकार से प्रशासक नियुक्त करके।

इसके बाद में जब नगरपालिका के चुनाव होगये, समय निकल गया, कुछ लोगों के ऊपर किसी प्रकार के चार्जेज़ हैं उस अवधि के बाद में सरकार इस प्रकार के अधिकार लेना चाहती है, नगरपालिका के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष जिन पर किसी प्रकार के चार्जेज़ हैं वे उसी तरह जारी रहेंगे और उन पर कार्यवाही की जायेगी,। इसकी कोई सीमा नहीं। इस प्रकार से उन प्रतिनिधियों पर यह नंगी तलवार अनिश्चित समय तक के लिये लटकाई रखना चाहते हैं। यह इसके बुनियादी उसूलों के खिलाफ है। इसका उपयोग, मैं कहना चाहूँगा, जहां अपने लोगों द्वारा गबन किया गया हो, चोरी की गई हो उन पर जहां कार्यवाही करने का सवाल आयेगा वहां तो इसके द्वारा उसको दबाने की कोशिश की जायेगी। आज सवेरे ही प्रश्नोत्तर काल के समय यह सवाल आया था : तीस रुपया लेते हुए पकड़ा गया। यह जहां साफ गबन का मामला है वहां पर भी कुछ कार्यवाही नहीं हुई। क्योंकि यह मसला ऐसे आदमियों से सम्बन्ध रखता है जो आदमी उनके हैं उनको तो माफ हो जाता है। जहां विरोधी पार्टियों के लोग होंगे वहां उन पर कानून की नंगी तलवार लटकती रहेगी। इस प्रकार का जो रवैया रहा है उस रवैये को देखते हुए इसका दुरुपयोग होगा। इसलिये मैं इस प्रकार के अधिकार सरकार को देना उचित नहीं समझता।

तीसरा 'नोटिफाइड एरिया' का सवाल है। इसमें पिलानी के सवाल की गहराई में मैं नहीं जाना चाहता। पर इतना कहना चाहता हूं कि जैसे नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि यह अंग्रेजों के ज़माने की गुलामी की प्रथा का कलंक है। अंग्रेज अपने कुछ विशिष्ट क्षेत्रों को जैसे मिलिटरी है, खुद के अपने थे उनको अलग रखना चाहते थे। बम्बई में भी 'नोटिफाइड एरिया' होता था। तो उसकी अपनी म्युनिसिपैलिटी होती थी, अपने कायदे कानून भी होते थे। अब इसमें आप वैसा कुछ संशोधन लाते हैं तो फिर आप इसमें राजस्थान म्युनिसिपल और 'नोटिफाइड एरिया' संशोधन विधेयक ये शब्द रखें। या तो इसमें 'नोटिफाइड एरिया' इसमें डालें, नहीं तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, यह गुलामी की प्रथा का कलंक मात्र है। फिर भी अगर पिलानी में ३०० आदमियों को खुश रखने के लिये नोटिफाइड एरिया बनाना ही है तो इसके लिये अलग से नोटिफिकेशन निकाल कर अलग कर सकते हैं। इसमें इसको लाना मैं तो न्यायसंगत नहीं मानता। एक ही क्षेत्र में सारे लोगों को रहना चाहिये। दूसरे अगर शिक्षित हैं तो क्या हुआ? आखिर स्वायत्त शासन का अर्थ भी यही है कि वे परस्पर मिलें, जुलें। अगर शिक्षित हैं तो अपनी शिक्षा का आदान प्रदान दूसरों से भी करें। यह क्या कि चूंकि शिक्षा-क्षेत्र है ,इसलिये अलग एरिया घोषित कर दो? यह बुनियादी उसूल जो लोकतन्त्र के हैं के विरुद्ध बात है। इसलिये इसको हटा देना चाहिये।

आपने लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण किया तो और नये परिवर्तन लाए। आज यू. पी. में भी पंचायत एक्ट के अनुसार नगरपालिकाओं को भी अधिकार देने के लिये उसको

(श्री मुरलीधर व्यास)

भी पुलिस के अधिकार देने के लिये प्रयत्न किया जा रहा है। इस प्रकार का कोई नया संशोधन आप लाते तो यह आपकी लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण परम्परा के अनुकूल होता। पर आप उस जनतन्त्र के रास्ते को छोड़कर दूसरी तरफ जा रहे हैं। तो इस दृष्टि से यह जो कानून आप ला रहे हैं बिल्कुल रद्दी की टोकरी में फैंकने लायक है।

इसके साथ ही जैसा जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि आपने जयपुर नगरपालिका के चुनावों के सम्बन्ध में जो कार्य किये, जिस प्रकार से हाईकोर्ट के फैसले की आड़ में उसकी मंशा के विपरीत जनता में एक अलग पर्चा नोटिफिकेशन निकाल कर जनता को गुमराह करने की कोशिश की है, मैं समझता हूँ बहुत वैसा कार्य है, खेदजनक तथ्य है। जनता के सामने कोई रास्ता नहीं है। ऐसी हालत में तो कि वह आपके खिलाफ बगावत कर दे। पर उसकी बगावत को रोकने के लिये, जनतान्त्रिक आधार को दबाने के लिये हाईकोर्ट के फैसले की भावना के विपरीत आपने सरकारी विज्ञप्ति निकाली।

फिर जैसे सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि आप अपने अधिकारों का दुरुपयोग भी किस तरह से करते हैं। वहां कोई अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया। उसके ठीक पांच मिनट पहले चूंकि वह आपके किसी अध्यक्ष के खिलाफ पड़ता था, आपने उसको सस्पेन्ड कर दिया। तो आपने जो सस्पेन्शन के अधिकार रखे हैं, इन आपके कारनामों को देखने हुए तो ऐसा लगता है कि जब आपने वह इस तरह से अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया तो इस संशोधन विधेयक से जो आप अधिकार लेंगे तो उसमें तो न जाने क्या क्या करेंगे। ये जो जयपुर, सीकर के मामलों में आपने कृत्य किये हैं अपने आप में नीच कृत्य हैं। ऐसे XXXX माननीय मन्त्री महोदय को त्यागपत्र दे देना चाहिये। अगर वे स्वत: नहीं देते हैं तो मैं दल के नेता से कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से गलत परम्पराओं के आधार पर चलने के कारण पंजाब के दो मिनिस्टरों को हटा दिया गया एक मिनट के अन्दर, उसी तरह उनका नेता के नाते यह कर्त्तव्य हो जाता है कि जनता को गुमराह जिस तरह से इन मन्त्री महोदय ने किया है और इस तरह के म्युनिसिपैलिटी के गलत फैसले करते हैं तो ऐसे मन्त्री को भी हटा दें। इतना ही नहीं; मैं तो यह भी कहना चाहूँगा कि उनके खिलाफ कार्यवाही भी की जानी चाहिये कि उन्होंने इस प्रकार के गलत कदम क्यों उठाये। यह बुनियादी चीज है। हमने जनतन्त्र के उसूलों को अपनाया है। हम जनता के प्रति और संविधान के प्रति जिम्मेदार हैं। ऐसी अवस्था में सिर्फ अपनी पार्टी की दृष्टि से या अपने किसी स्वार्थ की दृष्टि से अगर कोई मन्त्री जनता को गुमराह करता है और गलत आदेश निकालता है तो ऐसे मन्त्री का स्वयं का यह नैतिक कर्त्तव्य हो जाता है कि वह अपने पद से अलग हो जावे; नहीं तो दल के नेता को चाहिये कि उसे हटा दे और उसके खिलाफ कार्यवाही भी करे। और अगर इस प्रकार से वे नहीं करते हैं तो मैं तो यह कहना चाहता हूँ कि

XXXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

(श्री मुरलीधर व्यास)

लोकतन्त्र आपके राज्य के अन्तर्गत पिछले दस वर्षों में जिस प्रकार चला, जैसी आपने परम्पराएं रखी तो जिस लोकतन्त्र को इतनी कुरबानी से प्राप्त किया है हम उसकी जड़ को काटें, आपकी इस उपेक्षावृत्ति और लापरवाही से वह कठिन श्रम से प्राप्त लोकतन्त्र रहेगा नहीं। इसलिये मैं मन्त्री महोदय से कहूँगा कि इस प्रकार की परम्पराओं को वे निभावें कि यह लोकतन्त्र पनपे और जिन जिन ने खामियां की उनको पूरा करेंगे, दूर करेंगे और इस तरह की खामियों वाला संशोधन यहां नहीं लावेंगे।

साथ ही सदन के माननीय सदस्यों से भी मैं निवेदन करूंगा कि वे भी इस तरह की गलत बातों को न मानें। यह संशोधन कानून रद्दी की टोकरी है, जनतन्त्र पर कुठाराघात है, यह जलाने के काबिल है। इसलिये सारे विरोधी सदस्यों से और अन्यों से प्रार्थना करूंगा कि इसकी डट कर खिलाफत की जावे और इसे यहां नहीं पास होने दें। आखिर यह लोकतन्त्र हमें बड़ी कुरबानी के बाद मिला है। इसकी परम्पराओं के विपरीत कोई भी कानून जो डेढ़ करोड़ जनता की छाती पर लादने के लिये लाया जा रहा है उसका विरोध करना चाहिये। और आपको जिस प्रकार राज्यपाल ने कहा था कि हम लोग जो यहां आये हैं वे केवल कानून पास करने के लिये ही नहीं आये हैं, जनता के प्रतिनिधि होने से जनता के प्रति भी उत्तरदायित्व से बन्धे हैं तो उस उत्तरदायित्व और परम्परा को निभाना चाहिये और मि. सम्पतरामजी ने जो यह संशोधन विधेयक रखा है, इसका विरोध करना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान म्यूनिसिपैलिटी संशोधन विधेयक जो सदन में प्रस्तुत किया गया है और जिसके सम्बन्ध में इसको प्रवर समिति के सुपुर्द करने का प्रस्ताव सदन में विचारार्थ प्रस्तुत हुआ है, मैं उसका समर्थन करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल आज से कुछ माह पूर्व एक ऑर्डिनेन्स के रूप में हमारे सामने आया था। ऑर्डिनेन्स कब और क्यों जारी करना चाहिए इसके बारे में मैं समझता हूँ कि सदन में कई बार काफी चर्चा हुई है और इस सम्बन्ध में सरकार को काफी उलाहना भी दिया गया है। उसका सरकार पर कितना असर होता है वह सरकार स्वयं अन्दाज लगाये कि आया जो ऑर्डिनेन्स इश्यू करने का अधिकार सरकार को प्राप्त है उस अधिकार का किस प्रकार से सदुपयोग किया जाये। मेरी ऐसी मान्यता है उपाध्यक्ष महोदय, कि ऑर्डिनेन्स इश्यू करने में सरकार को जिस प्रकार की सतर्कता बरतनी चाहिए थी और जिस प्रकार की आवश्यकता को लेकर आर्डिनेन्स इश्यू करने के मसले पर महत्व देना चाहिए था उस प्रकार की कार्यवाही नहीं की गयी। ऐसा लगता है कि हमारी सरकार लगातार इस तरह के आर्डिनेन्स इश्यू करके विधान सभा के अधिकार प्राप्त करना चाहती है और प्रेक्टिकली यदि यह कहूं कि विधानसभा के सारे अधिकार आज सरकार ने अपने हाथों में केन्द्रित कर लिए हैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जहां तक मेरी जानकारी का सवाल है, माननीय

Page No.86

(श्री भैरोंसिंह)

सदस्य जो सत्तारूढ़ दल की ओर बैठे है वह नाराज़ न हों तो मैं यह कहने के लिए भी तैयार हूं कि जिस कानून का उल्लेख इस सदन में हो रहा है वह सत्तारूढ़ दल की लेजिस्लेटिव पार्टी के सामने नहीं रखा गया। प्रोविन्शल कांग्रेस कमेटी से इसकी अनुमति नहीं ली गयी और ऐसी स्थिति में माननीय मन्त्री महोदय ने जो कानून प्रस्तुत किया है उसके पीछे जो पोलिटीकल पार्टी की सेंक्शन होनी चाहिए थी वह सेंक्शन भी नहीं है। अब उपाध्यक्ष महोदय.... .. ....

श्री उपाध्यक्ष : Does it come within the province of our working ? We cannot go beyond the scope.

श्री भैरोंसिंह : यह जो चर्चा हुई है कि अन्डेमोक्रेटिक है और एक ही मन्त्री की कारस्तानी है ....

श्री उपाध्यक्ष : You will not discuss how their party feels about it.

श्री भैरोंसिंह : केवल मैं वही बताता हूँ। अब उसके तथ्य और कारणों का विवरण पढ़ा जाये, जिसमें लिखा है कि इसको किस लिए इश्यू किया गया और सरकार को आवश्यकता क्यों महसूस हुई। उसका एक कारण उपाध्यक्ष महोदय, यह है कि धारा ७३, १४७, १५० और १६६ में प्रस्तावित संशोधन कतिपय मुद्रण की अशुद्धियों को ठीक करने के लिए अभिप्रेत है, यानि सरकार कह रही है कि छपाई की कुछ गलतियां ओरिजनल एक्ट के अन्दर रह गई थीं, उन गलतियों को शुद्ध करने के लिए ऑर्डिनेन्स इश्यू किया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, सन् १६५६ में कानून बना और आज सन् १६६१ में यह संशोधन आया है। दो वर्ष तक हमने इस कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की। तीन विधान सभा के सेशन निकल गये और हमारी सरकार की १६६१ में आंख खुली है कि राजस्थान टाउन म्युनिसिपैलिटीज़ एक्ट में कुछ प्रिन्टिंग मिस्टेक रह गयी हैं और कानून उन प्रिन्टिंग मिस्टेक्स की वजह से तीन वर्ष तक चलता आया था, वह कानून यदि एक महीना और चल गया तो राजस्थान में अराजकता फैल जायेगी, म्युनिसिपैलिटीज़ का काम बन्द हो जायेगा, म्युनिसिपैलिटीज़ को सरकार के संचालन के अन्दर लेना मुश्किल हो जायेगा। मैं ऐसा नहीं समझ पाया उपाध्यक्ष महोदय, कि इन प्रिन्टिंग मिस्टेक्स के कारण से कौनसा कहर पड़ रहा था जिसके कारण से सरकार को यह ऑर्डिनेन्स जारी करने की आवश्यकता महसूस हुई।

उपाध्यक्ष महोदय, अब वह प्रिन्टिंग मिस्टेक क्या है; उसके लिए यदि इस बिल को देखा जाये तो उसमें कोई सेक्शन नहीं है कि कौनसी प्रिन्टिंग मिस्टेक को आप दुरुस्त कर रहे हैं। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस बिल को पढ़िये और पढ़ने के बाद आपने धाराओं का संकेत किया है, लेकिन कौन से हिस्से में किस प्रकार की प्रिन्टिंग मिस्टेक रही हैं उसका कोई उल्लेख नहीं है। क्या करना चाहते हैं, किस तरह से करना चाहते हैं; इसका कुछ अन्दाज़ नहीं। कौनसी मिस्टेक है जिसको आप दुरुस्त करना चाहते हो, इसके बारे में

(श्री भैरोंसिंह)

मन्त्रीजी क्या उत्तर देंगे वह समझें, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, कि आज सदन की फिर मखौल की जा रही है। कानून पेश करते हैं, स्टेटमेन्ट में सारे कारण बताये जाते हैं और कारणों के लिए संशोधन की धारायें नहीं बताई जाती। धाराओं के अन्दर कौनसा संशोधन करना है उसका उल्लेख नहीं किया जाता और उल्लेख क्यों नहीं किया गया, हमारी सरकार फिर कह देगी कि फिर प्रिन्टिग मिस्टेक है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप जिस प्रिन्टिग मिस्टेक को लेकर सदन में आये तो आपका कर्त्तव्य हो जाता है कि वह बतायें कि विधान सभा ने जो कानून पास किया उसमें प्रिन्टिग की गलती किसने की। अगर आपका लॉ डिपार्टमेंट करता है जो कि सारे बिल को ड्राफ्ट करता है या फिर सरकारी प्रेस है तो क्या अब तक आंखों में तेल डाल कर सो रहे थे ?

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के द्वारा माननीय मंत्री महोदय के ऊपर यह दबाव डालना चाहूंगा कि ऐसी स्थिति में इस सदन में वे घोषणा करें कि जिस व्यक्ति ने प्रिन्टिग मिस्टेक की वजह से सदन की मानहानि की है चाहे वह लॉ सेक्रेटरी हो, चाहे डाइरेक्टर ऑफ प्रिन्टिग प्रेस हो उनको सख्त से सख्त सजा दी जायेगी। उपाध्यक्ष महोदय, अब इसके आगे एक अजीब चीज है। हमारे सामने सरकार ने पेश किया है राजस्थान सरकार द्वारा अधिकृत हिन्दी अनुवाद। इस अधिकृत हिन्दी अनुवाद में और अंग्रेजी में अन्तर है और अन्तर में प्रिन्टिग मिस्टेक नहीं है; बल्कि पूरी की पूरी धारायें खा गये हैं। इसमें लिखा है "राजस्थान एक्ट ३८ सन् १९५९ की धारा २६ का संशोधनः– मूल एक्ट की धारा २६ में शब्द 'तथा रहने के लिए' लोपित किये जावेंगे।" मैं मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि अंग्रेजी के इस बिल में यह शब्द और धारा कहां है। लेकिन ऑर्डिनेन्स की जो मेरे पास कॉपी है उसको भी मैंने अच्छी तरह से देख लिया है। मुझे उसके अन्दर इस प्रकार की कोई चीज़ नहीं मिलती। आखिर वह उत्तर देंगे और इस प्रिन्टिग मिस्टेक के लिए जो भी जिम्मेदार हैं उन जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे। अब सवाल एक पैदा होता है उपाध्यक्ष महोदय....

श्री श्रीमानसिंह (बयाना) : Point of Information, Sir, which is the authentic copy before the House ? If the Bill was presented to the House in Hindi then Hindi copy will be the authentic one, and if the Bill was presented in English, then English copy will be authentic. We must know in which language the Bill was introduced.

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इंगलिश का बिल नहीं आया है। यह तो अधिकृत हिन्दी अनुवाद पेश हुआ है और उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हो सकती। हमारे पास ऑर्डिन्स की कॉपी आई है और दूसरे हिन्दी का अनुवाद आया है....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : We have not received this Hindi 'anuvad'.

श्री उपाध्यक्ष : My information is that even English version has been sent to the Hon'ble members.

श्री श्रीभानसिंह : No question of English version. If the Bill was introduced in Hindi then Hindi version would be the authentic version.

श्री उपाध्यक्ष : But the House has treated the English version as authentic.

श्री श्रीभानसिंह : It is not open to the House, Sir. I may draw your attention, that once Hon'ble Shri P. K. Chaudhary tabled certain amendments in English. But as the Bill introduced in the House was in Hindi, his amendments were rejected. Now if the Bill has been introduced in the House in Hindi language, then we have to accept Hindi version as the authentic one and see if there are any printing mistakes in that.

श्री उपाध्यक्ष : The Bill introduced is in English. Therefore we will have to treat the English version as authentic. The question that the Hon'ble members have not received the...

श्री श्रीभानसिंह : What does the Rajasthan Languages Act say ?

श्री उपाध्यक्ष : It does speak about both the languages, I think. It is not an open question. We have decided this question once for all that English version should be treated as authentic.

श्री भैरोंसिंह : यह तो....

श्री श्रीभानसिंह : No, Sir, I decidedly remember that Hon'ble Shri P. K. Chaudhary's amendments in English were rejected because the Bill as introduced in the House was in Hindi. Therefore his amendments were not taken and they were rejected.

श्री उपाध्यक्ष : This point was agitated before me and I remember that this Chair made certain observation about it.

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री श्रीभानसिंह : लेन्वेजेज़ एक्ट में क्या है ? दोनों बिल्स के लिए है; whether it can be presented before the House in English or Hindi ?

श्री उपाध्यक्ष : "Subject to the provisions of Article 348 of the Constitution of India and notwithstanding anything contained in section 3, the language of :

(i) all Bills introduced in the State Legislative Assembly,......

shall be either Hindi written in Devnagri script or English".

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन विधेयक के द्वारा सरकार की यह मन्शा स्पष्ट होती जा रही है कि सन् १९५९ में जो विधेयक राजस्थान विधान सभा ने पारित किया वह विधेयक अच्छा नहीं है। मैं माननीय मन्त्री महोदय को जानकारी के

(श्री भैरोंसिंह)

लिए बताऊं कि जिस समय १९५९ में यह बिल पास हुआ, पास होने के बाद जिस रूप में विधान सभा ने पारित किया था, लागू होने के बाद इस बिल की कॉपी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मंगवाई थी और मंगवाने के बाद इसके अन्दर एक शब्द का हेरफेर किये बिना इसको भारत सरकार द्वारा म्युनिसिपैलिटीज़ के लिए मॉडल बिल स्वीकार किया गया, जिस समय इस बात की सूचना भूतपूर्व स्वायत्त शासन मन्त्री महोदय ने सदन को दी तो सदन ने तालियों को गड़गड़ाहट में उस बात को स्वीकार किया था। आज, उपाध्यक्ष महोदय, जिस बिल को भारत सरकार ने मॉडल बिल के रूप में स्वीकार किया था, उस बिल में हमारे माननीय मन्त्री महोदय इस प्रकार के संशोधन ला रहे हैं कि यदि यह संशोधित बिल फिर भारत सरकार के सामने गया तो इसको मॉडल बिल नहीं कहेंगे; बल्कि इसको कहा जायेगा कि राजस्थान की विधान सभा कितनी कॉम्पीटेन्ट है कि जो सन् १९५९ में एक कानून बनाती है उसमें सन् ६१ में संशोधन कर देती है और वह संशोधन भी ऐसा कि जिन संशोधनों के ऊपर विचार करने के बाद सदन ने यह निर्णय लिया था कि राजस्थान में 'नोटिफाइड एरिया' नहीं होने चाहिए।

मुझे याद है, उपाध्यक्ष महोदय, कि सदन के कई माननीय सदस्यों ने इस प्रकार के संशोधन उस समय प्रस्तुत किये थे कि राजस्थान में 'नोटिफाइड एरियाज़' डिक्लेअर करने के अधिकार भी सरकार में रहने चाहिएं, लेकिन इसी सदन ने उस मसले पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया था कि राजस्थान में 'नोटिफाइड एरियाज़' की आवश्यकता नहीं है। उस समय एक दिक्कत पेश हुई थी कि राजस्थान में कई मंडियों का विकास हो रहा था और सरकार को कभी यह आवश्यकता महसूस हो सकती है कि उन मंडियों को म्युनिसिपल एक्ट में नहीं रखें तो उसके लिए राजस्थान मंडीज़ एक्ट एक बनाया गया था और उसके साथ साथ इस कानून में इस प्रकार के प्रोविज़न रखे गये कि सरकार ऐसी म्युनिसिपैलिटी में से किसी एरिया में से किसी एरिया को निकालना चाहे तो सरकार निकाल सकती है और निकालने के बाद जो दूसरे कानूनों का उस पर असर होगा वह होगा। लेकिन निकालने का अधिकार इस कानून के अन्दर दिया। आज वही सरकार, आज से दो वर्ष पहले एक निर्णय लेने वाली सरकार, आज से दो वर्ष पहले मत प्रकट करने वाली सरकार बहुमत से राजस्थान के अन्दर फिर निर्णय लिवाती है इस विधान सभा से कि 'नोटिफाइड एरिया' की आवश्यकता है। मैं माननीय सदस्यों से अपील करना चाहूँगा कि पंचायतों के लिए कानून बनाते हैं तो उसमें लिखते हैं कि ६ महीने तक पंचायतें अपने लिये हुए निर्णयों में किसी प्रकार से कोई संशोधन नहीं कर सकते हैं। नगरपालिका कानून में इस प्रकार की धारा है कि एक बार के निर्णय में तीन महीने तक कोई संशोधन नहीं कर सकते। मैं मंत्री महोदय से कहूँगा कि कानून के अन्दर इस प्रकार की धाराएं नहीं हैं लेकिन परम्परा इस प्रकार की निर्मित करनी चाहिए कि दो वर्ष पहले जो निर्णय इसी विधान सभा द्वारा लिया गया उस निर्णय को संशोधन के रूप में अवैध घोषित नहीं करें, अमान्य किसी प्रकार से नहीं करें। लेकिन आज हमारी

Page No.90

(श्री भैरोंसिंह)

सरकार उनको अमान्य सिद्ध करना चाहती है।

'नोटिफाइड एरियाज़' के बारे में, उपाध्यक्ष महोदय, कानून की धाराओं को देखा जाय तो ऐसा लगता है कि राजस्थान में डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है। राजस्थान के एडमिनिस्ट्रेशन में डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है नहीं और हमारे मन्त्रियों के डेमोक्रेटिक माइन्ड नहीं हैं। कुछ ऐसा लगता है कि एक तरफ सत्ता के विकेन्द्रीकरण की बात करते हैं और दूसरी तरफ सत्ता को अपने हाथों में केन्द्रित करने की बात करते हैं। दोनों चीजें साइमलटेनियसली नहीं चल सकती हैं। या तो कह दें कि यह सारा डीसेन्ट्रेलाइज़ेशन एक तरह से ढोंग है। दुनियां को इस प्रकार से मुगालता देने के लिए डीसेन्ट्रेलाइज़ेशन की बात करते हैं। यदि आपका मकसद यह हो कि डीसेन्ट्रेलाइज़ेशन में कोई भी विश्वास करता है वह इस बात में विश्वास नहीं करे। वह इस बात में विश्वास नहीं करेगा कि सरकार के हाथों में, मंत्रियों के हाथों में इस प्रकार के पॉवर्स दे दिये जायं और पावर्स भी किस तरह के? उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक धारा पढ़कर बताता हूँ, उसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा....

श्री उपाध्यक्ष : समय के सम्बन्ध में निवेदन करूंगा कि चार बजे तक मैं इन्हें समाप्त करूं। साथ ही इसके बीच में माननीय मंत्री का जवाब है और इसके बाद में राइट ऑफ रिप्लाई आरम्भ होगा।

श्री भैरोंसिंह : मैं अर्ज कर रहा था कि इस कानून के अन्तर्गत सरकार 'नोटिफाइड एरिया' डिक्लेयर करेगी और डिक्लेयर करने के बाद कितना एरिया किस प्रकार से डिक्लेयर होगा, इसका प्रोसीजर है और ऑब्जेक्शन्स इन्वाइट करेंगे और ऑब्जेक्शन्स के बाद डिसपोज़ल होगा और उसके बाद सरकार कहती है कि 'नोटिफाइड एरियाज़' के अन्दर सरकार अपनी मर्जी पर कमेटी कन्स्टीट्यूट कर सकती है। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार से कहता हूँ कि जब राजस्थान की १३५ नगरपालिकाओं के चुनाव करा सकती है तो 'नोटिफाइड एरिया' में चुनाव क्यों नहीं करा सकती है? लेकिन सरकार कहती है कि पहली जो कमेटी होगी that will be constituted by Government. यदि आज कोई 'नोटिफाइड एरिया' घोषित नहीं किया जाय, आपके सामने ऐसी कौनसी इमर्जेन्सी पैदा हो गई है कि जिसमें ६ महीने के अन्दर 'नोटिफाइड एरिया' डिक्लेयर नहीं किया गया, कमेटी कॉन्स्टीट्यूट नहीं की गई, सरकार की मर्जी के अनुकूल चेयरमैन नहीं हुआ तो राजस्थान का पटरा साफ हो जायेगा। ऐसा कुछ नहीं लगता है। आपको यदि 'नोटिफाइड एरिया' बनाना है, कानून बनाना है तो कानून बन जायेगा और एरिया डिक्लेयर करते हैं तो उस एरिया में म्यूनिसिपल इलेक्शन होता है उसी प्रकार से इलेक्शन होगा और इलेक्शन होने के बाद चेयरमैन चुन कर आता है वह चेयरमैन बनेगा। लेकिन वह अधिकार भी सरकार अपने हाथ में लेना चाहती है। एक तरफ सरकार कहती है कि वह चुनाव की पद्धति को स्वीकार करती है और इस कानून में नोमिनेशन की पद्धति को लागू करना चाहती है। इससे मेम्बर्स का नोमिनेशन होगा और चेयरमैन के नोमिनेशन को स्वीकार किया है। सरकार यह बतलावे

(श्री भैरोंसिंह)

कि कौनसे कारण हैं कि जिनसे 'नोटिफाइड एरिया' डिक्लेयर करने के बाद वह चुनाव जल्दी से जल्दी नहीं करवा सकती ? सरकार कह सकती है कि 'नोटिफाइड एरिया' डिक्लेयर करने के बाद चुनाव कराने में देरी होगी। लेकिन आप इस तरह का अमेन्डमेन्ट ला सकते हैं कि जब तक चुनाव नहीं हो जाते तब तक वही म्युनिसिपैलिटी काम करेगी और जब हो जावे तब उसको बाहर निकाल सकते हैं। इस तरह के संशोधन नहीं किये; संशोधन इस बात का किया कि मर्जी आवे उसको सरकार चेयरमैन और मेम्बर बना सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही होता तो संतोष होता लेकिन इस कानून में लिखा है हमारे मंत्री महोदय ने :

"(3) The State Government may apply or adopt to a notified area any of the provisions of this Act or any other law for the time being in force which may be applied to a municipality or any rule or bye-law in force in any municipality under the provisions of this or any other Act, subject to such restrictions and modifications, if any, as it may think fit."

यह भी हमारी सरकार ने इच्छा प्रकट की है कि हम कानून के नीचे बंध कर नहीं चलना चाहते। सरकार के मंत्री महोदय चाहते हैं कि रूल्स और एक्ट अभी म्युनिसिपैलिटीज़ के बने हैं उनमें भी संशोधन करना चाहते हैं। इसलिये करना चाहते हैं कि यदि कहीं 'नोटिफाइड एरिया' में किसी प्रकार के टैक्स इम्पोज़ किये गये, पॉवर्स एक्सरसाइज़ किये गये, पॉवर्स हैं उनमें भी यदि रूल्स लागू होते हैं तो सरकार चाहे अपनी मर्जी के अनुसार जिस तरह से चाहे उस तरह के ऑर्डर निकालेगी या रेस्ट्रिक्शन इम्पोज़ करेगी। इसका मतलब यह होगा कि सरकार 'नोटिफाइड एरिया' में जनता के नाम पर, जनता के अधिकारों को छीनने के लिये, उसके डेमोक्रेटिक राइट्स को खत्म करने के लिये उनके गले पर छुरी रखने के लिये 'नोटिफाइड एरिया' नहीं बना रही है; बल्कि बूचरखाना तैयार कर रही है। कई बूचरखानों में आदमियों की हत्या होती है लेकिन यहां आदमी के अधिकारों की हत्या करेंगे।

मैं मंत्रीजी से प्रार्थना करूंगा कि यदि इस तरह के कानून को विधान सभा में पास कराया तो मंत्रीजी हम भी देखेंगे कि किस तरह से कानून पास करायें। यह विधान सभा के अधिकार का सवाल है, विधान सभा के अधिकारों पर कुठाराघात करने के लिये आप मर्जी आवे जैसा बिल ले आवें तो हम उसे पास नहीं होने देंगे। यह सही है कि हम अल्प मत में हैं, हमारी संख्या कम है और यदि हमारी संख्या कम होने का नाजायज़ फायदा उठाते हैं तो नाजायज फायदा उठाने वालों के साथ अल्प मत को भी अधिकार है। उनको किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं, यह भी जानकारी हमको है। मैं कहूँगा कि उनको एक्शन में और विधान सभा में प्रयोग में लाने के लिये हमको मजबूर न करें और यदि मजबूर करते हैं तो नम्रता से कहना चाहूंगा कि बाकी बातें जो कई माननीय सदस्यों ने कही हैं उनको मैं दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन मंत्रीजी से निवेदन करना

Page No.92

(श्री भैरोंसिंह)

चाहता हूँ कि ठंडे दिल से इस पर विचार करें, ताकीद में इसे पास न करें। सलेक्ट कमेटी में यदि इसे नहीं भेजते हैं तो बैठ कर विधान सभा के सदस्यों को बुलाकर इस पर विचार करें और यदि उचित बात नजर आती है तो उसे स्वीकार करने की चेष्टा करें। फिर भी अगर जिद्द है तो कानून के रूप में पास करने की चेष्टा करें। आगे जिस प्रकार का प्रोसीजर होगा, एडोप्ट किया जायेगा। आज यह कह कर कि मुझे ५ बजे इसे पास करना है चाहे इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटियां हों, चाहे किसी प्रकार के अधिकारों का हनन है तो उचित नहीं होगा। इस बारे में गंभीरता से विचार करें। सदन से भी मैं प्रार्थना करूंगा कि वह विरोधी दल का साथ दे। उनकी भावनाओं को एप्रिशियेट करते हुए सरकार को मजबूर करें कि पहले इस पर अच्छी तरह से विचार करके फिर पास करें। यदि परसों तक विधान सभा चलती है तो हम ९ बजे तक बैठ सकते हैं, १० बजे तक बैठ सकते हैं, कल सबेरे तक बैठ सकते हैं, ८ बजे सुबह बैठ सकते हैं लेकिन ताकीद में कानून नहीं बनने देंगे। मैं मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे जोश में और दम्भ में नहीं रहें, मंत्री के सम्मान में नहीं रहें, लेकिन वे भी इस सदन के सदस्य हैं, उनका भी जनता के प्रति उत्तरदायित्व है इसलिये सारी बातों पर विचार करके करेंगे। इन बातों के साथ प्रवर समिति का जो प्रस्ताव माननीय सदस्य ने प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : I shall have to consider this issue. The second reading is to be concluded at 4 P. M. I have to give opportunity to the Hon'ble Minister also.

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : But the report of the Business Advisory Committee has not been approved by the House.

श्री उपाध्यक्ष : It has been adopted by the House. This is a fact established which I cannot overrule.

So I would now request the Hon'ble Minister to please make a reply.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : बिज़नेस एडवाइज़री कमेटी ने समय निर्धारित किया है, ४ बजे तक द्वितीय वाचन और ४ बजे से ५ बजे तक तृतीय वाचन। इस सम्बन्ध में बिज़नेस एडवाइज़री कमेटी का प्रतिवेदन सदन के समक्ष विचारार्थ नहीं आया।

श्री उपाध्यक्ष : It was presented on the 18th and adopted on that day.

श्री श्रीमानसिंह (बयाना) : अभी तो टाइम है।

श्री उपाध्यक्ष : If this is the sense of the House. I shall have to put the question to the House.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : निर्णय क्या हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष : Would more of the Hon'ble members like to speak ?

श्री आबिदअली (सवाई माधोपुर) : I will speak, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : Then I will have to take the sense of the House.

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : But we cannot sit beyond 5.00 P.M.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सिर्फ इसलिये कि ६ बजे एट होम है ? काम ज्यादा जरूरी है या एट होम ज्यादा जरूरी है !

श्री भैरोंसिंह : यदि ५ बजे एडजोर्न किया जाय तो २२ तारीख से सेशन बढ़ा कर २३ तारीख को ले लिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : I cannot go beyond one hour. If there can be any variation in time, it can only be extended to one hour.

श्री पी० के० चौधरी : Hon'ble Minister should reply, Sir.

श्री सम्पतराम (स्वायत्त शासन मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सारे सदन में जब इस अमेन्डिंग बिल पर विचार किया तो हमारे सारे म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में एक तरीके से विचार किया है । यह बात कहने की आवश्यकता सदन के सामने नहीं समझता कि हमारा जो मेन एक्ट जिस पर यह अमेंडमेंट लाया गया है वह किन हालात में और कितने समय बाद पास किया गया था । बहुत दिनों तक यह बिल एसेम्बली के सामने विचारार्थ रहा और इस दौरान में सरकार के ध्यान में जितनी नगरपालिकाओं के चुनाव ड्यू हैं वे नये एक्ट की तहत किये जायं । सबसे पहले यह आक्षेप सरकार पर लगाये कि सरकार को जितनी जल्दी से चुनाव कराना चाहिये था उतना जल्दी कराने की सरकार ने कोशिश नहीं की । मेरा खयाल यह है कि यदि किसी राजनैतिक मतलब से यह बात कही गई है तब तो यह जस्टिफाइड है कहें लेकिन यदि सत्यता से इस पर देखा जाय तो मैं तथ्य के आधार पर साबित करने को तैयार हूँ कि सरकार ने जितनी कोशिश हो सकती थी, की । राजस्थान की जिन नगरपालिकाओं का पीरियड खत्म हो गया था, शुरू से ही उनका चुनाव कराने के लिए भरसक प्रयत्न किया है । राजस्थान में आज के दिन लगभग १३७ नगरपालिकायें काम करती हैं । जुलाई के महीने में अब पहला सत्र हुआ था । उसमें विधान सभा के सदस्यों द्वारा नगरपालिकाओं के चुनाव के सम्बन्ध में जितने प्रश्न हुए थे तो सरकार ने निश्चित तौर पर कहा था कि जितनी जल्दी हो सकता है नये एक्ट के तहत चुनाव कराने की व्यवस्था की जायेगी । उसके बारे में आप देखें तो शिड्यूल्ड कास्ट्स की पोपूलेशन का एन्युमरेशन करना जरूरी था, वार्ड्स का निर्धारण करना जरूरी था। नये तरीके से कई म्युनिसिपैलिटीज़ में एक वार्ड होता था वहां वार्ड बनाना जरूरी था । तो ऐसे मसले थे जिनको हमने तय करना आवश्यक समझा । उन सब को करने के बाद आज तक जितनी म्युनिसिपैलिटीज के चुनाव जुलाई के बाद में हुए हैं उनकी तादाद ६० है । १३७ म्युनिसिपैलिटीज़ में से लगभग ४५ म्युनिसिपैलिटीज़ हैं जिनका पीरियड खत्म नहीं हुआ था, जो आगे आने वाले समय में होगा और जिनका खत्म हुआ है उनके चुनाव करवाये हैं और अक्टूबर, नवम्बर में आप देखेंगे कि बहुत सी जगह म्युनिसिपैलिटीज़ के चुनाव कराने की व्यवस्था की जा रही है । तो मैं प्रज़ेन्ट फिगर्स के

(श्री सम्पतराम)

आधार पर यह साबित कर सकता हूँ कि जितनी भी कोशिश सरकार को करनी चाहिए थी, उतनी कोशिश की गई है। जहां तक एडमिनिस्ट्रेटर के अपोइन्टमेंट को लेकर विधान सभा में आक्षेप लगाये गये, मैं समझता हूं, कि अगर गम्भीरता के साथ विचार करें तो राज्य सरकार दोषी नहीं है। हमने जयपुर म्युनिसिपैलिटी में एडमिमिस्ट्रेटर नियुक्त किया। वह राज्य सरकार ने अपनी ओर से नहीं किया था। वह इसलिए किया था कि यहां के सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। इसी तरह से सरदारशहर की नगरपालिका के सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया था। रतनगढ़ में भी एडमिनिस्ट्रेटर का अपोइन्टमेंट इसीलिए किया गया था। तो या तो मेम्बर्स ने इस्तीफा दिया या हाई कोर्ट ने चुनाव सेट–असाइड किये हैं, या कॉम्पीटेन्ट ऑथोरिटी ने सेट–असाइड किये हैं। ऐसी हालत में एडमिनिस्ट्रेटर का अपॉइन्टमेंट नहीं किया जाता तो क्या होता। सदन में जिस समय मूल एक्ट पर विचार हो रहा था तो सदन के माननीय सदस्यों की ऐसी मन्शा थी कि जहां इमर्जेन्सी हो जाय तो एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करना पड़ेगा। इसलिए जहां पर इमर्जेन्सी पैदा हुई वहां एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया गया। इसके अलावा जिनका काम ठीक नहीं चलता था, जिनमें आपस में झगड़े चलते थे उनमें एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइन्ट किया। लेकिन ऐसी म्युनिसिपैलिटीज़ की संख्या एक, दो से ज्यादा नहीं है। इसके अलावा हमारे सामने किसी पार्टी की बात या दल–गत पार्टी की बात किसी नगरपालिका में एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइन्ट करते वक्त नहीं आई। इसके सम्बन्ध में जो आक्षेप लगाये गये, मैं उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। मैं जानता हूँ यह आखिरी सत्र है और यह चुनाव से सम्बन्ध रखने वाली चीज है, इसलिए इस पर बोलना जरूरी है जिससे चुनाव पर असर हो। मैं उदाहरण के रूप में कहूं कि जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो भाषण दिया है उसमें ९० परसेंट बातें जयपुर म्युनिसिपैलिटी के बारे में कही गई है, हाई कोर्ट की रूलिंग का अपमान गवर्नमेंट करती है, यह भी आक्षेप लगाया जाता है कि गलत तरीके से इन्टरप्रेट करती है। गवर्नमेंट ने गलत इन्टरप्रेट किया या सही किया, यह तो आप अक्टूबर में देखेंगे। आपके पास दिमाग है, चिन्तन करने की शक्ति है दिमाग के लिए स्वाभाविक है कि दिमागी। शक्ति सही तरीके से भी इस्तेमाल की जाती है। और गलत तरीके से भी इस्तेमाल की जाती है विरोधी दल के लोगों ने इसके सम्बन्ध में जो आलोचना की है, उनमें यह तथ्य है कि दिमाग की शक्ति का गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है। उसकी मैं एक्जाम्पल देता हूँ।

माननीय उपाध्यक्ष, अभी जन संघ के नेता महोदय ने कहा कि प्रिन्टिंग एरर्स और मिस्टेक के बारे में ऑर्डिनेन्स लाया गया। मैं कहूं कि आप कानून को नहीं समझते तो वे नाराज होंगे। मैं कहूं कि उन्होंने ठीक तरह से इसको नहीं पढ़ा तो मैं नहीं मानता कि उन्होंने नहीं पढ़ा है; क्योंकि वे कह रहे हैं कि मैंने पढ़ा है। जो इसमें स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स हैं उसमें गवर्नमेंट ने कहीं यह बयान नहीं दिया है। जो ऑर्डिनेन्स इश्यू किया गया उसको विधान सभा के सामने लाया गया है। उसके अन्दर जो अमेंडमेंट लाये गये हैं, जिनके अन्दर प्रिन्टिंग

(श्री सम्पतराम)

एरर और मिस्टेक हैं। अगर उनको इस समय दूर नहीं किया जा सकता तो मुझे वे बतायें, कानून के पण्डित हैं, कि किस तरह उन्हें दूर किया जा सकता है? अब उन्होंने कहा कि जिन्होंने गलती की है उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। यह ठीक है कि राज्य की मशीनरी को सतर्क होना चाहिए, पूर्ण रूप से योग्य होना चाहिए। फिर भी मिस्टेक या एरर होती हैं तो उन्हें ऑर्डिनेन्स या अमेंडिंग बिल में न लाते तो फिर हमारे सामने चारा कौन सा था? इसका एक्सप्लेनेशन मांगते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या है? इसका एक्सप्लेनेशन यह है।

दूसरी बात, जालोर के सम्बन्ध में जो पोलिटिकल बेसिस पर चीज हुई थी, उसके ऊपर प्रकाश डाला गया है। मैं कहना चाहता हूँ कि उसमें तीन इन्क्वायरी हुई। एक तो निहालचन्द और दूसरा तखतदास इन दोनों केसेज के अन्दर डिस्ट्रिक्ट एण्ड सेशन जज के फैसले के बाद हाईकोर्ट में गये हैं। ऐसी बात नहीं है कि हमने इसमें डिले की हो। इसमें हाइकोर्ट को एप्रोच किया। मैं कहना चाहता हूं कि एक केस में फैसला कर दिया गया है और दूसरे केस को जुडिशियल इन्क्वायरी के लिए भेज दिया गया है। दूसरा केस पहले डाइरेक्टर ऑफ लोकल बॉडीज़ के पास पड़ा था। उसके बाद उसे जुडिशियल इन्क्वायरी के लिए भेज दिया और कोई फैसला उनको दिया गया हो, ऐसी बात नहीं है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के फैसले पर ही उसने रिज़ाइन कर दिया। हो सकता था कि जुडिशिगल इन्क्वायरी में वह खत्म कर देते। सवाल यह है एक।

दूसरे, चेयरमैन का सवाल चलता है। उसके लिए अखबारों में निकल गया कि हाई कोर्ट से नोटिस मिले। विरोधी दल को कहीं थोड़ी चीज मिलती है उसका प्रचार कर देते हैं। निकाल दिया, राजस्थान सरकार के लोकल सेल्फ मिनिस्टर को नोटिस दिया गया। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मुझे कोई नोटिस नहीं दिया गया और न ही एडमिनिस्ट्रेटर को दिया गया। इस प्रकार की बात है कि जो चेयरमैन सस्पेन्ड हो गये उनके खिलाफ चार्जेज थे। वे हाईकोर्ट में गये और हाईकोर्ट ने उनको अपहेल्ड किया। आई. जी. पी. की रिकमन्डेशन थी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की रिकमन्डेशन थी, उनको सस्पेन्ड करना लाजिमी था और हमने लॉ डिपाटमेंट की राय से सस्पेन्ड किया और जिसको सस्पेन्ड किया वह कांग्रेस पार्टी का मेम्बर था, विरोधी दल का नहीं था। विरोधी दल की ओर से यह आक्षेप लगाया जाता है कि राज्य सरकार विरोधी दल की.... .. ..

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : कांग्रेस में विरोधी पार्टी का था।

श्री सम्पतराम : मैं हाउस को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, इन बातों में कभी कोई पार्टी का खयाल नहीं रखा गया है। जितने हमने सस्पेन्शन किये हैं उनकी लिस्ट उठा कर देखें तो उसमें आपको सभी पार्टीज के मेम्बर मिलेंगे। अगर किसी ने दोष किया है, कोई गुनाह किया है तो उसको सस्पेन्ड किया जायेगा, चाहे कांग्रेस मैन हो या कोई और। अब सेशन जज जो फैसले करता है वे हाईकोर्ट में जाकर कॉन्ट्राडिक्ट हो जाते हैं। नीचे से किसी को २० साल की सजा देते हैं

(श्री सम्पतराम)

और ऊपर उसे छोड़ देते हैं। तो मैंने २० मामलों में फैसले दिये उसमें हाईकोर्ट ने ठीक नहीं माना तो कौनसी बात है? आप किसी भी सरकार के बारे में कह सकते हैं, किसी भी आदमी के लिए कह सकते हैं, जो बिल्कुल परफेक्ट हो। कोई आदमी परफेक्ट नहीं है। जो फैसले मैंने दिये हैं उनमें ६६ ठीक रहे हैं एक ठीक नहीं माना गया है....

एक माननीय सदस्य : एक खारिज कर दिया।

श्री सम्पतराम : आप शांति से सुनिये।

दो, तीन बातें मैंने आपको बताईं। जयपुर के चुनाव के सम्बन्ध में जो बातें कहीं गई उनके सम्बन्ध में माननीय उपाध्यक्ष, मुझे कुछ कहना नहीं है क्योंकि उनको जयपुर में भाषण देना है, जयपुर में वे भाषण दें, इधर उधर लोग सुनते हैं, हमारी गैलेरीज़ में जो बैठने वाले हैं वे भी अधिकांशतः जयपुर के ही रहने वाले होते हैं। म्युनिसिपैलिटी के चुनाव हो रहे हैं। जिस मामले की एक से अधिक बार चर्चा हो चुकी है, बहस हो चुकी है, उत्तर दिया जा चुका है उसके बारे में फिर कहा जाता है कि जयपुर म्युनिसिपैलिटी के चुनाव नहीं कराना चाहते, इसमें मुझे कुछ अधिक नहीं कहना है। वे अपने तरीके से सोचें कि मेरी मन्शा ठीक थी या उनका कहना ठीक था।

इसके अलावा अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ ऑब्जेक्शन किये। अजमेर म्युनिसिपैलिटी में एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइन्ट कर दिया। कुछ पॉवर और फंक्शन्स ऐसे, जो कलेक्टर को करने चाहिए, उनके सम्बन्ध में ऑब्जेक्शन किये। उनकी तरफ सरकार का ध्यान जा चुका है। हमारी मन्शा है कि जिलाधीश को डेवलपमेंट वर्क की तरफ ध्यान देना होता है, इसलिए जो रेवेन्यू केसेज़ होते हैं, जुडिशियल केसेज़ होते हैं उनको एडीशनल कमिश्नर किया करते थे। जो जो एडीशनल कमिश्नर फैसला देते थे उनको चैलेंज किया जाता था उस। इर्रेगुलेरिटी और लेकुना को दूर करने के लिए 'Collector' must include Additional Collector also. आपने कहा बहुत अधिकार ऐसे हैं जो कलेक्टर के पास होने चाहिए। और कलेक्टर को एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइन्ट कर दिया है। वह प्रश्न हमारे सामने है।

श्री अर्जनदास (अजमेर–पश्चिम) : आठ महीने निकल गये। कब करेंगे ?

श्री सम्पतराम : वह ठीक है। आप मेरी बात सुन लीजिये।

तो इसके बारे में हमें फैसला करना होगा। इसके बारे में आपने उपाध्यक्ष महोदय, देखा ही होगा कि ऑर्डिनेन्स के मूल तथ्यों पर और जो एमेंडमेंट बिल लाया गया है उस पर कम विचार किया गया है और कम प्रकाश डाला गया है लेकिन सारे एडमिनिस्ट्रेशन को डिस्कस किया गया है।

एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि स्वायत्त शासन मंत्री को ऐसी परिस्थिति में

(श्री सम्पतराम)

इस्तीफा दे देना चाहिये था। मैं स्वयं इस्तीफा दे देता अगर उन्होंने स्थिति को मुझे सही तौर से समझा दिया होता। उनके कहने की कोई जरूरत नहीं थी लेकिन वे मुझे समझा नहीं सके। मैंने उनका भाषण सुना और मैं यह कहूंगा कि वे हमेशा एक ही बात को रिपीट करते आये हैं जो वे बीकानेर की चौपड़ पर कहते रहते हैं। वही बात यहां चौपड़ पर कहते हैं और वही बात गवर्नमेंट होस्टल के पास भी कहते हैं और जहां कहीं भी भाषण करते हैं एक ही बात कहते रहते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप एक सदन के जिम्मेदार व्यक्ति हैं इस नाते जो बातें सदन में कही जाती हैं वे जिम्मेदाराना बातें होनी चाहिये और इसलिये वे सदन में जिम्मेदारी की ही बातें करें। मगर वे जिम्मेदारी की बातें नहीं कहते हैं। जब वे गैर जिम्मेदारी की बात कहते हैं तो हमें तो जिम्मेदारी की बात कहनी ही चाहिये, क्योंकि हमेशा ओपोजिशन वाले कहते आए हैं कि हम ओपोजिट बात करते हैं।

जन संघ के नेता ने कहा कि पोलिटिकल पार्टी की सैंक्शन नहीं है तो क्या जनसंघ या सोशियलिस्ट पार्टी या क्या उधर के दल के बैठने वालों की सैंक्शन हो सकती है? अगर इसमें पोलिटिकल पार्टी की सैंक्शन नहीं होती तो यह सरकार नहीं चलती। आपकी सैंक्शन से तमाम काम नहीं होते हैं। यह तो पोलिटिकल पार्टी के पार्टी लीडर के आदेशानुसार काम करते हैं और जो कुछ किया जाता है वह पार्टी के बल पर ही किया जाता है। अब भी वोटिंग का समय आ रहा है आपको मालूम हो जाएगा कि क्या पोज़ीशन रहती है।

इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति के लिये कहा कि सरकार के हाथ में यह पॉवर क्यों होनी चाहिये? मैं समझता हूं कि यह पॉवर तो गवर्नमेंट के पास अवश्य होनी चाहिये। सरकार के पास ऐसी पॉवर की जरूरत है। अगर कोई एमर्जेन्सी आ जावे या किसी प्रकार का वेक्युम होने की स्थिति हो तो वेक्युम नहीं होना चाहिये। इसलिये हमें यह पॉवर रखना जरूरी है कि हम एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर सकें। कल को हम चुनाव करवा रहे हैं। चुनावों में गड़बड़ी हो और पंजाब की सी हालत हो जाए। पंजाब में एक तरह का आन्दोलन चल रहा है, उसी तरह का आन्दोलन हमारे यहां पर भी चालू हो जावे और जनता की थिंकिंग डिस्टर्ब हो जावे और मेम्बर्स लोग इस्तीफा दे दें तो ऐसी परिस्थिति के लिये सरकार को इस प्रकार के पॉवर तो होने ही चाहिये। नोरमल कन्डीशन्स में तो एडमिनिस्ट्रेटर को रखा नहीं है। अगर यह पॉवर सरकार के हाथ में नहीं हो तो एडमिनिस्ट्रेटर सरकार किस प्रकार से एपोइन्ट कर सकती है? मान लें कि किसी जगह सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया या हाई कोर्ट ने कोई फैसला दे दिया या आम तौर से किसी म्युनिसिपेलिटी का समय खत्म हो गया तो इन सब बातों के लिये यह एडमिनिस्ट्रेटर को एपोइन्ट करने का पॉवर तो सरकार के पास रहना ही चाहिये। मान लें कि अगर किसी जगह की म्युनिसिपैलिटी ठीक तरह से काम नहीं करती है और उसको भंग किया जाना जरूरी है तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है? इसलिये यह प्रोविजन रखा है।

(श्री सम्पतराम)

जहां तक 'नोटिफाइड एरिया' का प्रश्न है, इसको लेकर बहुत कुछ कहा गया है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की सी हालत हो रही है और बूचरखाना बना दिया है। मैं यह कहूंगा कि इसमें कहां ब्रिटिश गवर्नमेंट बीच में आ गई और कहां बूचरखाने की बात आ गई? अब तक मैं यह समझता था कि बूचरखाने में जानवर कटते हैं मगर उन्होंने तो अपने भाषण में आदमियों की बात कह दी। आज आप आदमी की बात कहते हैं कल आप ऊंट की बात कहेंगे। आप कुछ भी कहना चाहें, कह सकते हैं! मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना है। मगर मैं यही कहूंगा कि हिन्दुस्तान में डेमोक्रेसी को लाने में कांग्रेस ने सबसे ज्यादा प्रयत्न किया है। मैं यह कहूंगा कि 'नोटिफाइड एरिया' कोई बला नहीं है। अगर हमने अंग्रेजी भाषा का शब्द काम में लिया है तो इससे कोई गलती नहीं की है। 'नोटिफाइड एरिया' के लिए आप, as for example आबू को देखें। गवर्नमेंट वहां इम्प्लीमेंट करेगी जहां म्युनिसिपैलिटी होती है और आपस में झगड़े होते हैं, यह कहा जाता है। मगर यह ठीक नहीं है। इस 'नोटिफाइड एरिया' की बात को लेकर सारी पिलानी म्युनिसिपैलिटी को डिस्कस किया और उसको डिस्कस करते समय आपने बिड़ला को भी डिस्कस किया। मैं आपकी नीति को नहीं समझ सका। मैं यह कहूंगा कि कभी तो आप केपिटलिस्टों के हिमायती हो जाते हैं और उनके हिमायत की बातें करते हैं और मौका पड़ने पर उनके विपरीत बातें कहने लगते हैं। मैं यह कहूंगा कि इस बारे में हमारी नीति साफ है। अभी इलेक्शन मेनीफेस्टो निकला उसको देख लें। हमने क्या क्या कार्य किये हैं, कितने लॉ रिफॉर्म हुए और उसमें क्या क्या विचारधारा उधर के बैठने वालों की तरफ से हमारे सामने आई और इधर से क्या क्या विचार धारा आई; उन सब का आभास हमको होता है।

आपने रिटर्निंग ऑफिसर के बारे में कहा। मान लें कि उसने छुट्टी ले ली या कोई नो कोन्फीडेन्स किसी के खिलाफ हो रहा है या रिटर्निंग ऑफिसर रास्ते में बीमार हो जाता है तो उसको पोस्टपोन स्वयं करते हैं। अगर ऐसी बात है तो जिम्मेदारी सारी किस की होती है? कितना नुकसान होता है।

एक बात गबन की कही गई। मैं कहूंगा कि उन्होंने मेरे प्रश्न को समझा ही नहीं और आपको जो कुछ कहना था वह कह दिया। मैंने कहा कि स्पोट पर पकड़ा गया। गबन का प्रश्न नहीं। इन्क्वायरी हम करेंगे। जो आदमी मेरे कहने की बात को ठीक तरह से समझ नहीं सके और रेजिग्नेशन की बात करे तो यह कैसे मानी जा सकती है? हां, अगर सोच समझ कर कोई जिम्मेदारी के साथ कोई बात कहते तो मैं सरकार छोड़ भी सकता हूं। मगर मैं यह कहूंगा कि पहले आप अपने आपको इस लायक तो बना लें। जब आप लायक हो जावेंगे तो मैं सरकार छोड़ सकता हूं। लेकिन आप जब तक बालक बने रहेंगे और बालकपन की सी बातें करते रहेंगे तो मैं इस तरह से सरकार छोड़ने वाला नहीं हूं।

श्री भैरोंसिंह : आपने कहा कि अगर कोई बीमार पड़ जावे, मगर मैं यह कहूंगा कि अगर सरकार किसी रिटर्निंग ऑफिसर को

(श्री भैरोंसिंह)

किसी मीटिंग का बहाना करके बुला लेती है तो उसका क्या होगा ?

श्री सम्पतराम : सरकार किसी समय आवश्यकता पड़ने पर घर से भी बुला सकती है। सरकार पर कई बातों की जिम्मेदारी है और उसको निभाना होता है।

श्री भैरोंसिंह : यह बिल्कुल गलत बात है। इसको माननीय सदस्य ने सदन में स्वीकार किया है। एक आदमी को मीटिंग के नाम से बुला दिया जाता है जबकि कोई मीटिंग नहीं होती है।

श्री सम्पतराम : यह सारा का सारा लांच्छन लगाया गया है। इसके पीछे कोई आधार नहीं मानता हूँ।

अभी नसीराबाद से आनेवाले माननीय सदस्य ने कुछ सुझाव दिये। इसके बारे में सरकार खुद चिंतित है। ये सरकार के already विचाराधीन हैं। मैं समझता हूँ कि थोड़े समय में विरोधी जनसंघ के नेता अगले वर्ष विधान सभा में आवेंगे तो देखे लेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : आप तो आवेंगे नहीं।

श्री सम्पतराम : मैं नहीं आऊंगा तो दूसरा भाई इसको पाइलोट करेगा लेकिन आप नहीं आवेंगे तो इतनी लीगल बातें कोई दूसरा नहीं कहेगा। आपने प्रिन्टिंग एरर को लेकर बातें कह दी। आपने ऑर्डिनेन्स को नहीं पढ़ा।

श्री भैरोंसिंह : बिल में आती है।

श्री सम्पतराम : बहुत सी बातें आती हैं। सरकार को पॉवर है ऑर्डिनेन्स लाने का।

एक माननीय सदस्य : कोई ताल्लुक नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : You will conclude please.

श्री सम्पतराम : तो ये बातें मैंने कहीं. Municipality is partly elected, partly nominated, wholly nominated, wholly elected इस प्रकार के जो भी provisions Act में हैं, मैं समझता हूँ कि इस कारण से इसको लाना चाहिये। तो सरकार ने जो अधिकार रखा है उस नुक्ते नजर से रखा जावेगा तो ठीक तरह से म्युनिसिपैलिटी काम करे और अगर कोई गलती करे तो सख्ती से उनके खिलाफ कार्यवाही की जा सकेगी और नोटिफाइड एरिया के लिये मैं सदन के सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आज भी इस प्रकार की बात है। जो कानून पढ़े हुए लोग हैं जानते हैं। आज इस प्रकार की बात है। 'नोटिफाइड एरिया' की बात लेकर कहते हैं. मैं यह कहूँगा कि यू० पी० में नगरपालिका का इतिहास बहुत पुराना है। कानपुर, इलाहाबाद आदि बहुत सी जगह ऐसी हैं उनमें 'नोटिफाइड एरिया' का जिक्र है। बॉम्बे में है। यह कोई नई बात नहीं है। इसमें इस तरह ब्रिटिशर्स का नाम लेकर दूसरों को गुमराह नहीं किया जा सकता है। गेलेरी में बैठे हुए सदस्य....

श्री उपाध्यक्ष : Generally reference to persons in the gallery should be avoided.

श्री सम्पतराम : जयपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने जो इस बिल को डिसएप्रूव करने का प्रस्ताव रखा है उससे में डिसएग्री करता हूँ और सीकर से आनेवाले माननीय सदस्य ने जो इसको सलेक्ट कमेटी में भेजने का प्रस्ताव रखा है उसको भी मैं उचित नहीं मानता ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं सदन की सम्मति से जो समय का निर्णय लिया था उसको २० मिनट के लिये आगे बढ़ाता हूँ ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान नगरपालिका संशोधन अध्यादेश के सम्बन्ध में जो मैंने संकल्प प्रस्तुत किया था और जिस संकल्प को प्रस्तुत करते समय मैंने अनेकों मुद्दे सदन में उठाये थे, उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने उनमें से कुछ एक बातों का, जिनका उत्तर देना उन्होंने सहूलियतपूर्ण समझा उनके अतिरिक्त एक का भी उत्तर उन्होंने नहीं दिया ।

मैंने एक मोटी बात उठाई थी कि संविधान के आर्टिकल २१३ के अन्तर्गत यह अध्यादेश जारी किया गया था । जो उस आर्टिकल में अध्यादेश जारी करने के कारण दिये हुए हैं उनमें से कौनसा कारण है जिसकी वजह से आपको यह अध्यादेश जारी करना पड़ा ? पर इसका कोई कारण नहीं बताया । मैंने जानना चाहा था कि जो 'नोटिफाइड एरिया' बनाने का अध्यादेश में प्रावधान है, ३१ जुलाई, १६६१ को यह अध्यादेश लागू किया गया तो तब से लेकर आज २० सितम्बर, १६६१ तक कितने 'नोटिफाइड एरियाज़' डिक्लेयर किये गये हैं ? अगर अध्यादेश जारी करने की तारीख से लेकर आज तक एक भी 'नोटिफाइड एरिया' नहीं डिक्लेअर किया गया है तो मैं राजस्थान सरकार पर,स्वायत्त शासन मन्त्रीजी पर यह आक्षेप लगाऊंगा कि उन्होंने संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों का दुरुपयोग किया है, जिस संविधान की उन्होंने शपथ ली है उसका उन्होंने निरादर और अपमान किया है, इसके द्वारा दिये गये अधिकारों का दुरुपयोग किया है । और सदन में जबाब देते हैं, विरोधी दल के सदस्य बचकाना बातें करते हैं, बचकाना को बचकाना बातें ही दीखती हैं । मैं कहना नहीं चाहता, जो जैसा होता है वह वैसी ही बातें करता है । इतनी गैर जिम्मेदाराना बातें करना मन्त्री होने के बाद और प्रोमोशन होने के बाद दम्भ की बातें करते हैं और कॉपी करना चाहते हैं मुख्य मन्त्री की । पर मैं समझता हूँ उनमें और इनमें बहुत दूरी है । राजस्थान में अभी वह दिन दूर है जब हम चाहें कि राजस्थान में भी आन्ध्र की तरह शिड्यूल्ड कास्ट का मुख्य मन्त्री बन जाय । अभी तो इतना ही सोचना चाहिये कि टिकट मिल जाय और जीत जायं ।

तो माननीय उपाध्यक्ष, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि विरोधी पक्ष पर इल्जाम लगाते हैं कि चुनावों के लिये भाषण देते हैं और कहते हैं कि आजादी के बाद स्वायत्त संस्थाओं ने विकास किया है, 'नोटिफाइड एरियाज' में विकास हुआ है, विरोधी पक्ष के सदस्य यों ही इल्जाम लगाते हैं । आपकी कांग्रेस पार्टी के सेक्रेटरी ने भी आप पर इल्जाम लगाया है । तो कह दीजिये कि इल्जाम लगाने वाला आपकी कांग्रेस पार्टी का सेक्रेटरी भी

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

आप पर झूठा इल्जाम लगाता है, वह भी बचकानी बातें करता है। संगठन के लिहाज से पार्टी के मन्त्री का मन्त्री से ज्यादा महत्व है। सरकार के मन्त्री से संगठन के मन्त्री का ज्यादा महत्व है, पर संगठन पर भी आपकी सत्ता छाई हुई है। तो आप पर उसका इल्जाम भी बचकाना है और सब बचकाना है। आप जो कहते हैं वही सही है, यह तो वही हुआ :—

"डुमडुमी में डुमडुमी और डुमडुमी में डम। आधी अकल में सारी दुनिया, आधी अकल में हम ॥"

दम्भ समझती है दुनिया। आपको रिज-र्वेशन दिया शिड्यूल्ड कास्ट्स के नाम पर। सदन में लाये, मन्त्री बनाया तो आप दम्भ में आ कर यह बातें कहें। तो माननीय उपा-ध्यक्ष, मन्त्री महोदय ने जो सारी बातें सदन में उठाई और जो मुद्दे सदन में उठाये उनका उत्तर दिया वह उन मुद्दों का उत्तर देने की दृष्टि से नहीं दिया, उन मुद्दों का कोई उत्तर उन्होंने नहीं दिया। एक बात उन्होंने बड़े जोरदार शब्दों में कही कि जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य यहां जो बातें कह रहे हैं वह चुनाव की दृष्टि से कह रहे हैं। मैंने जो पूछा था उसका कोई जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा था संविधान के आर्टिकल २१३ के अन्तर्गत यह अध्यादेश जारी किया तो अध्या-देश जारी करने की तारीख से लेकर आज तक कितने 'नोटिफाइड एरियाज़' डिक्लेयर किये? एक भी डिक्लेयर नहीं करके संवि-धान द्वारा दिये गये अधिकारों का दुरुपयोग किया और सदन की कार्य संचालन की प्रक्रिया और नियमावली के विरूद्ध गेलेरीज़ को अपील किया, सम्बोधित किया। मैंने जो पूछा उसका कोई उत्तर नहीं दिया, सारी तथ्य की बातों को छोड़ दिया और यह कह दिया कि इलेक्शन का, चुनावों का भाषण दिया। ऐसा मालूम पड़ता कि मिनि-स्टर्स के जवाब की एक ही कॉपी है, उसके अनुसार जवाब दे दिया जाता है। तो फिर मैं उनसे कहूँगा कि आपने इतना कष्ट क्यों किया। साइक्लोस्टाइल्ड कॉपी हमको भेज दी होती हम पढ़ लेते। मैंने पूछा कि हाई कोर्ट का फैसला हुआ, उसकी कॉपी आपके पास पहले ही कैसे आ गई? दफ्तर के बाबू को दो रुपये दे कर उस फैसले की कॉपी आपने ली होगी, आप इस तरह कॉपीज लेने का प्रेक्टिस को बढ़ावा दे कर, बाबुओं को कुछ दे कर ऑथेराइज्ड कॉपियां ले कर भ्रष्टाचार को फैलाना चाहते हैं, भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन देते हैं? पर इन गम्भीर मसलों का कोई जवाब नहीं। आपने कहा कि किशनगढ़, आबू रोड और पाली को म्युनिसिपेलिटीज के लिये हमने यह ऑर्डिनेन्स निकाला। पर मैंने पूछा कि जयपुर की नगरपालिका के बारे में तो नहीं निकाला जो इतनी बार इसके इक्लेशन को रोका। इस ऑर्डिनेन्स के तहत कितने 'नोटिफाइड एरिया' डिक्लेयर किये हैं, यह पूछा; पर कोई उत्तर नहीं। कहा ६० नगरपा-लिकाओं के चुनाव कराये हैं, ४५ का पीरियड खत्म नहीं हुआ है। १३७ नगरपालिकाओं में से ६० के इलेक्शन करवा दिये, ४५ का पीरियड खत्म नहीं हुआ। ठीक है १०५ तो ये हो गई पर बाकी की ३२ में कौन बैठे हैं?

श्री सम्पतराम (स्वायत्त शासन मन्त्री): उनमें से बहुत सी के चुनाव हो रहे हैं। आपके सामने आयेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अभी हुए नहीं हैं। ३२ नगरपालिकाओं के कार्यकाल समाप्त हो गये हैं। वहां एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहे हैं और कहते हैं हमने सतर्कता बरती। सतर्कता तो आप इसमें बताते कि इस विधान सभा में १९५९ में कानून पास हुआ, १९५९ से वह कानून लागू हुआ और हमारे यहां के रूल्स इलेक्शन की दृष्टि से बनाये जनवरी में, वे रूल्स छपे फरवरी में और लागू हुए मार्च में। यह आपकी सर्तकता है। एक एक साल तक रूल्स नहीं बनाते और इलेक्शन्स को आगे टलाते रहते हैं। मैं तो यह कहूँगा कि रूल्स इसलिये नहीं बनाये कि न रूल्स बनेंगे और न इलेक्शन्स होंगे। पूछेंगे कोई कि इलेक्शन्स क्यों नहीं कराये तो कह देंगे कि रूल्स नहीं बने हैं। रूल्स नहीं बना कर लॉ को इम्प्लीमेंट होने से रोकने के बारे में, इलेक्शन्स में बाधा डालने के बारे में शिकायत की जाती है। कमेटी ऑन सबोर्डिनेट लेजिस्लेशन ने कई बार सरकार का ध्यान आकर्षित किया है कि ५, ५ साल तक एक कानून के तहत नियम नहीं बनाते और कानून लागू कर दिये जाते हैं। इस प्रकार नियम नहीं बनाने से अवैधानिकता और अनियमितताएं होती हैं और फिर उनको कोर्ट में चेलेंज किया जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय का, राजस्थान सरकार का यह कहना कि चुनाव कराने में सतर्कता और नियमितता रखते हैं, तो मैंने दो प्रश्न पूछे थे। जयपुर की नगरपालिका के सब सदस्यों ने जयपुर में इस्तीफे दे दिये, इसलिये यहां एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करना पड़ा। १९५८ में जयपुर नगरपालिका के सब सदस्यों ने हाई कोर्ट आन्दोलन के समर्थन में इस्तीफे दिये थे, एक जन आन्दोलन के समर्थन में। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि कौनसी ऐसी चीज थी कि आप ६ महिनों में या साल भर में भी चुनाव नहीं करा सके, यहां तक कि दो साल निकल गये, तीन साल निकल गये, यहां के एडमिनिस्ट्रेटर के अपोइन्टमेंट को रेगुलेराइज़ कराया गया, उस पर विधान सभा की मोहर लगवाई गई, एक व्यक्ति के लिये विधान सभा में कानून लाया गया पर जयपुर नगरपालिका के इलेक्शन्स नहीं कराये गये क्योंकि सरकार जब जानती थी कि जयपुर नगर में लोग कांग्रेस को नफरत की नज़र से, हिकारत की नज़र से देखते हैं। यह आप जानते थे कि जयपुर में कांग्रेस हारेगी इसलिये आपने जयपुर नगरपालिका के चुनावों को तीन साल तक रोका और इस तरह से जयपुर के नागरिकों के संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को, हकों को मारा। और माननीय उपाध्यक्ष, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि ५३ से सन् १९६१ तक जयपुर की इलेक्टेड म्युनिसिपैलिटी ने केवल तीन साल तक काम किया। जयपुर जो राजस्थान की राजधानी है, उसकी नगरपालिका के चुनावों का यह हाल है।

इन्हीं शब्दों के साथ कि मन्त्री महोदय ने मेरे मुद्दों के बारे में कोई उत्तर नहीं दिया, उन्होंने अपने उत्तर में चुनावों के बारे में मैंने आरोप लगाये उनके बारे में कहा कि सरकार का, कांग्रेस का मेनिफेस्टो साफ है, पर मैं कहता हूँ नियत साफ नहीं है। मेनिफेस्टो हमारा भी साफ है। हमने एक भी केपिटेलिस्ट को टिकट नहीं दिया है जहां आपके टिकट पर सोमानी, मानानी, धमानी खड़े होते हैं। आप

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

हमारा मेनिफेस्टो पढ लें, उसको पढ़ने के बाद पता चलेगा। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि मन्त्री महोदय ने जो उत्तर दिया है, जहां तक मेरे द्वारा रखे गये संकल्प का सवाल है, उनका उत्तर सारा घिसा घिसाया, पिटा पिटाया पुराना उत्तर है किसी भी मुद्दे का जवाब उन्होंने नहीं दिया। संविधान को वे नहीं समझते हों, यह हो सकता है। जो भी मैंने मुद्दे, बातें उठायीं उनका उन्होंने संतोषजनक उत्तर नहीं दिया इसलिए मैं असंतोष प्रकट करता हुआ उधर बैठे हुए माननीय सदस्यों से और खास तौर पर डॉ० बहादुरसिंहजी (धौलपुर) से यह निवेदन करूंगा कि यह एक गंभीर और महत्वपूर्ण संकल्प है। न तो कोई बड़ा व्हिप और न कोई छोटा व्हिप उन पर लगा है, उसकी परवाह न करके जो उधर कांग्रेस के सदस्य बैठे हुए हैं उनसे अपील करूंगा कि इस महत्वपूर्ण संकल्प के पक्ष में अपना मत डालेंगे और राजस्थान की डेढ करोड़ जनता के गले पर जो छुरी फेरी जा रही है और जिस प्रकार जनतन्त्र का गला घोटा जा रहा है, इन्सानियत के नाते, उसको बचायेंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपना संकल्प प्रस्तुत करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संकल्प श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने प्रस्तुत किया है, 'राजस्थान म्युनिसिपैलिटीज़ (संशोधन) अध्यादेश, १९६१ को निरनुमोदित किया जाय', उसको स्वीकार किया जाय।

(मत–दान के पश्चात्)

'ना' पक्ष जीता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल(जौहरी बाजार, जयपुर) : 'हां' पक्ष जीता।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : 'Noes' have it, Sir.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 'Ayes' have it, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : Then Division.

(मत विभाजन घंटी के पश्चात् पुनः)

प्रश्न यह है कि जो संकल्प श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने 'राजस्थान म्युनिसिपैलिटीज़ (संशोधन) अध्यादेश, ६१ को निरनुमोदित करने के पक्ष में प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय।

'ना' पक्ष जीता। संकल्प गिर गया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 'Ayes' have it, Sir.

श्री दामोदरलाल व्यास(राजस्व मंत्री): 'No'es' have it, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : Do you sincerely want a division ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Yes.

श्री उपाध्यक्ष : Just to save time, I will request the Hon'ble Members from 'Noes' side first to rise in their seats.

Page No.104

(श्री उपाध्यक्ष)

Please resume your seats.

(विराम)

Now 'Ayes' to rise in their seats.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उनकी ('ना' की) स्ट्रेन्थ मोटी है।

श्री उपाध्यक्ष : Then the sense of the House is determined.

'Noes' have it, 'Noes' have it. The motion is lost.

प्रश्न यह है कि विधेयक को विचारार्थ....

श्री अर्जनदास (अजमेर–पश्चिम) : On a Point of Order, Sir, what about the reply to those Hon'ble Members, who have made a motion that this Bill be sent to the Select Committee. They have not yet made a reply.

श्री उपाध्यक्ष : You have heard it,...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजर, जयपुर) : What about the motions raised by Shri Jagdish Prasad Mathur and Shri Daya Krishan Vijay for the reference of this Bill to the Select Committee ? They should be put before the House.

श्री उपाध्यक्ष : This is coming up.

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव श्री दयाकृष्ण विजय ने विधेयक को प्रवर समिति को सुपुर्द करने के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय ?

(मत–दान के पश्चात्)

'ना' पक्ष जीता।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : 'हां' पक्ष जीता।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : 'Noes' have it, Sir.

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : आवाज तो बहुत जोर की हमारी थी।

श्री उपाध्यक्ष : The Chair is here just to assess the volume of the voice and we have determined it just a minute before.

श्री भैरोंसिंह : 'Ayes' have it, Sir. That was a separate motion.

कई माननीय सदस्य : 'Noes' have it, Sir.

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी (चांदीकुई) : He opposes the process of the House.

श्री उपाध्यक्ष : 'Ayes' will please rise in their seats.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : घंटी नहीं बजाई गई। I will draw your attention to rule 286......

Page No.105

श्री उपाध्यक्ष : I will submit to the sense of the Hon'ble Members on the Oppositon side that it will not add to the number of Hon'ble Members. It is only evading the issue.

(मत विभाजन घंटी)

'हां' पक्ष कृपया अपने आसन से....

श्री भैरोंसिंह : आप पूछिये पहले साहब, जिससे संतोष हो जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संकल्प गिर गया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : There was one more motion with regard tot his from Shri Jagdish Prasd Mathur, which has not been put to vote.

श्री बिश्वम्भरनाथ जोशी (चांदी कुई) : It will meet with similar fate.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : That does not matter.

श्री उपाध्यक्ष : By implication, it may be treated as lost. That is the general practice of the House, as well as under the rules also.

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : 'Noes' have it Sir.

श्री बिश्वम्भरनाथ जोशी और श्री पी० के० चौधरी : 'Ayes' have it, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : I now allow the division.

(विराम)

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, 'Ayes' have it 'Noes' have it...

श्री बिश्वम्भरनाथ जोशी : The leader of the Opposition has said that...

श्री भैरोंसिंह : This is a slip of tongue.

श्री उपाध्यक्ष : I allow that slip of tongue. The slip of tongue has been allowed. 'Ayes' have it.

श्री भैरोंसिंह : This is against the rules.

श्री उपाध्यक्ष : There is nothing wrong. It is just to determine the sense of the House.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : I draw your attention to rule 286, which lays down that if the opinion so declared is again challenged, he shall direct, as your honour holds, he may ask the members who are for 'Aye' and those for 'Noes' respectively to rise in their places.

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order please !! The sense of the rule as

(श्री उपाध्यक्ष)

contained therein is just to determine the sense of the House.

(व्यवधान)

You please give me a hearing. The Chair is on its legs. All the Hon'ble Members are requested to maintain the decorum of the House. I would acknowledge the sense of the Hon'ble Members, but the rule says that the sense of the House is to be determined. I am convinced about the sense of the House and, therefore, the expression 'determined' is to be interpreted just to assess the position of the House. Though the sense of the House has been determined yet to respect the sense of the Hon'ble Members, I would request the Hon'ble members for 'Ayes' to please rise in their seats.

(कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए)

You will please resume. 'Noes', please rise in their seats.

(कोई माननीय सदस्य खड़ा नहीं हुआ)

No, I cannot. I will request the Hon'ble Members to please rise in their seats, so that I may be in a position to determine the sense of the House.

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : They do not have the courage to rise.

श्री उपाध्यक्ष : No? Then the sense is determined. 'Ayes' have it, 'Ayes' have it. The bill is taken into consideration.

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : यह मोशन नहीं आ सकता, क्लॉज़ बाई क्लॉज़ डिस्कशन होगा।

श्री उपाध्यक्ष : The third reading of the Bill is to be completed at 5 and this position has been determined by the House. If we have it clause-by-clause, that means the sense of the House, as determined, is not to be carried out. When the House has decided an issue it is for the House to respect it. This is the position before me. I would, therefore, request the Hon'ble Members to please co-operate with the chair, which has determined the sense of the House.

श्री भैरोंसिंह : एक मिनट के लिये सदन द्वारा राजस्व मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वे मुख्य मंत्री महोदय तक हमारी भावना पहुँचा दें इस बात के लिये कि जो बिल पारित करने जा रहे हैं इस बिल के गम्भीर परिणाम होने वाले हैं यदि यह कल तक पास हो जाय और आज इस पर विचार स्थगित कर दिये जायं तो कोई विशेष आपत्ति होने वाली नहीं है। अगर आप अपने बहुमत के आधार पर ही इसको पारित कराना चाहते हैं तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अल्पमत को बहुमत का शिकार होने से बचाया जाय; ताकि हम अपने अधिकारों का उपयोग कर सकें।

श्री उपाध्यक्ष : I am helpless in this respect. I can only regulate the business to see that the rights are not curtailed.

श्री भैरोंसिंह : You are the custodian of minorities.

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : He is custodian of the House.

श्री उपाध्यक्ष : You have conveyed your sense. Please carry out the decision.

श्री सम्पतराम (स्वायत्त शासन मंत्री) : मैंने पोज़ीशन काफी क्लेरिफाइ कर दी है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : हम क्लॉज़ बाई क्लॉज़ इस पर बोलेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : Time can only be extended through a resolution only. Extension of one hour is within the discretion of the Chair, with the sense of the House, which I hane exercised.

श्री अर्जनदास (अजमेर पश्चिम) : I think we are not understood properly. The question of extersion of time arises only when we sit after the fixed period. But when we request that this matter be taken up tomorrow then no question of rules comes up.

श्री उपाध्यक्ष : Rule 281 : "Provided that the Speaker may allow a member any right of reply under these rules."

If the House wants time to be extended, then it can only be through a motion.

श्री अर्जनदास : On that, we say that this be taken up to-morrow and not in that way.

श्री बिश्वम्भरनाथ जोशी (चांदी कुई): It will necessarily mean that...

श्री उपाध्यक्ष : There is no resolution before me for extending the period.

श्री अर्जनदास : I am suggesting that there is no necessity of resolution at all. The implication of that particular rule is that if the House wants to sit after the fixed period of 5 P. M. then a Resolution of the House is needed. But we only say that this be taken up toouanres morrone.

श्री उपाध्यक्ष : You will go through the provision itself-'No variation of time except with the consent of the Speaker and accepted by the House'. It is laid down in so specific and clear words.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Then we should presume that our appeal to your good sense does not produce good results.

श्री उपाध्यक्ष : Your presumption is otherwise.

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व

(श्री दामोदरलाल व्यास)

मंत्री) : I think, the Minister-in-charge has explained the position clearly. I do not think, there is any reason for keeping it for the next day.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : When you are officiating Chief Minister, you can...

श्री दामोदरलाल व्यास : The Chief Minister knows the position fully well.

श्री उपाध्यक्ष : So we proceed with the Bill.

श्री भैरोंसिंह : क्लॉज़ बाई क्लॉज़ बोलेंगे ।

श्री दामोदरलाल व्यास : No, no.

श्री उपाध्यक्ष : I cannot take it clause-by-clause. I would request you to please realise the position of the Chair.

श्री किशनाराम (रतनगढ़) : सारी दुनिया भर का प्रोसीजर है । क्या क्लॉज़ पर भी नहीं बोलने देंगे ?

श्री भैरोंसिंह : मैं चेयर से भी निवेदन करूंगा कि वह हमारी दिक्कत को भी महसूस करे ।

श्री उपाध्यक्ष : How can I convey this wish to the whole House ? जहां तक टाइम का प्रश्न है, मैं तो विवश हूँ । उसे बढ़ा नहीं सकता जब तक कि कोई उसके लिये रिज़ोल्यूशन न आवे । अतः इसे पारित करने के प्रश्न को ले सकता हूँ ।

श्री भैरोंसिंह : क्लॉज़ बाई क्लॉज़ लें तो अच्छा हो !

श्री उपाध्यक्ष : But you suggest me some way out of it.

इसलिये मैं इस प्रश्न को लेना मुनासिब समझता हूँ ।

श्री भैरोंसिंह : आप क्लॉज़ बाई क्लॉज़ बोलें, साहब !

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : इस बिल पर ४॥ बजे तक बहस हुई । इसलिये मेरी यह प्रार्थना है कि इसको अगर पारित भी करना है तो क्लॉज़ बाई क्लॉज़ डिसक्शन करने का मौका देना चाहिये । यह बिल काफी महत्वपूर्ण है । इस पर सलेक्ट कमेटी में भेजने का प्रस्ताव आया, डिसएप्रूव करने का संकल्प आया । खुद कांग्रेस के सेक्रेटरी ने भी बहुत से पॉइन्ट्स के सम्बन्ध में इस पर कहा । तो ऐसी हालत में क्लॉज़ बाई क्लॉज़ लें नहीं और ऐसे ही पास कर दें तो यह उचित नहीं होगा ।

श्री उपाध्यक्ष : Please resume your seat.

श्री मुरलीधर व्यास : मैं तो अन्य सदस्यों से भी यह कहूँगा कि अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका जबान वाक आउट करके भी दें ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं सदन से निवेदन करूंगा कि जहां तक मेरे अधिकार का सवाल है, मैं इसे पांच-दस मिनट के लिये बढ़ा सकता हूँ हाउस का सैन्स लेकर। किन्तु मेरी क्षमता से परे है जब तक कि इसके लिये कोई निश्चित प्रस्ताव न आ जावे।

श्री भैरोंसिंह : रूल में प्रोवीज़न है कि रूल को आप रिलेक्स भी कर सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : जो ओपीनियन हाउस ने दे दी वह किसी रूल के अन्तर्गत थोड़े ही है।

श्री भैरोंसिंह : आपके अधिकार माने हुए हैं, वे सीमित नहीं हैं। आप रूल्स को रिलेक्स कर सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें निश्चित मत हाउस का है। मैं उस निश्चित मत को किसी रूल के अन्तर्गत रिलेक्स नहीं कर सकता। इसलिये माननीय सदस्य इसे पारित करने का प्रस्ताव रखें।

श्री मुरलीधर व्यास : अगर चेयर का विचार यही बनता है....

श्री उपाध्यक्ष : चेयर का विचार नहीं बनता है, चेयर तो तटस्थ है, निष्पक्ष है। उसके न इधर के विचार बनते हैं न उधर के।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : On a Point of Order Sir. I draw your attention to rule 83 of the Rules of Procedure, which lays down that :

"Voting on group of clauses and schedules.-The Speaker may, if he thinks fit, put as one question clauses and/or schedules, or clauses and/or schedules as amended, as the case may be, together to the vote of the House.

"Provided that:

Now there is a proviso

"Provided that if a member requests that any clause or schedule, or any clause or schedule as amended, as the case may be, be put separately, the Speaker shall put that clause or schedule or clause or schedule as amended as the case may be, separately."

The word 'shall' has been used, which means that if any member requests the Chair, then that particular clause shall be put separately. That is the rule which I have put before you. The rest lies with you.

श्री उपाध्यक्ष : Would you kindly go through rule 85- "When a motion that a Bill be taken into consideration has been carried and no amendment of the Bill is made, the member-in charge may at once move that the Bill be passed." That is a solution.

श्री भैरोंसिंह : On a Point of Order Sir.

श्री सम्पतराम (स्वायत्त शासन मंत्री) : मैं प्रस्ताव करता हूँ....

श्री उपाध्यक्ष : Let me hear that Point of Order.

श्री भैरोंसिंह : ओन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, इस सदन का निर्णय है कि अगर कोई सदस्य क्लॉज के डिलीशन के बारे में बोलना चाहता हो या सारे को डिलीट कराना चाहता हो तो अलग से अमेन्डमेंट देने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिये क्लॉज को पढ़ पढ़ कर सुनाया जावे और जिस क्लॉज को पढ़ कर सुनाया जावे, तो फिर उस पर वह अपना विचार प्रकट करे। इसके लिये किसी प्रकार के अमेन्डमेंट की आवश्यकता नहीं है।

क्लॉज के डिलीशन के बारे में कोई सदस्य बोलना चाहता हो और सदन का पूर्व का इस प्रकार का निर्णय हो तो इसके लिये मैं कहूँगा कि अमेन्डमेंट की बात को लेकर जो विचार प्रकट किये जा रहे हैं थर्ड रीडिंग के वक्त, तो यह पूर्व निर्णय है कि कोई डिलीट कराने के बारे में कहना चाहता है तो उसे बोलने का समय मिलेगा।

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। ऑर्डर!! चूंकि सदन की सम्मति से इस पर पहले समय निर्धारित कर दिया गया है और सदन का यह निश्चित निर्णय है कि समय की पाबन्दी से बाहर जाकर उसके क्लॉज के सम्बन्ध में विचार नहीं किया जावेगा। समय निर्धारित करते वक्त सदन की मंशा यही थी। ऐसी स्थिति में जो पोइन्ट ऑफ ऑर्डर माननीय सदस्य ने उपस्थित किया कि माननीय सदस्य को अधिकार है क्लॉजेज के विरोध या समर्थन में बोलने का, वह प्रश्न इस आधार पर उपस्थित नहीं होता। अतः मैं माननीय सदस्य के पोन्इट ऑफ ऑर्डर को रूल आउट करता हूँ और मेम्बर–इन्चार्ज से निवेदन करूंगा कि वे बिल को पारित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

श्री भैरोंसिंह : On a Point of Order, Sir.

श्री विश्म्भरनाथ जोशी : Ruling of the Chair is final.

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। उस रिपोर्ट में कहीं इस बात का उल्लेख नहीं है कि क्लॉजेज पर डिस्कशन नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष : I will treat it as canvassing the observations of the Chair which have been given.

श्री भैरोंसिंह : No, Sir. आपके ऑब्जर्वेशन को मानकर....

श्री उपाध्यक्ष : जो व्यवस्था दी गई है उसमें आपकी आपत्तियां जो उठाई गई हैं उन सब आपत्तियों का निराकरण व्यवस्था में है और मैं यह समझ कर चलता हूँ कि इस व्यवस्था के बाद भी माननीय सदस्य अन्त तक इसका विरोध करेंगे। ऐसी स्थिति में मैं मेम्बर–इन्चार्ज से निवेदन करूंगा कि वे अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

श्री भैरोंसिंह : We strongly protest the remarks of the Hon'ble Deputy Speaker.

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : I can infer this from the circumstances.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : The Chair should not use insinuations against the Opposition. There can be no......There are insinuations.

श्री भैरोंसिंह : I protest.

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order. !!

श्री भैरोंसिंह : You should withdraw these words.

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अपने भाषण में जो वर्ड कह गये थे....

(अत्यन्त शोरगुल–अश्रव्य)

श्री भैरोंसिंह : Withdraw please.

(शोरगुल जारी)

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

(निरन्तर शोरगुल–अश्रव्य)

The Hon'ble Member will resume. This has been more than once indicated in the speech of the Hon'ble member and the nature of obstructions that the Hon'ble Member has been placing before the Chair from time to time also reveals it. These are the circumstances, from which the Chair has very rightly inferred the intention. The Hon'ble Member can refute it. When the question is put to vote, I presume, the Hon'ble Member will refute it by their absence. Yes.

श्री भैरोंसिंह : मैं, उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूँगा....

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : उपाध्यक्ष महोदय मेरा एक सजेशन है कि चूंकि इस तरह से क्लॉज़ बाई क्लॉज़ पर ऑपोज़ीशन डिस्कस करना चाहता है और किसी सिचुएशन की वजह से सदन आज ५ बजे से आगे नहीं बैठ सकता तो कोई हर्ज नहीं है, कल ५ बजे से सारी रात इसको ले लिया जाये। I think the Treasury Benches will be prepared.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : This is something healthy.

श्री उपाध्यक्ष : Hon'ble Member-in-Charge must give indication of the sense.

श्री सम्पतराम : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री भैरोंसिंह : Point of Order, Sir,...

श्री सम्पतराम : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान म्युनिसिपैलिटीज़....

श्री भैरोंसिंह : Point of Order, Sir,...

श्री उपाध्यक्ष : Please state your Point of Order as briefly as you can.

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, थर्ड

(श्री भैरोंसिंह)

रीडिंग के सम्बन्ध में जो सदन में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है माननीय मन्त्री महोदय की तरफ से, उसके अन्दर रूल्स के अनुसार हम क्लॉज़ को डिलीट कराने के बारे में सदन के सामने अपने विचार प्रस्तुत करना चाहते हैं। मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि बिज़नेस एडवाइज़री कमेटी की राय के अनुसार ५--२० तक चालू करना है तो वह स्टेज अभी नहीं आयी है और तृतीय वाचन से पहले हमें अपने अपने विचार अलग अलग क्लॉज़ पर व्यक्त करने का अवसर दिया जाये।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : How can it be now when the motion has been moved ?

श्री भैरोंसिंह : There has been no motion.

श्री पी. के. चौधरी : It has been moved.

श्री भैरोंसिंह : No.

श्री उपाध्यक्ष : I now cannot consider the extension of time. I would request the Minister-in-charge to move.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Point of Order Sir.

श्री उपाध्यक्ष : No more points of Order.

श्री सम्पतराम : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान म्युनिसिपैलिटीज़ (संशोधन) विधेयक, १९६१ को पारित किया जाये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : I have raised Point of Order and that is with regard to interpretation of rule 83.

श्री उपाध्यक्ष : Now I will not entertain any Points of Order because of the conditions and the irregular process with which they are being moved.

प्रश्न यह है कि राजस्थान म्युनिसिपैलिटीज़ (संशोधन) विधेयक, १९६१ को पारित किया जाये ? जो इसके पक्ष में हों वह हां, बोलें

(शोरगुल-विपक्ष की ओर से अत्यधिक शोरगुल)

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, XXXX

श्री बिशम्भरनाथ जोशी (बांदीकुई) : I take strong objection to the remarks he has passed on the Chair.

(विरोधी दल की ओर से 'हम तृतीय वाचन पर बोलने का अवसर दिया जाये' एवं शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : स्थान तो ग्रहण कीजिए। बोलना चाहते हैं तो उसका भी अवकाश है।

(शोरगुल)

XXXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

स्थान ग्रहण कीजिए। Do not be agitated to that extent. You have been speaking and speaking all the time.

मेरी विवशता है। मैंने सदन के सामने अपनी विवशता को प्रकट किया है। आपने समय निर्धारित किया है और उस पर सदन ने अपनी सम्मति दी। मेरे पास दूसरा तरीका नहीं है कि मैं समय को और आगे बढ़ा सकूं और मुख्यतः जब कि सदन की ओर से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य मेरी विवशता को देखें। सदन की परम्पराओं का पालन नहीं किया जा रहा है। सदन की परम्पराओं के बारे में मैंने कई बार माननीय सदस्यों से निवेदन किया है। सदन की परम्परायें बड़ी पवित्र हैं और प्रतिष्ठित हैं और सिर्फ साधारण प्रश्न पर सदन की परम्पराओं पर आघात नहीं पहुंचायें। मेरी मान्यता है कि माननीय सदस्य इस पर और विचार करें और जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है मैं, अपनी विवशता आपके सामने प्रकट कर चुका हूं। यदि माननीय सदस्य, जो इन्चार्ज हैं समय की वृद्धि का प्रस्ताव रखें तो मेरे पास आधार बनता है।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इस पर बोलने तो दिया जाये। इसमें गवर्नमेन्ट के सामने ऐसी क्या विवशता है।

श्री उपाध्यक्ष : (मन्त्री से) Are you prepared to extend the time by 20 minutes ?

श्री हरिदेव जोशी (घाटोल) : Motion has been moved, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : I face the ordeal. I will put it to vote.

श्री भैरोंसिंह : It should not be put to vote XXXX

श्री उपाध्यक्ष : Yes, Hon'ble Member-in-charge.

श्री सम्पतराम (स्वायत्त शासन मंत्री) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान म्युनिसिपैलीटीज़ (संशोधन) विधेयक, १६६१ को पारित किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि....

(शोरगुल)

(श्री उपाध्यक्ष उच्च स्वर से) राजस्थान म्युनिसिपैलिटीज़ (संशोधन) विधेयक, १६६१ को पारित किया जाये ? जो इसके पक्ष में हों वह 'हां' कहें और जो इसके विपक्ष में हों वह 'ना' कहें।

(शोरगुल)

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : उपाध्यक्ष महोदय में हमारा अविश्वास है। उपाध्यक्ष महोदयXXXX

(शोरगुल)

XXXX अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

Page No.114

श्री उपाध्यक्ष : (उच्च स्वर से) 'हां' पक्ष जीता, 'हां' पक्ष जीता। विधेयक पारित किया गया।

श्री भैरोंसिह व अन्य कई माननीय सदस्य : यह हमारे साथ अन्याय किया है।

श्री उपाध्यक्ष : We now adjourn to meet to-morrow at 11 A. M.

(तदनन्तर ४.५५ म. प. पर सदन की कार्यवाही दिनांक २१ सितम्बर, १६६१ के म. पू. ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

संक्षिप्त विवरण

(बुधवार, २० सितम्बर, १९६१)

	स्कम्भ		स्कम्भ
तारांकित प्रश्नों के शीर्षक	१९९९	रायपुर-दीपावास बांध योजना।	
गबन-ग्राम पंचायत फेकाना।		पांचला बहुधंधी सोसाइटी के सदस्य।	
चिकित्सालयों व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का बजट।		बस्ती पुनर्निर्माण योजना-जयपुर।	
टोंक के तालाब।		पपलाज बंध।	
स्प्रिट के पीपों की चुंगी।		अरबन इम्प्रूवमेन्ट कौंसिल, जोधपुर।	
टोंक में भूमि सुधार।		अडम्स मेमोरियल डिस्पेन्सरी, माउन्ट आबू।	
फार्मेसी व्यापारिक आधार पर।		डिस्ट्रिक्ट पेन्शनर्स यूनियन, भरतपुर के प्रस्ताव।	
अस्पताल, कोटपुतली।		कोटपुतली नगरपालिका की नल व बिजली की मांग।	
पंचायत समितियों व जिला परिषदों द्वारा कर।		चौमूं केन्द्रीय क्रय-विक्रय सहकारी संघ की प्राईमरी सहकारी समिति।	
राजस्थान खादी बोर्ड।		तहसील दौसा में प्रसूति गृह।	
कार्यालयों का स्थानान्तरण।		ट्रेक्टर व पम्पिंग सेट लोन भीलवाड़ा में।	
वेक्सीन डॉजेज़।		जल निकास योजना-बीकानेर शहर।	
ब्यावर नगरपरिषद् द्वारा आयोजित प्रदर्शनी।			
पंचायत समिति का वार्षिक व्यय।			
जयपुर शहर में दाइयां।			

राजस्थान नहर की लिफ्ट स्कीम ।

बाडमेर में पीने के पानी की समस्या का हल ।

२—याचिका का उपस्थापन

श्री आबिदअली, सदस्य, विधान सभा ने राजस्थान टिनेन्सी अधिनियम, १९५५ से सम्बन्धित याचिका का उपस्थापन किया ।

३—विधायी कार्य

विचारार्थ लिया गया विधेयक-राजस्थान म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९६१ १७३१

(i) श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा ने निम्नांकित संकल्प प्रस्तुत किया:—

"यह सदन राजस्थान म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) अध्यादेश, १९६१ (अध्यादेश संख्या ४ सन् १९६१) को निरनुमोदित (disapprove) करता है ।"

(ii) श्री सम्पतराम, स्वायत्त शासन मन्त्री ने उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिए जाने का प्रस्ताव रखा तथा;

(iii) श्री जगदीशप्रसाद माथुर, सदस्य, विधान सभा ने इस आशय का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि विधेयक को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय ।

इन प्रस्तावों पर एक साथ बहस की गई जिसमें निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया:—

(१) श्री दयाकृष्ण विजय ।

(२) श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा ।

(३) श्री अर्जुनदास ।

(४) श्री मुरलीधर व्यास ।

(५) श्री भैरोंसिंह (१४) ।

स्वायत्त शासन मन्त्री के उत्तर के पश्चात् श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत संकल्प एवं श्री जगदीशप्रसाद माथुर द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किए गए तथा विधेयक को विचारार्थ लिए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक सदन द्वारा पारित भी किया गया ।

सदन की बैठक ४ बज कर ५५

मिनट पर दिनांक २१ सितम्बर, १६६१ को प्रात: ११ बजे तक के लिए स्थगित की गई।

गुरुवार, दिनांक २१ सितम्बर, १६६१ की कार्य–सूची

(१) राजस्थान आबकारी कर (संशोधन) विधेयक, १६६१ (खण्डशः विचार विमर्श एवं पारित) ।

(२) राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १६६१ (विचार विमर्श स्थगित) ।

(३) राजस्थान बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, १६६१ (विचार विमर्श) ।

——————

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २१४ का उत्तर देखिये)

सूची

१.	दैनिक बाल रोगियों की संख्या ५० रोगियों से कम	१,००० रु०
२.	दैनिक बाल रोगियों की संख्या ५० रोगियों से ६६ तक	२,००० रु०
३.	दैनिक बाल रोगियों की संख्या १०० रोगियों से १४६ तक	३,००० रु०
४.	दैनिक बाल रोगियों की संख्या १५० रोगियों से ३६६ तक	४,५०० रु०
५.	दैनिक बाल रोगियों की संख्या ४०० से अधिक रोगियों के लिए	६,००० रु०

LIST OF PRIMARY HEALTH CENTRES AND DISPENSARIES OF JALORE DISTT. ALONG WITH BUDGET GRANTED TO THEM

	Name of P. H. C.	Block	Sanctioned budget.
1.	Chitalwana	Sanchore.	Rs. 3,500.00
2.	Bhinmal.	Bhinmal.	Rs. 3,500.00
3.	Ahore.	Ahore.	Rs. 3,500.00
4.	Biana.	Non Block	Rs. 3,500.00
	Name of Dispensary & Hospital.		
1.	Government Hospital Jalore.		Rs. 15,000.00
2.	Government Hospital, Bhinmal.		Rs. 5,000.00
3.	Government Hospital,Sanchore.		Rs. 2,500.00
4.	Government Dispensary, Gudha Balotra.		Rs. 2,500.00
5.	Government Dispy. Cum Maternity Home, Bagra.		Rs. 2,500.00
6.	Bhanswer Aid Post. Dispy.		Rs. 1,000.00
7.	Bhewatra Aid Post. Dispy.		Rs. 1,000.00
8.	Government Dispy, Harji.		Rs. 2,500.00
9.	Government Hospital, Malwara.		Rs. 2,500.00

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २२२ का उत्तर देखिये)

क्रमांक	संस्था का नाम व पता	प्रमाण पत्र नम्बर
१	२	३
१.	राजस्थान खादी संघ, खादी बाग–जयपुर ।	१५०
२.	राजस्थान खादी विकास मण्डल, गोविन्दगढ़ ।	१५१
३.	केन्द्रीय सर्वोदय सहकारी संघ, लि० जयपुर ।	१५४
४.	हिण्डौन खादी उत्पादक सहकारी समिति लि०, हिण्डौन ।	१६१
५.	ग्राम सेवा मण्डल, करोली ।	१६२
६.	उद्योग मन्दिर, जयपुर ।	१५५
७.	राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर ।	२५१
८.	खादी मन्दिर, बीकानेर ।	१५७
९.	खादी ग्रामोद्योग प्रतिष्ठान, बीकानेर ।	१५८
१०.	खारी तट सर्वोदय संघ, शाहपुरा ।	१५६
११.	मारवाड़ खादी संघ, जोधपुर ।	१६३
१२.	ग्रामोद्योग समिति, बांसवाड़ा ।	१६०
१३.	बांसवाड़ा जिला सेवा संघ, परतापुर ।	१५९
१४.	नव निर्माण संघ, उदयपुर ।	२६२
१५.	सेवा सदन, भीलवाड़ा ।	२७६
१६.	हाडोती खादी ग्रामोद्योग संघ, बारां ।	२७९
१७.	राजस्थान सेवा संघ, डूंगरपुर ।	३५३
१८.	ग्राम सेवा मण्डल, किशोरपुरा ।	१३२
१९.	अजमेर राज्य खादी ग्रामोद्योग सह० स० लि०, अजमेर ।	१६५

२०. अजमेर–मेरवाड़ा ग्राम सेवा मण्डल, अजमेर । ३५४

२१. किसान मजदूर सहकारी समिति लि०, भीलवाड़ा । ३६६

२२. सर्वोदय केन्द्र, खीमेल । ४०५

२३. खादी ग्रामोद्योग केन्द्र, धाकड़ खेड़ी । ४५०

२४. ग्राम विकास सेवा मण्डल, ब्राह्मणों की सरेसी । ४६०

२५. अंतरी उपर माल विद्यापीठ, बिजोलिया । ४६८

२६. विश्वकर्मा उत्पादक सहकारी समिति लि०, जांठावाली । ४५३

२७. खेराड़ ग्रामोदय संघ, सांवर । ४४६

२८. शाहपुरा खादी उत्पादक सहकारी समिति लि०, शाहपुरा । १५२

२९. मरून्धर विकास मण्डल, खींचन । ५२६

३०. खादी ग्रामोद्योग समिति, मुकुन्दगढ़ । ५२४

३१. ग्राम निर्माण संघ, हस्तेड़ा । ५४१

३२ राजस्थान खादी ग्रामोद्योग संस्था संघ, जयपुर । ६०६

३३. समग्र ग्राम सेवा समिति, सनवाड़ । ६०१

३४. सवाई माधोपुर खादी उत्पा० सह० स० लि०, सवाई माधोपुर । ६००

३५. ग्रामोदय समिति, खण्डार । ५६४

३६. ग्रामोत्थान संघ, गुलाबपुरा । ६२३

३७. गांधी सेवा सदन, बयाना । ६३१

३८. अग्रगामी खादी संघ, सायला । ६५१

३९. जन सेवा मण्डल, पहुना । ६१२

४०. ग्रामोदय समिति, सादड़ी । ६२६

४१. टोंक जिला खादी ग्रामोदय समिति, टोंक । ६५४

४२. सघन क्षेत्र विकास समिति, राजसमन्द । ६६४

४३. आदिम जाति खादी ग्रामोद्योग संघ, सलूम्बर । ७५६

४४. खादी ग्रामोद्योग संघ, अजमेर । ७८२

४५.	सीकर जिला खादी ग्रामोदय समिति, रींगस ।	८०२
४६.	गांधी आश्रम, सुजानगढ़ ।	८०८
४७.	ग्रामोद्योग विकास मण्डल, देवगढ़ ।	८२०
४८.	नागोर जिला खादी ग्रामोदय समिति, नागोर ।	८१४
४६.	पाहेता सघन क्षेत्र समिति, पाहेता ।	८२१
५०.	आदिम जाति ग्रामोद्योग संघ, उदयपुर ।	७५६
५१.	ऊनी खादी ग्रामोद्योग संस्थान, बीकानेर ।	३४४
५२.	मुखिया सघन क्षेत्र योजना मुखिया, बांसवाड़ा ।	८४७
५३.	सघन क्षेत्र विकास समिति, बनेड़िया उदयपुर ।	८३४

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २२६ का उत्तर देखिये)

नुमाइश की रकम की वसूली के सम्बन्ध में सूचना

क्र० सं०	दिनांक जब रकम जमा हुई	रकम जो जमा हुई	विशेष विवरण
१	२	३	
१.	६–१२–५७	१६६–६७	
२.	७–१२–५७	२६६–६०	
३.	८–१२–५७	४५२–६३	
४.	६–१२–५७	७५१–४७	
५.	१०–१२–५७	४३१–७५	
६.	११–१२–५७	४०८–०१	
७.	१२–१२–५७	१०५–१७	
८.	१३–१२–५७	१७–६०	
९.	१६–१२–५७	४–००	
१०.	२७–१२–५७	१३–५६	
११.	१०–४–५८	४–२३	
१२.	१६–४–५८	२७–६०	
१३.	६–५–५८	२–५०	
१४.	१३–५–५८	३–१६	
१५.	१६–६–५८	१५–७१	
१६.	१६–६–५८	६०–६६	
१७.	१६–११–५८	६–११	
१८.	१५–१२–५८	१८–८७	

१	२	३
१९.	२४-२-५९	३-८९
२०.	१०-८-५९	४-८०
२१.	२९-१-६०	७२-०७
२२.	११-४-६०	५३-००
२३.	२६-५-६०	८-७५
	योग	२,९०२-४४

परिशिष्ट ४

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २२८ का उत्तर देखिये)

निम्नलिखित ३२ स्थानों पर दाइयों के प्रशिक्षण केन्द्र चालू हैं—

१. सीकर।

२. दौसा।

३. प्रतापगढ़।

४. बांसवाड़ा।

५. भीलवाड़ा।

६. झालावाड़।

७. नागौर।

८. जालौर।

९. धौलपुर।

१०. पाली।

११. करौली।

१२. गंगानगर।

१३. रतनगढ़।

१४. टोंक।

१५. डूंगरपुर।

१६. नीम का थाना।

१७. सिरोही।

१८. नोखा।

१९. नायला।

२०. श्रीकरणपुर।

२१. आबू रोड।

२२. चित्तौड़गढ़ ।

२३. गंगापुर ।

२४. रायसिंहनगर ।

२५. राजसमन्द ।

२६. बारां ।

२७. वाटिका ।

२८. पिसांगन ।

२९. किशनगढ़-रेनवाल ।

३०. मोहनपुरा-बरसी ।

३१. पीपार सिटी ।

३२. तिजारा ।

परिशिष्ट ५

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २३५ का उत्तर देखिये)

RESOLUTIONS

I. (1) The House recommends to Government that the Services of pensioners who have retired from Government Service (Civil or Military) or from the service of any local Body of any Statutory Body be utilised on honorary or subsistance allowance basis for National Reconstruction and development plans so that constructive man power and experience be not allowed to go waste specially in view of (i) the requirements of a large number of technicians and experienced men for the Third Five Year Plan & (ii) the requirements of Panchayat Raj and Co-operative Societies which are to be organised all over the country.

(2) To ensure greater security to retired personnel and to enable early settlement of their pensions and further to find ways and means of proper utilisation of the man power released from routine duties, this House recommends that a Ministry of Pensions be established in the Centre and also in the States.

II. This House notes that the case of Government Pensioners for relief in order to combat inflation of prices and the increased cost of living was excluded by the Government from the terms of reference of the Central Government Pay Commission, 1957-59, with the result that their case for the grant of dearness allowance according to the scale which has been sanctioned for pensioners-to-be has been ignored. This House recommends to Government to examine the cases of pensioners with a view to grant them dearness allowance on a par with Government servants who will retire hereafter.

III. It is noted that in cases of Pensioners exceeding 70 years of age, whose pension has been reduced by the amount for which they were given a lumpsum in cash, calculation with expectancy of 12 years life according to Commutation

Rules, the original amouut of commutation money together with 4% compound interest has already been paid and further by the continued cutout in their pensions overpayments representing twice the original amount of commutation money have been made to Government. This involves considerable hardship to those aged pensioners, who are few in number, in the present days of inflation. This House, therefore, recommends that such cases may be reviewed by Government and as a matter of Grace, Government be pleased to restore the cut in pension for the future, if necessary by the amendment of relevant commutation rules.

IV. This House recommends to Gevernment that in view of the soaring prices the dearness allowance benefit allowed by the Central Pay Commission to those Government Servants who retired on or after the year 1958 be given to all pensioners.

V (a) This House recommends to Government that the concession in tution fees and other educational facilities granted to the children of Government servants be continued when they retire according to the scale which was allowed to them when they were in service.

(b) This House recommends to Government that Medical facilities be allowed pensioners on the same lines as is permissible for the employees of Government and Local Bodies while in service.

VI. This House notes that in several cases there is no provision for the maintenance of widow of a pensioner and as a result the widow is rendered a destitute with no means whatsoever to fall back upon for her subsistence. The House, therefore, recommends to the Government that a suitable provision be made to provide suitable maintenance to the widow for her life time.

परिशिष्ट ६

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २३६ का उत्तर देखिये)

स्टेटमेन्ट जिन व्यक्तियों को अब तक ट्रैक्टर व पम्पिंग सेट के लिए कर्जा दिया गया जिला, भीलवाड़ाः—

ट्रैक्टर लोन

नं० स०	नाम आसामी	तारीख लोन देने की	तादद रकम जो कर्ज दी।	तादद वसूली	बाकी रहे।
१	२	३	४	५	६
१.	श्री रामसिंह खेराबाद	२८—३—५१	६,०००	५,२००	३,८००
२.	श्री भीमसिंह, राजपुरा	२६—४—५१	२३,०००	४,६००	१८,४००
३.	श्री भागसिंह महेन्द्रगढ़	२६—३—५१	२३,०००	१०,६६२	१२,७३८
४.	श्री जमनालाल जोशी	१ —३—५१	१४,८५०	८,६६०	५,८६०
५.	श्री लक्ष्मणसिंह तहसील जहांनपुर	२५—२—५१	१३,०००	६,६०६	३,०६१
६.	श्री ललितप्रसाद	२५—३—५२	१०,०००	१,०००	६,०००

१	२	३	४	५	६
७.	श्री नाहरसिंह मगरोम	२२–३–५२	१०,०००	५,०००	५,०००
८.	श्री मेघसिंह बड़लिवास	१७–६–५२	१०,०००	—	१०,०००
९.	श्री यशपाल शुक्ला	६ –२–५३	१०,०००	६,२८५	७१५
१०.	श्री नारायणलाल व्यास	१५–१–५३	११,२४७	८,७४७	२,५००
११.	श्री उदयसिंह तसवारिया	२४–३–५३	४,१५०	३,३१७	८३०
१२.	श्री माधुसिंह उपरेड़ा	३१–३–५४	७,५००	१,१७८	५,५२२
१३.	श्री मदनसिंह मडयरता	१६–११–५४	७,०००	२,५००	४,५००
१४.	श्री रघुराजसिंह	१५–३–५४	१०,०००	८,०००	२,०००
१५.	श्री भूपालसिंह घांपोला	१५–११–५४	५,०००	३,०००	२,०००
१६.	श्री चांवड़सिंह हिंसणिया	१– ६ –५५	५,०००	१,०६६	३,६३१
१७.	श्री गुलाबसिंह सुराज	१२–६–५५	५,०००	२,३००	२,७००
१८.	श्री महेन्द्रसिंह लसाणी	२१–१२–५५	५,०००	१,४३६	२,५०४

१	२	३	४	५	६
१९.	श्री प्रतापसिंह सडोदिया, तहसील आसीन्द	२८– २–५६	५,०००	३,०००	२,०००
२०.	श्री सहकारी समिति, आसीन्द	१०–१–५७	१०,०००	–	१०,०००
२१.	श्री शम्भूसिंह थोली	३१–३–५६	६,०००	१,५००	४,५००
२२.	श्री कजोड़ जाट	२०–११–६०	८,०००	–	८,०००
२३.	श्री मानसिंह, तहसील रहाड़–गंगापुर	१–१०–६०	८,०००	–	८,०००
२४.	श्री जयकिशन लढ्ढा	३१–११–६०	७,५००	–	७,५००
२५.	श्री गुलाबसिंह केरिया	३१– ३–६१	९,५००	–	९,५००
२६.	श्री देवीसिंह	३१– ३–६१	८,०००	–	८,०००

परिशिष्ट

पम्पिंग सेट

नं० मु०	नाम आसामी	तारीख लोन देने की	तादाद रकम जो कर्ज दी ।	तादाद वसूली	बाकी हेहैं
१	२	३	४	५	६
१.	श्री चवाणजी	सन् ५०–५१	४,१३०	८३१	३,२९९
२.	श्री स्वरूपसिंह	२४–३–५२	२,०००	२,०००	–
३.	श्री नूरमोहम्मद	२२–३–५२	३,१००	३,१००	–
४.	श्री रसीदमोहम्मद	२३–२–५२	२,४००	२,५९०	–
५.	श्री जमालखां	५–१०–५२	३,०००	२,८२०	१८०
६.	श्री अमरसिंह	२४–३–५२	५,०००	४,२४१	७५९
७.	श्री गोकलचन्द	३१–३–५२	३,०००	१,५००	१,५००
८.	श्री भूपालसिंह चौधरी	२७–३–५३	२,०००	–	२,०००
९.	श्री राधाकिशन	३०–१२–५३	१,५००	१,५००	–
१०.	श्री बृजगोपल	३१–३–५३	१,७८०	१,७८०	–

१	२	३	४	५	६
११.	श्री इन्द्रसिंह	२५–३–५४	२,०००	५००	१,५००
१२.	श्री विजयप्रतापसिंह	२१–३–५६	३,०००	–	३,०००
१३.	श्री अमरसिंह अनेड़ा	३१–३–५६	३,०००	४००	२,६००
१४.	श्री सूरजसिंह अनेड़ा	२१–३–५६	२,५००	३००	२,४००

शुद्धि–पत्र

(बुधवार, २० सितम्बर, १९६१)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
१६७१	प्रथम पंक्ति	श्री बद्रीप्रसाद गुता	श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता
१६७६	शीर्षक	२० सितम्बर ,६	२० सितम्बर ,६१
१६८४	शीर्ष	(श्री मैरोंसिंह)	(श्री भैरोंसिंह)
१६८९	अन्तिम से ७	सुररिन्टेन्डेन्ट	सुपरिन्टेन्डेन्ट
१६९१	४	३.०५०	३,०५०
,,	५	२.०५६	२,०५६
१६९५	शीर्षक	तारांकित प्रश्नोर	तारांकित प्रश्नोत्तर
,,	३	श्री जगदीप्रसाद माथुर	श्री जगदीशप्रसाद माथुर
,,	अन्तिम से ५	१६.४५८	१६.४.५८
१६९६	,, ,, ७	हैं	है
१६९७	१६	नेवस्ट	नेक्स्ट
१७०७	शीर्षक	तारांकित प्रश्नात्तर	तारांकित प्रश्नोत्तर
१७११	४	पम्पिग	पम्पिग
१७१९	अन्तिम से ४	करेंगे	करेंगे
१७२०	१२	अंतः वे रोगियों	वे अंतः रोगियों
१७२४	५	इम्प्रू वमेम्ट	इम्प्रूवमेन्ट
१७३७	१९	अपोइन्मेन्ट	अपोइन्टमेन्ट
,,	२०	अपोइमेन्ट	अपोइन्टमेन्ट
,,	अन्तिम से ३	अपॉइमेन्ट्स	अपॉइन्टमेन्ट्स
१७३९	अन्तिम से ७	कार्यलय	कार्यकाल
१७४०	शीर्षक	२० सितम्बर ,६१	२० सितम्बर ,६१
,,	९	कार्या काल	कार्यकाल
१७४१	१९	प्रेमोशन	प्रमोशन
१७४२	अन्तिम से ७	दी, है	दी है,
१७४३	,, ,, १२	गवर्नमन्ट	गवर्नमेन्ट
१७४५	१८	इनसकुचअ्स	इन्फक्चुअस
१७४८	१० व ११	ऑफ–सर	ऑफि–सर
१७५५	स्कम्भ	१९५५	१७५५
१७५७	२४	चुन ले	चुन लें
१७७०	अन्तिम से ९	दूते हैं	देते हैं
१७७१	,, ,, ४	डिशियल जुएन्क्वायरी	जुडिशियल इन्क्वायरो

१	२	३	४
१७७२	३	रीइन्टेटमेन्ट	रीइन्स्टेटमेंट
१७७३	१७	,को	,उनको
१७७७	८	जड़ेगा	पड़ेगा
१७८२	शीर्षक	२० सितन्बर, ६१	२० सितम्बर, ६१
,,	१६	चुनार्वों	चुनावों
१७८४	स्कम्भ	—	१७८४]
१७८७	अन्तिम से ३	अध्यदेश	अध्यादेश
१७६२	शीर्षक	राजस्थन	राजस्थान
,,	शीर्ष	(श्री ज्वालासप्राद शर्मा)	(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)
१७६३	२३	(स्वायत्त शासक मंत्री)	(स्वायत्त शासन मंत्री)
,,	२४	अजमेर (के कानूनों	अजमेर के कानूनों
१७६७	५	कॉन्टीट्यूशन	कॉन्स्टीट्युशन
,,	अन्तिम से २	इम्प्र्ू वमेंट	इम्प्रूवमेन्ट
१८१६	अन्तिम		कि जब तक इसे डिसाइड नहीं कर लें तब
१८१८	१०	(छाबड़ा)	(छबड़ा)
,,	१२	'नोटिफाइड' एरिया	'नोटिफाइड एरिया'
१८२१	२४	कान्स्टीट्युशन	कॉन्स्टीट्युशन
१८३१	१४	नहीं	नहीं
१८३५	२२	ऑडिनेन्स	ऑर्डिनेन्स
१८४३	१८	वाला	वाली
१८५४	अन्तिम से २	जुडिशिगल	जुडिशियल
१८६६	शीर्षक	ाजस्थान	राजस्थान
१८६७	१५	कीपीज	कॉपीज
१८६६	अन्तिम से ४	नियत	नीयत
१८७१	१८	'No'es'	'Noes'
१८७८	अन्तिम से ११	(अजमेप पश्चिम)	(अजमेर पश्चिम)
१८७६	१६	toouanres morrone	tomorrow
१८८३	अन्तिम से ४	श्री सम्पतराम	श्री सम्पतराम
१८८६	२२	हम	हमें
१८६०	४	tinie	time
१६०१	अन्तिम से ४	6. Bhanswer	6. Bhenswoer
,,	,, ,, ३	7. Bhewatra	7. Bhawatra
१६०३	७	उस्पादक	उत्पादक
,,	१०	मरून्धर	मरुधर
१६०५	२	२६६-६०	२६६—६०
१६०७	५	३. प्रताबगढ़	प्रतापगढ़